

हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

18 मार्च, 1980

खण्ड 1, अंक 13

अधिकृत विवरण

विशय सूची

मंगलवार 18 मार्च, 1980

पृष्ठ संख्या

तारांकित प्र न एवं उत्तर	(13)1
स्थगित तारांकित प्र न एवं उत्तर	(13)21
नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गये तारांकित प्र नो के लिखित उत्तर	(13)22
अतारांकित प्र न एवं उत्तर	(13)42
नेमिंग आफ मैंबर	(13)50
अध्यक्ष द्वारा घोषण— राज्यपाल के अभिभाषण तथा बजट की आम चर्चा पर अपोजी न तथा ट्रेजरी बेंचिज को दिये गये टाईम संबंधी	(13)52
वर्ष 1980-81 के बजट की डिमांडज फार ग्रांटस चर्चा तथा मतदान	(13)53
वैयक्तिक स्पष्टीकरण— श्री बलदेव तायल द्वारा	(13)62

वर्ष 1980-81 के बजट की डिमांडज फार ग्रांटस पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भ)	(13)63
बैठक का समय बढ़ाना	(13)98
वर्ष 1980-81 के बजट की डिमांडज फार ग्रांटस पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भ)	(13)98

हरियाणा विधान सभा

मंगलवार, 18 मार्च, 1980

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा, विधान भवन,

सैक्टर-1, चंडीगढ़ में प्रातः 9.00 बजे हुई। अध्यक्ष

(कर्नल राव राम सिंह) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष: साहेबान, अब सवाल होंगे।

Crop Insurance

***1629. Chauhri Jagdish Kumar Baniwal, Chudhri Sant Kanwar:** Will the Minister for Agriculture be please to state whether there is any scheme under consideration of the Government to introduce Crop Insurance in the State; if so, the details thereof and the time by which it is likely to be implemented and; if not, the reasons therefor?

कृषि मंत्री (सरदार तारा सिंह): इस संबंध में आरम्भ में फसलों की ओलो द्वारा होने वाली हानि के बारे में बीमा करने की स्कीम बनाने के लिये एक सब कमेटी बनाई गई, जिसके अध्यक्ष, वित्तियुक्त राजस्व, हरियाणा हैं। इस सब कमेटी को भारत सरकार

के सामान्य बीमा निगम से विचार विमर्श कर के स्कीम बनाने के लिये कहा गया है।

क्योंकि इस सब कमेटी की सिफारिशें अभी तक प्राप्त नहीं हुई हैं, इसलिये स्कीम का ब्यौरा तथा जितने समय में इसको राज्य में कार्यान्वित किया जायेगा, उसे बारे में इस समय सूचना देनी संभव नहीं है।

डॉ. मंगल सैन: मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि सन् 1947 से भारत सरकार और स्टेट सरकार फसल के बीमा के लिये वक्तन फवक्तन कोशिश करती रही है। इस संबंध में कई कमेटियाँ भारत सरकार ने भी बनायीं और स्टेट सरकार ने भी बनायीं। आखिर में इस नतीजे पर पहुँचे कि यह मामला बड़ा गम्भीर और लम्बा चौड़ा है। जी.आई.सी. ने अपनी स्कीम दी लेकिन वह भी प्रेक्टिकेबल नजर नहीं आयी। सन् 1979 में ब्रिगेडियर रण सिंह की अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई थी, उसमें चौधरी सतबीर सिंह जी भी थे और दूसरे मैनबर साहेबान भी थे। उन्होंने सूखे और फलड आदि के बचाव की सारी स्कीमों को छोड़कर एक ही बात दायरे में ले ली कि ओलावृष्टि से बचाव की स्कीम को ही लिया जाये। उसके बाद एक सब कमेटी बनायी गई जिसके अध्यक्ष एफ.डी.आर. साहब हैं।

चौधरी संत कंवर: स्पीकर साहब, मैं आपके जरिये पूछना चाहता हूँ कि ओलो से फसल का नुकसान होने के बारे में

जो सब कमेटी बनायी गई है, क्या उसमे किसानो के प्रतिनिधि या एम.एल.एज. साहेबान को भी भामिल करेंगे, दूसरे वह कमेटी कब तक अपनी रिपोर्ट दे देगी ?

सरदार तारा सिंह: यह कमेटी पहली सरकार ने ब्रिगेडियर रण सिंह की अध्यक्षता मे बनाई थी। अगर एम.एल.एज. साहेबान भी उसमे भामिल होना चाहते है तो हमें कोई एतराज नहीं, हम उनको हर वक्त भामिल करने के लिये तैयार है। मैं अर्ज कर दूँ कि यह स्कीम बम्बई मे डा. डांडकारने ने बनाई थी और राजस्थान मे भी यह स्कीम हैं इन स्कीमो के बारे मे हमारी कमेटी गौर कर रही है। कितना टाईम लगेगा, यह मैं कुछ नहीं कह सकता। जहां तक चौधरी संत कंवर जी का सुझाव है कि इस कमेटी एम.एल.एज. और प्रोग्रेसिव फार्मर्स को लिया जाये, उनको हम लेने के लिये तैयार है।

श्री अध्यक्ष: सरकार को कोई एतराज नहीं है, दूसरे लोग भी मैनबरज लिये जा सकते है।

श्री भामिनी सिंह: स्पीकर साहब, सरसो, तोरिया और आलू की फसल पांच साल मे, दो साल मे या तीन साल मे पाले या कोहरे से बर्बाद हो जाती है। क्या सरकार इस कमेटी के स्कोप मे इन फसलो को भी भामिल करेगी ?

सरदार तारा सिंह: जो जी.आई.सी. की स्कीम थी उसमे यही डिफिकल्टी थी कि उसमे मेन मेन इलाकों की मेन क्रप्ट ही

रखी गई थी यानी पैडी और व्हीट को रखा गया था दाले ओर आयल सीडज को नहीं रखा गया था। ब्रिगेडियर रण सिंह की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी थी उसने इसीलिये उसको रिजैक्ट किया था।

श्री अध्यक्ष: यह इतना वास्तु सब्जैक्ट है जिस पर काफी विचार करने की जरूरत है। भुरु में ओलो की स्कीम को ले लिया जाये अगर एक स्कीम ही पार हो जाये तो भी काफी है। हर स्कीम को चलाये तो कोई भी पूरी नहीं होगी।

चौधरी उदय सिंह दलाल: स्पीकर साहब, जो कदम सरकार ले रही है वह बड़ा अच्छा कदम है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि जो सुले टिड्डी दल से खत्म हो जाती है, क्या इस स्कीम में उसको भी शामिल करेंगे?

सरदार तारा सिंह: हमें चाहाते हैं कि इस स्कीम की भुरुआत ओलो से की जाये, फिर कहत गाली को ले ले। इस तरह से अहिस्ता अहिस्ता तीन चार चीजों को ले ले। कमेटी ओला, फल्ड और टिड्डियों से होने वाले नुकसान को बेस बना कर रिक्मेंड करेगी। भुरु में ओला का ही हो जाये तो बड़ी अच्छी बात है। बंबई की स्कीम में काफी चीजे शामिल हैं इसलिये जमींदारों को प्रीमियम काफी देना पड़ता है। सरकार किसान का भला करना चाहती है, बुरा करना नहीं चाहती। टिड्डी दल से तो कभी दस साल के बाद नुकसान होता है लेकिन जमींदार को

प्रीमियम हर फसल का देना पड़ेगा। इसलिये यह स्कीम अभी ठीक नहीं रहेगी। जिन फसलों आदि से साल दो साल में नुकसान होता है उनको पहले लिया जाये। टिड्डी दल की स्टेज तो कभी कभी आती है इसलिये जमींदार को प्रीमियम अधिक देना पड़ेगा।

श्री बीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, सरकार ने जो कमेटी कांस्टीच्यूट की थी, उसने क्या प्रोग्रेस की है और कितनी उसकी मीटिंग्स हुई है ?

सरदार तारा सिंह: उस कमेटी की तीन मीटिंग्स हो चुकी हैं। वह कमेटी बम्बई और जयपुर जाकर उनकी स्कीमों ले कर आयी हतीं। हम ने डॉ. मैटीरियल मांग लिया है कि वह देना भी बड़ा मुश्किल है वे कहते हैं कि हरियाणा की सारी नहरों और गांवों का एक फुट के कागज पर नक्शा हो। स्टेट में पिछले दस सालों में कितनी क्राप हुई, लॉन्गीच्यूड और ऐल्टीच्यूड की दोनों तरफ की डिस्क्रिप्शन, कितना नुकसान हुआ, कितना मुनाफा हुआ और किस तरह से हुआ यह सारी सुचना उसमें होनी चाहिए। उसके साथ ही साथ महकमा माल का नुकसान भी मांगा है। इन सारी चीजों को सक्लूटेनाइज करने में काफी टाईम लगेगा।

चौधरी जगदीश कुमार बैनीवाल: क्या मंत्री महोदय बताने की कश्ट करेंगे कि कपास और नर्मा को भी इस स्कीम में इन्क्लूड करेंगे ?

सरदार तारा सिंह: मैंने पहले ही बताया है कि इन फसलों को नहीं रखा है। जो फसल ओले से तबाह होती है उसको ही रखा है।

स्पीकर साहब, मैं अपने दोस्तों को प्रीमियम के बारे में भी बता दूँ। जी.आई.सी. वालों ने कहा कि 1 करोड़ 63 लाख रुपये किसान पहले बर्दास्त करे और चार करोड़ से कुछ ऊपर कोआप्रेटिव वाले करे। मोटे तौर पर इसका प्रीमियम 30 परसेंट, 15 परसेंट और 5 परसेंट बताते हैं।

चौधरी सतबीर सिंह मलिक: स्पीकर साहब, आदमियों की कमेटी बनी थी जिसमें मैं, ब्रिगेडियर रण सिंह और चीफ मिनिस्टर साहब थे। जी.आई.सी. वालों से इस स्कीम के बारे में हमारी बातचीत हुई थी लेकिन उन्होंने इंकार कर दिया था फिर हमने सुझाव दिया था कि अगर जी.आई.सी. रोड़ा अटकाती है तो कोई दूसरी स्कीम चालू की जाये। हमने ऐसा विचार बनाया था कि सेंट्रल कोआप्रेटिव बैंक के अंदर जमींदारों से आठ आने या एक रुपया एकड़ के हिसाब से जमा करवा लिया जाये। इस तरह का रिलीफ फंड क्रियेट किया जाये और जब भी ऐसी स्थिति आये तो उनको पैसा दे दे दिया जाये। क्या कमेटी इस बारे में भी विचार करेगी ?

सरदार तारा सिंह: स्पीकर साहब, मैं असल बात बतानी भूल गया। मैंने तीन मंत्रियों की कमेटी बता दी लेकिन उसमें 17

मेंबरान थे। उस कमेटी ने यह फैसला किया था कि बाकी सारी आइटम्ज को ड्राप कर दिया जाये केवल ओलो द्वारा होने वाली हानि को ही इस स्कीम मे भामिल किया जाये। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष: आप मिनिस्टर महोदय को अलग से मिल कर डिसकस कर ले क्योंकि इस सवाल पर काफी सप्लीमेंटरीज हो चुकी है।

डॉ. मंगल सैन: स्पीकर साहब, मेरी सबमिशन है कि मंत्री और आनरेबल मेंबर बीच मे इधर उधर आते जाते रहते है यह अच्छा हनी लगता, इसलिये इन को बंद किया जाये।

Mr. Speaker: I did not notice any body. I would request the Hon'ble Ministers and Members to please observe the decorum in the House and not to breach the same.

Roads constructed under the scheme "Food for Work"

***1645. Swami Adityavesh:** Will the Minister for Development & Panchayats be pleased to state—

(a) whether there is any scheme under consideration of the Government to convert the Kacha roads constructed under the scheme "Food for Work" into metal led roads; and

(b) if so, the time by which it is likely to be done?

विकास मंत्री (राव राम नारायण):

(क) नहीं जी।

(ख) उपरोक्त (क) के अनुसार प्र न उत्पन्न नहीं होता है।

स्वामी आदित्यवे T: अध्यक्ष महोदय, 'काम के बदले अनाज' की जो स्कीम सरकार ने चालू की है उस के तहत गांवों में कच्ची सड़कें बनई गई हैं। उन पर 15 करोड़ रूपया भारत सरकार का खर्च हुआ है। मैं मंत्री महोदय से चाहता हूँ कि गांवों के अंदर जो मिट्टी का काम हुआ है, उसको सुरक्षित रखने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ?

राव राम नारायण: जितनी लिंक रोडज पर मिट्टी का काम हुआ है वह तो पी.डब्ल्यू.डी. के अंदर टेक करेगा। हमारी सरकार ने यह कमिटेमेंट की है कि सन् 1981 तक सभी लिंक रोडज पक्की कर दी जायेगी। जो पंचायत एरिया में अर्थ वर्क हुआ है, उसको पंचायत देखेगी। जो गांव की फिरनी है। उसको गांव की पंचायत खुद पक्की बनायेगी। अगर पंचायत के पास पैसा नहीं है तो गवर्नमेंट भी उसकी मदद देगी।

डॉ. बृज मोहन गुप्ता: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिए मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि जिन गांवों को लिंक रोड नहीं दिया गया है और वे पी.डब्ल्यू.डी. की स्कीम के तहत भी नहीं आते, यदि उन रोडज पर 'फूड फार वर्क' प्रोग्राम के तहत मिट्टी

डाली दी जाये तो क्या सरकार उनको पक्का करने का आवासन देगी?

श्री अध्यक्ष: मंत्री महोदय ने अपने जवाब में बताया है कि जो गांवों की फिरनी है, उनको सरकार पक्का नहीं करेगी। यदि पंचायत पक्का करना चाहती है तो वह कर सकती है। यदि पंचायत के पास रिसोर्सिज नहीं है तो गवर्नमेंट मदद देगी।

श्री सुरेन्द्र सिंह: अभी मंत्री जी ने बताया है कि गांवों में जो 'फूड फार वर्क' प्रोग्राम के तहत कच्ची रोड़ बनायी जायेगी, उसको सरकार बिल्कुल पक्का नहीं करेगी। मैं पूछना चाहता हूँ कि जिन पंचायतों के पास फण्ड नहीं है, क्या उनकी मदद कर सकती है?

श्री अध्यक्ष: जो पंचायत गवर्नमेंट से मदद लेना चाहेगी उसे मदद दी जायेगी मंत्री महोदय ने इस बारे में बता दिया है।

श्री सुरेन्द्र सिंह: मैं चीफ मिनिस्टर साहब से यह पूछना चाहता हूँ कि अगर दो गांव मिल कर 'फूड फार वर्क' प्रोग्राम के तहत किसी लिंक रोड़ या एप्रोच रोड़ को बना दे, तो क्या ऐसी सड़को को पक्का किया जायेगा ?

(इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया)

श्री अध्यक्ष: मंत्री महोदय ने कहा है कि पंचायत अपने फण्ड से पक्की करेगी लेकिन अगर पंचायत चाहेगी तो गवर्नमेंट उनको मदद दे सकती है।

श्री लहरी सिंह मेहरा: क्या गवर्नमेंट ने ऐसा कोई फण्ड रखा हुआ है ?

राव राम नारायण: अध्यक्ष महोदय, हमने उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से फण्ड अलाट कर दिया है।

श्री सुरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, मैं यह जानना चाहता हूँ कि पंचायत का महकमा और पी.डब्ल्यू.डी. आपस में को-आर्डिनेशन करके गांवों में जो अर्थ वर्क हुआ है, उसको पक्का करने के लिये तैयार है ?

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): चौधरी सुरेन्द्र सिंह जी ने जो सुझाव दिया है यह बहुत अच्छा सुझाव है। हम इस बात पर जरूर गौर करेंगे कि फूड फार वर्क प्रोग्राम के तहत जहां पर दो गांवों ने मिल कर मिट्टी डाल दी है, उस सड़क को पहले पक्का किया जाए।

चौधरी हरि चंद हुड्डा: स्पीकर साहब, चीफ मिनिस्टर साहब ने गढ़वाल और टटोली का भी पुल देखा और सिसरोल की एप्रोच रोड को भी देखा है। यह पुल जो बनाया गया है, उल्टा और टेढ़ा बनाया गया है। छछरोली वाली सड़क को जहां से गांव वाले चाहते हैं वहां से नहीं बनाया जा रहा है। मैं मंत्री महोदय से

जानना चाहूंगा कि क्या उस पुल का एस्टीमेट बन चुका है और जो सड़क है, उसको जहां से गांव वाले चाहते हैं, वहां से बनाया जायेगा ?

श्री अध्यक्ष: हुड्डा साहब, आपका कोई सवाल नहीं बनता। मेहरबानी करके आप अलग से नोटिस दे दे या सी.एम. साहब से बाद में उनके कार्यालय में मिल लें।

चौधरी राम लाल वधवा: स्पीकर साहब, 'फूड फार वर्क' प्रोग्राम के तहत जहां पर मिट्टी का काम हुआ है, उसका पक्का करने के लिये मंत्री जी ने जवाब बिल्कुल नहीं दे दिया है। लेकिन उन्होंने बाद में कहा है कि 'फूड फार वर्क' का काम बहुत अच्छा हो रहा है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि सरकार इस 'फूड फार वर्क' स्कीम को ड्राप तो नहीं करना चाहती ?

चौधरी भजन लाल: हमने इस काम को ड्राल नहीं किया है बल्कि यह काम पहले से भी ज्यादा तेज चल रहा है। हमने इस साल भारत सरकार से पहले साल की अपेक्षा अधिक अनाज मांगा है। राव साहब ने कहा है कि लाल डोरे में और आबादी देह में सरकार पक्की सड़के नहीं बनायेगी। भायद माननीय सदस्य भी जानते होंगे कि गवर्नमेंट आबादी देह में पक्की सड़के नहीं बनाती, गांव वाले या पंचायत खुद बनाती है। पंचायत अपने फण्ड से पक्का करना चाहे तो कर सकती है। जैसे कि राव साहब पहले ही

कह चुके हैं अगर पंचायत चाहे तो सरकार उसकी मदद कर सकती है।

कामरेड भांकर लाल: स्पीकर साहब, यह जो मौजूदा 'अनाज के बदले काम' की स्कीम चल रही है, उसके तहत कई जगहों पर जिस गरीब मजदूर ने काम किया है, उसको तो मजदूरी नहीं मिली है और गांव में जो ट्रैक्टर वाले हैं, ट्रक वाले हैं, उनको मिट्टी डालने के पैसे दिये गये हैं। क्या यह बात सरकार के नोटिस में है कि 'अनाज के बदले काम' स्कीम के तहत भी गरीब आदमियों को काम न देकर ट्रैक्टर वालों से और बड़े किसानों से मिट्टी डालने का काम करवाया गया है ?

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के नोटिस में कोई ऐसी बात आयी हो कि जिस गरीब आदमी ने मिट्टी डालने का काम किया है, उसको पैसे नहीं दिये गये, वह हमारे नोटिस में लाये, हम उसकी बाकायदा इंकवायरी करवाकर जिस किसी ने कोई गलत काम किया है, उसके खिलाफ एक नान लेंगे। अलबत्ता एक बात कहीं कहीं पर जरूर हुई है। कई जगह का मिट्टी दूर से उठाकर लानी पड़ती है जो कि हयूमैनली पौसीबल नहीं है। इसलिये यह हो सकता है कि किसी किसान के पास ट्रैक्टर हो, उससे मिट्टी डलवायी गयी हो और उसे पैसे दिये गये हो। जैसे मैंने पहले कहा है कि कई जगह पर मिट्टी एक एक दो दो मील से उठाकर लानी पड़ती है तो कि एक गरीब

आदमी के लिये पौसीबल नहीं है। इसलिये कुछ मिट्टी ट्रैक्टरों से भी डलवायी गयी है।

श्री गुलजार सिंह: जैसे कि मंत्री महोदय ने यह फरमाया है कि गांवों के अंदर फूड फार वर्क प्रोग्राम के तहत कच्चे रास्ते बिल्कुल कम्पलीट हो चुके हैं। उनको पक्का करने के लिये जिन पंचायतों के पास फण्डज नहीं है, उनको सरकार इमदाद देगी ताकि वे अपनी सड़कें पक्की करवा सकें। मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूँ कि उन पंचायतों को फण्डज देने का क्राइटेरिया क्या होगा, जिसके तहत वह उन्हें इमदाद देगी ?

राव राम नारायण: वहां का जो डिप्टी कमि नर होगा, वह उस पंचायत के रिसोर्सिज को मद्देनजर रखते हुए कच्चे रास्तों को पक्का करने के लिये फण्डज की अलाटमेंट करेगा।

श्री फतेह चंद विज: मंत्री महोदय ने यह बताया कि लाल डोरे के अंदर 'अनाज के बदले काम' स्कीम के तहत जो कच्चे रास्ते बनाये गये हैं, उनको पक्का करवाने के लिये अगर पंचायतों के पास कम है, तो उनकी मदद की जायेगी। क्या मंत्री महोदय मैचिंग ग्रांट्स के रूप में ऐसी पंचायतों को पैसा देंगे यानी जितना पैसा पंचायतें दे उतना ही पैसा सरकार उन को दे ?

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, मैचिंग ग्रांट्स पंचायत फंडज के हिसाब से नहीं दी जा सकती। अगर सारे गांव वाले कुछ पैसे इकट्ठे करें तो सरकार उनको मैचिंग ग्रांट दे

सकती है। जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि पंचायतो के पास फण्डज नहीं है इसलिये वे कैसे काम करेंगी ? उसके लिये पंचायत महकमे के जो फण्डज है, वे हर ब्लाक मे पंचायत समितिज को डिस्ट्रिब्यूट किये जाते है। वह आगे गांव की इमदाद के लिये, चाहे वहां पर कुएं बनाने हों या गलियां करवानी हों, पैसा पंचयतो को देती है।

**Quota of jobs reserved for Ex-Servicemen in the
Cooperation Department**

***1607. Chaudhri Partap Singh Thakran:** Will the Minister for Cooperation be pleased to state—

- (a) the quota of jobs reserved for Ex-Servicemen in the services togetherwith the actual percentage of such personnel existing at present in the Cooperation Departement;
- (b) the percentage of the quota referred to in part (a) above filled up in the Cooperation Departement through S.S.S. Board and the Public Service Commission from 1-4-79 to dat; and
- (c) whether there is any deficiency in the percentage of Ex-Servicemen in the above said Departement; if so the steps taken or proposed tobe taken to make up this shortfall?

सहकारिता तथा योजना मंत्री (ठाकुर बीर सिंह):

(क) भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षण की मात्रा निम्न प्रकार है:—

सीधी भर्ती द्वारा—

(i) 5 प्रति शत एवं द्वितीय श्रेणी के पदों में।

(ii) 20 प्रति शत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों में।

पदोन्नति द्वारा—

भून्य।

हरियाणा के गठन के पचास मंजूर हुये पदों के विरुद्ध भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षित पद तथा उन पदों के विरुद्ध की गई भर्ती का विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

(ख) 1-4-79 से आज तक एस.एस.एस. बोर्ड/लोक सेवा आयोग के माध्यम से कोई भर्ती नहीं की गई है। इसलिये इस अवधि में भूतपूर्व सैनिकों के लिये किसी कोटे की भर्ती का प्रश्न पैदा नहीं होता।

(ग) हरियाणा के गठन से लेकर भूतपूर्व सैनिकों की भर्ती सरकार द्वारा निर्धारित की गई प्रतिशत से अधिक हैं अतः इसमें कोई कमी नहीं है।

श्रेणी	1.11.22 के पचात् स्वीकृत हुए पद	के भूतपूर्व सैनिकों द्वारा भरे जाने वाले पद	1.11.66 के पचात् भर्ती किये गये भूतपूर्व सैनिकों की प्रति ताता	कमी, यदि कोई हो			
	पदों की संख्या	सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों की संख्या	संख्या	प्रति ताता	संख्या	प्रति ताता	
1	2	3	4	5	6	7	8
श्रेणी-1	9			5 प्रति ताता			भून्य
श्रेणी-2	12	8		5 प्रति ताता	4	52 प्रति ताता	भून्य
श्रेणी-3	485	354	71	20 प्रति ताता	109	31 प्रति ताता	भून्य

श्रेणी-4	78	78	16	20	19	24	भाून्य
				प्रति ात		प्रति ात	
जोड़	584	440	87		132		भाून्य

एक आवाज: स्पीकर साहबस, हमे तो सवाल का जवाब ही नही मिला है ।

चौधरी राम लाल वधवा: सर, जवाब तो है लेकिन ये आगे पीछे लगे हुए है । मुझे तो इसको ढूंएने मे पांच मिलट लगे है । इस सवाल का जवाब सवाल नं. 1474 के बाद लगा हुआ है ।

Mr. Speaker: I am sorry if any mix up has taken place. Replies were received late at night yesterday from the Government. But we will ensure that in future no such mistake occurs.

मैंबर साहेबान, यह कहावत है कि लड़ाई के दौरान सारी पब्लिक भगवान को और फौजियों को याद करती है और जैसे ही लड़ाई खत्म हो जाती है वैसे ही वह भगवान को भी भूल जाती है और फौजियो को भी भूल जाती है, मै इस बात के लिये अपनी गवर्नमैंट को मुबारिकबाद दूंगा कि इन्होंने एक्स सर्विसमैन का पूरा ध्यान रखा है और कोटे से ज्यादा इन्हें दिया है ।

एक आवाज: ये तो कहते है कि 1979 के आद कोई भर्ती ही नही की है ।

श्री अध्यक्ष: मैं तो सरकार की बात करता हूँ कि इन्होंने एक्स सर्विसमैन का पूरा ध्यान रखा है, इसलिये यह मुबारिकबाद की पात्र है।

चौधरी गंगा राम: मंत्री महोदय से मैं यह जानना चाहता है कि सेंट्रल कोआप्रेटिव बैंक, सोनीपत में 15 एक्स सर्विसमैन जोकि गनमैन और चौकीदार की पोस्टों पर लगे हुए थे, इस सरकार ने उसकी सर्विसिज को टर्मिनेट कर दिया है, इसका क्या कारण है?

ठाकुर बीर सिंह: इस प्रश्न का इससे कोई ताल्लुक नहीं है क्योंकि डिपार्टमेंट का उससे कोई संबंध नहीं है। वहां पर पहले चौधरी गंगा राम जी चेयरमैन हुआ करते थे। इन्होंने जिस तरह से आदमी लगाये थे, उसी तरह से हटा दिये गये होंगे।

चौधरी गंगा राम: स्पीकर साहब, मैंने यह सवाल इसलिये पुछा है क्योंकि यहां पर कह रहे हैं कि हम एक्स सर्विसमैन की हिफाजत कर रहे हैं। मैं यह पूछना चाहता हूँ कि उन 15 एक्स सर्विसमैनों को क्यों हटाया गया है, जिन्होंने 6 महीने तक नौकरी की हुई थी ?

श्री अध्यक्ष: यह तो बैंक से संबंधित है, मगर मिनिस्टर महोदय इसका जवाब देना चाहे तो दे सकते हैं।

ठाकुर बीर सिंह: स्पीकर साहब, डिपार्टमेंट का इससे कोई ताल्लुक नहीं है।

चौधरी गंगा राम: स्पीकर साहब, सवाल के जवाब में यह कहा गया है कि प्रोमोशन के लिये कोई रिजर्वेशन नहीं है। जैसे कि दूसरी कैटेगरीज के लिये प्रोमोशन के लिये रिजर्वेशन नहीं है, वैसे ही एक्स सर्विसमैन के लिये भी रिजर्वेशन नहीं होनी चाहिए। क्या सरकार एक्स सर्विसमैन के लिये भी प्रोमोशन में रिजर्वेशन बनाने के लिये विचार करेगी ?

ठाकुर बीर सिंह: स्पीकर साहब, प्रोमोशन के मामले में कोई रिजर्वेशन नहीं है। जितनी भी भर्ती की गयी है, सारी डायरेक्ट की गयी है। जब उनका नम्बर सीनियरिटी के हिसाब से आये तभी उनको प्रोमोशन मिल सकती है।

चौधरी गंगा राम: स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने यह बताया है कि एक्स सर्विसमैन के मामले में प्रोमोशन के लिये कोई रिजर्वेशन नहीं है। मैं उन से यह जानना चाहता हूँ कि जैसे हरिजनो के लिये प्रोमोशन के मामले में रिजर्वेशन नहीं है, उसी तरह से एक्स सर्विसमैन के लिये भी, जो देश के लिये मरते हैं, कोई रिजर्वेशन बनाने का विचार है ?

ठाकुर बीर सिंह: जी नहीं।

Mr. Speaker: Government instructions were put up to me कि रिजर्वेशन कास्टस के लिये क्लास थ्री और क्लास फोर में 20 प्रतिशत रिजर्वेशन नहीं है।

श्री सुरेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, इस सदन में करीब सभी सदस्य अकसर एक बात डिस्कस करते हैं कि कोआप्रे टन डिपार्टमेंट के अंदर जितनी भी भर्ती होती है चाहे वह एक्स सर्विसमैन की हो या किसी दूसरी जाति की हो, एकपलायमेंट एक्सचेंज के भारू नहीं की जाती। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, इतनी इररैगुलैरिटीज की जाती है कि संडेज को लोगो को अपने घर बुलाकर चण्डीगढ़ में मंत्री महोदय उनको अप्वायंटमेंट करवाते हैं। मेरे पास इस बात का सबूत है कि लड़कों को अपने घर बुलाकर अप्वायंटमेंट आर्डर दिये जाने के बारे में टेलीफोन किया जाता है ? (व्यवधान व भाोर)

ठाकुर बीर सिंह: स्पीकर साहब, मेरे लायक दोस्त ने सवाल उठाया है उसके बारे में मैं यह कह दूँ कि हमारे इस डिपार्टमेंट में तीन एजेन्सीज हैं। (तोर एवं व्यवधान)

Shri Surrender Singh: Speaker Sahib, I have the proof. Let the Minister deny. The hon. Minister is evading the reply. (Interruptions)

ठाकुर बीर सिंह: स्पीकर साहब, मैं बता रहा था कि इस डिपार्टमेंट में तीन एजेन्सीज हैं, जिनके जरिये हम भर्ती करते हैं।

श्री सुरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, एजंसियों की बात नहीं है। The hon. Minister is again evading the reply. (Interruptions)

Thakur Bir Singh: No, I am not evading the reply, (Interuueptions).

Mr. Speaker: This quetion refers to the percentage of reservation for Ex-servicemen.

श्री सुरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, सब ***** का काम है। (गोर एंव व्यवधान)

ठाकुर बीर सिंह: ***** तो स्पीकर साहब, इनके घर मे होती होगी। (गोर)

Mr. Speaker: Next quetion, Shri Hira Nand Arya.

Shifing of Education Board of Bhiwani

***1471. Sh. Hira Nand Arya:** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether the entire Haryana Education Board has been shifted to Bhiwani; if not, the time by which it is lilely to be shifted; and

(b) whether the construction of Education Board Building has been started at Bhiwani; if not, the reasons therefor?

मुख्य संसदीय सचिव (श्रीमती भांति देवी):

(ए) िक्षा बोर्ड की दो भाखाएं भिवानी बदली जा चुकी है, जिन्होंने 1-1-80 से किराये की इमारत मे कार्य भुरू कर दिया है। कार्यालय तथा रिहाय ि

स्थान की उपलब्धि और बोर्ड की अपनी इमारत पूर्ण होने पर समस्त कार्यालय भिवानी में फेज्ड मैनर में बदला जायेगा।

(बी) नहीं जी, सरकार ने वर्ष 1976 में बोर्ड के कैंपस के निर्माण हेतु भिवानी में 113 एकड़ 6 कनाल, 16 मरले भूमि अभिग्रहण की थी। बोर्ड ने मुआवजे के रूप में 968100 रुपये अदा किये थे। भूमि के मालिकों ने मुआवजे की बढ़ोतरी के लिये जिला जज भिवानी की अदालत में केस दायर कर दिये हैं। अगर उनकी दलील स्वीकार हो जाती है तो बोर्ड को 5000000 रुपये की राशि अदा करनी पड़ेगी। निर्माण कार्य को शुरू करने का मामला बोर्ड के विचाराधीन है।

डॉ. मंगल सिंह: स्पीकर साहब, मुख्य संसदीय सचिव महोदय ने अपने उत्तर में बताया है कि बोर्ड के कार्यालय ने 1-1-1980 से किराये की इमारत में कार्य शुरू कर दिया है। मैं उन से यह जानना चाहता हूँ कि जो भूमि बोर्ड की इमारत के लिये भी जानी थी, क्या उसका कब्जा सरकार ने ले लिया है, अगर कब्जा ले लिया है तो कब लिया है ?

*Expunged as ordered by the Chair.

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): स्पीकर साहब, जमीन एकवारयर कर ली है और जमीन हमारे कब्जा में आ गयी है। उस पर काम शुरू है, जब तक बिल्डिंग बन कर तैयार नहीं हो जायेगी तब तक बोर्ड का कार्यालय वहां पर नहीं जा सकता। जब बिल्डिंग बन कर तैयार हो जायेगी, एजुकेशन बोर्ड का दफतर भिवानी में खिटाफट कर दिया जायेगा।

डॉ. मंगल सिंह: स्पीकर साहब, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया। मैंने इन से पूछा था कि जमीन का कब्जा कब मिला ?

चौधरी भजन लाल: स्पीकर साहब, इस वक्त डेट तो हमारे पास नहीं है। जमीन का कब्जा हमने ले लिया है और एकवारयर की गई जमीन का मुआवजा दे दिया गया है। कब्जे की डेट के बारे में ये हमें लिखकर भेज दे, हम उनको बता देंगे।

डॉ. मंगल सिंह: स्पीकर साहब, भूमि के मालिकों ने मुआवजे की बढ़ौतरी के लिये अदालत में केस दायर कर रखा है। (गोर एवं व्यवधान)

चौधरी हुक्म सिंह: स्पीकर साहब, मैं सरकार से यह जानना चाहता हूँ कि बिल्डिंग का कार्य कब शुरू हुआ था और वह कब तक पूरा होने की आशा है?

श्रीमती भांति देवी: स्पीकर साहब, मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहती हूँ कि 20 जुलाई, 1977 को पिछली सरकार ने यह निर्णय लिया कि एजुकेशन बोर्ड का दफतर चण्डीगढ़ में

ही रहना चाहिए। उसके उपरांत जब हमारी सरकार आई तो हमारी कैबिनेट ने 12-9-79 को यह निर्णय लिया कि एजुके ान बोर्ड का कार्यालय भिवानी के अंदर ही बदला जाये।

चौधरी हुक्म सिंह: स्पीकर साहब, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया। मैंने यह कहा था कि इस बिल्डिंग का काम कब भुरू हुआ था और कब तक यह बिल्डिंग बन कर तैयार हो तायेगी ?

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, मैं आनरेबल मेंबर को यह बताना चाहता हूं कि इस बिल्डिंग के लिये 1976 मे जमीन एक्वायर की गई थी और उसके बाद बिल्डिंग का काम भुरू हो गया था। जिस सरकार को मास्टर हुक्म सिंह जी स्पोर्ट करते थे और चौधरी देवी लाल जी उस सरकार के मुख्य मंत्री थे, यह काम उन्होंने अपने राज्य मे बंद कर दिया था और यह कह दिया था कि बोर्ड का दफतर भिवानी मे नहीं ले जाया जाएगा। लेकिन हमारी सरकार ने आने के बाद फिर वह निर्णय लिया । बिल्डिंग का काम भुरू कर दिया है। ज्यों ही बिल्डिंग बन कर तैयार हो जायेगी, बोर्ड का दफतर भिवानी मे चला जायेगा।

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू: स्पीकर साहब, सरकार ने एजुके ान बोर्ड का दफतर और दूसरे कई बड़े बड़े दफतरों को भी यहां से ि ाफट करने के बारे मे निर्णय लिया है। क्या इन बड़े बड़े दफतरों को यहां से ि ाफट करने से हरियाणा का जो चण्डीगढ़ के ऊपर एवार्ड का हक है वह खत्म नहीं हो जायेगा ?

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, इन दफतरो का वास्ता ज्यादा से ज्यादा फील्ड के लोगो से पड़ता है क्योंकि उन लोगो को छोटे मोटे कामों के लिये चण्डीगढ़ आना पड़ता है। जो जरूरी दफतर होंगे जैसे बिजली बोर्ड का दफतर है, सारा बिजली बोर्ड नही, कुछेक ब्रांचिज जिनसे लोगों को जरूरतों के मुताबिक जरूरी समझा जाएगा, उसको ही चण्डीगढ़ से रिफट किया जायेगा ताकि लोगो को छोटे मोटे कामों के लिये यहां न भागना पड़े। एजुके इन बोर्ड का वास्ता सारे प्रांत से है। भिवानी को इसके लिये सैंट्रल प्लेस समझा गया, इसलिये एजुके इन बोर्ड का कार्यालय, बिल्डिंग बनने के बाद भिवानी को इसके लिये सैंट्रल प्लेस समझा गया, इसलिये एजुके इन बोर्ड का कार्यालय, बिल्डिंग बनने के बाद भिवानी में रिफट कर दिया जायेगा।

चौधरी उदय सिंह दलाल: स्पीकर साहब, मैं मुख्य सचिव महोदय से जानना चाहता हूं कि क्यायह उनके नोटिस में है कि बोर्ड की बिल्डिंग की तामीर का सामान जैसे लोहा, ईंटे, और दूसरी चीजे जो थी, उनको लोग उठाकर ले गये है। और उस सामान का काफी मिसयूज हुआ है ?

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, जो बात अभी माननीय सदरू ने इस सदन के सामने कहीं है, उनहोंने पहले कभी हमारे नोटिस में यह बात नही लाई। हम इस बात की जरूर जांच करवाएंगे अगर कही भी किसी ने तिनका भर भी उठाया होगा तो उस आदमी के खिलाफ एक् इन लिया जायेगा। इसके अलावा मैं

एक बात बता देना चाहता हूँ कि एक बात मेरे नोटिस में अब य आई थी कि चौधरी देवी लाल जी की सरकार ने जिस में श्री हीरा नंद आर्य और मास्टर हुक्म सिंह जी भी मिनिस्टर थे, उस वक्त यह काम बंद करवा दिया था और सारे का सारा सामान किसी दूसरे महकमे को अलाट कर दिया था। फिर भी हम इस बात की जांच करवायेंगे कि अगर किसी प्राइवेट आदमी ने या किसी और ने वहां से सामान उठाया होगा, तो उसके खिलाफ अब य सख्त कार्यवाही की जायेगी।

चौधरी ई वर सिंह: स्पीकर साहब, ऐजूके इन बोर्ड को भिवानी में िाफ्ट करने का हरियाणा सरकार ने फैसला किया है। कुरुक्षेत्र हरियाणा की सैन्ट्रल प्लेस है, वहां पर यूनिवर्सिटी है, रेलवे स्टे इन है और वह जी.टी. रोड़ पर भी है। इन सारी चीजों को देखते हुए वहां पर राजधानी बनाने पर विचार किया जा रहा है। क्या मुख्य मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि इन सारी चीजों को देखते हुए ऐजूके इन बोर्ड के दफ्तर को कुरुक्षेत्र ले जाने पर विचार करेंगे ?

श्री अध्यक्ष: मैं इस बारे में कहना चाहूंगा कि 1977 में जब मैं िाक्षा मंत्री था तो चौधरी देवी लाल ने सलाह दी थी कि ऐजूके इन बोर्ड की बिल्डिंग पीपली में बननी चाहिए।

चौधरी भजन लाल: स्पीकर साहब, ऐजूके इन बोर्ड को भिवानी में टिफ्ट करने का फैसला हो चुका है, अब इसको चेंज करना सम्भव नहीं है।

श्री सुरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, कई बार क्वे चन आवर में और डिबेट में यह सुनने को मिलता है कि भिवानी से उठाकर फलां बिल्डिंग का सामान ले जाया जा रहा है। ठाकुर बीर सिंह और चौधरी भजन लाल इस बात को मानते हैं कि चाहे हौस्पिटल की बिल्डिंग का हो, चाहे कोई और बिल्डिंग का हो, कुछ भी सामान हो, भिवानी से उठकर जाता रहा है। स्पीकर साहब, भिवानी के लोगो को फीलिंग को देखते हुए क्या चीफ मिनिस्टर साहब यह अर्थों में देने की कृपा करेंगे कि ऐजूके इन बोर्ड की बिल्डिंग भिवानी से नहीं ले जाई जायेगी ?

Mr. Speaker: The Hon'ble Chief Minister has already assured the House that the Education Board will shift to Bhiwani.

श्री भले राम: स्पीकर साहब, पिछली बार चौधरी ई वर सिंह ऐजूके इन बोर्ड के चेयरमैन थे। हाई कोर्ट ने उस वक्त फैसला किया था कि इस बोर्ड का चेयरमैन ग्रेजुएट होना चाहिए लेकिन चौधरी ई वर मैट्रिकुलेट थे। क्या चीफ मिनिस्टर साहब बताने की कृपा करेंगे कि उन्होंने इसी वजह से इस बोर्ड की चेयरमैनशिप से इस्तीफा दिया था ?

श्री अध्यक्ष: यह कोई सवाल नहीं है।

श्री हीरा नंद आर्य: स्पीकर साहब, अभी चीफ पार्लियामेटररी सैक्रेटरी साहिबा ने कहा था कि भिवानी में काम बंद है और मुख्य मंत्री महोदय ने कहा है कि वहां पर काम चालू है। क्या मुख्य मंत्री महोदय ने कहा है कि वहां पर काम चालू है। क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि, बोर्ड की बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन का काम जो छत तक हुआ पड़ा है और अब बंद है इस काम को किस तारीख से शुरू कर देंगे और बोर्ड को किस तारीख तक भिवानी में रिफिट कर देंगे?

श्री सुरेन्द्र सिंह औजला: स्पीकर साहब, हमारे मुख्य मंत्री महोदय, हमारे मुख्य मंत्री महोदय ने यह कहा था कि हरियाणा इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड और एजुकेशन बोर्ड की बहुत ज्यादा पब्लिक के साथ डीलिंग है इसलिये उनको हरियाणा के मध्य में रिफिट किया जा रहा है। क्या मुख्य मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि हरियाणा के लोगों की हरियाणा सिविल सैक्रेटेरिएट से बहुत ज्यादा डीलिंग है क्या इसको भी कहीं सेंट्रल में ले जाने का सरकार का विचार है ?

चौधरी भजन लाल: स्पीकर साहब, मैंने यह नहीं कहा था कि सारे बिजली बोर्ड को हिसार ले जायेंगे। मैंने यह कहा था कि बिजली बोर्ड का कुद अंश जिसके साथ हरियाणा की जनता की बहुत ज्यादा डेटू डे डीलिंग है, उसको वहां पर रिफिट करेंगे। (व्यवधान)

श्री सुमेर चंद भट्ट: क्या मुख्य मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि पालिटीकल या ऐडमिनिस्ट्रटिव कौन से वजुहात थे जिनकी वजलह से पिछली सरकार द्वारा सब जगहो को छोड़ कर ऐजूके इन बोर्ड को भिवानी ले जाने का फैसला लिया गया था क्या आज ही सरकार उन सभी वजुहात से सहमत हे जिनकी वजह से ऐजूके इन बोर्ड को भिवानी मे िपट करने का फैसाला किया गया था ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मैं समझता हूं चूंकि सै इन समाप्त होने जा रहा है इसलिये मैंबर्ज साहेबाल ज्यादा उत्साहित हो रहे है । मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप थोड़ा डिस्पिन रखे और हाउस मे भांति बनाए रखे ।

चौधरी भजन लाल: स्पीकर साहब, इस बात का फैसाल बड़े सोच विचार के बाद किया गया था कि ऐजूके इन बोर्ड का दफतर भिवानी िपट किया जाये ओर यह फैसला आज का नही है, बहुत पहले का है । इसके लिये जमीन 1976 मे एक्वायर की गई थी और पैसा दे दिया गया था । तकरीबन इसकी बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई है । इस बोर्ड को भिवानी ले जाने का फसला अटल है ओरइसमे कोई तबदीली करना सम्भव नही है ।

Tanneries at Jind

***1514. Chaudhri Satvir Singh Malik:** Will the Chief Minister be pleased to state—

- (a) whether the Tanneries at Jind has run in profit during the years 1977-78, 1978-79 and 1979-80 (upto 31st December, 1979); if so, the profit earned separately;
- (b) if reply to part (a) be in the negative the loss suffered during the period mentioned in part (a) above together with the steps; if any, taken or proposal to be taken to make the said Tanneries a profitable venture;
- (c) the categorywise total number of technical/non technical employees working in the said Tanneries along with their of pay, separately; and
- (d) the total number of employees out of those mentioned in part (c) above belonging to Scheduled Castes?

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल):

(क) नहीं।

(ख) वर्ष हानि (रूपये लाखों में)

1977-78 34.67

1978-79 42.52

1979-80 32.65

(31 दिसम्बर, 1979 तक)

राज्य सरकार ने हरियाणा टैनरीज की लाईसैंस क्षमता 2000 सकिन्ज प्रतिदिन से बढ़ाकर 5000 सकिन्ज प्रतिदिन करने के लिये भारत सरकार को अनुरोध किया हुआ है जिसकी स्वीकृति होने पर यह यूनिट वायेबल हो सकेगी। इसके अतिरिक्त भार लैदर कार्पोरे ान, जो भारत सरकार का उपक्रम है, को इस यूनिट की टैक्नो इकनोमिक वायेबिल्टी स्टडी सौंपी हुई है। उनकी रिपोर्ट भीघ्न प्राप्त होने की आ ा है जिसके उपरांत वांछित आगामी कार्यवाही की जायेगी। राज्य सरकार भी कम्पनी को वित्तीय सहायता देने के बारे विचार कर रही है।

(ग) तकनीकी गैर तकनीकी

74

45

एक सूची जिसमे तकनीकी और गैर तकनीकी कर्मचारियों की वर्गानुसार ब्रक अप तथा उनके वेतनमान दिये है, सदन के पटल पर रखी जाती है। (अनुबंध 'क')

(घ) तकनीकी गैर तकनीकी

24

5

अनुबंध "क"

हरियाणा टैनरीज मे 28-2-1980 तक काम करने वाले कर्मचारियो की वर्गानुसार सूची।

क्र. संख्या	पद का नाम	पद संख्या	वेतनमान	पिछड़ी जाति की संख्या
1	2	3	4	5
तकनीकी स्टाफ				
1	जनरल मैनेजर	1	रु. 2000-100-3000	
2	वर्कस मैनेजर	1	रु. 1500-2000	
3	सहायक मैनेजर	2	रु. 400-1100	
4	सहायक फोरमैन	3	रु. 250-500	
5	मैकेनिकल फोरमैन	1	रु. 225-500	
6	म गिन ओपरेटर			
	1) ग्रेड-ए	6	रु. 160-400	

	1) ग्रेड-बी	1	रु. 110-225	
	2) ग्रेड-सी	4	रु. 90-140	
7	कलर सिक्सर	1	रु. 125-500	
8	वेलडर	1	रु. 200-400	
9	इलैक्ट्रि टायन कम मैकेनिक	1	रु. 200-400	
10	इलैक्ट्रिकल वाटर हैल्पर	2	रु. 200 रु. प्रति माह (फिक्सड)	
11	सैमी सकिल्ड वर्कर	35	रु. 200 रु. प्रति माह (फिक्सड)	
12	सैमी सकिल्ड वर्कर	9	रु. 185 प्रति माह	22
13	सलैक्टरज	2	रु. 160-400	22
14	पम्प आपरेटर	1	रु. 100-160	
15	वर्क मिस्त्री	1	रु. 100-160	

16	बोआयलर अटेंडेन्ट	1	रू. 160-400	
17	वायरमैन	1	रू. 90-140	
नान तकनीकी स्टाफ				
18	प्रबंधक निदेशान, आई.ए.एस.	1		
19	वित्तीय नियंत्रक	1	रू. 1500- 2000	
20	मार्केटिंग मैनेजर	1	रू. 1100- 1600	
21	सहायक मार्केटिंग अधिकारी	1	रू. 225-500	
22	स्टोर प्रचेज अधिकारी	1	रू. 225-500	
23	सहायक स्टोर अधिकारी	1	रू. 225-500	
24	स्थापना सहायक	1	रू. 225-500	
25	सहायक लेखाकार	3	रू. 225-500	
26	स्टैनोग्राफरज	2	रू. 225-500	

27	क्लर्कस (i) अकाउंटस क्लर्क (ii) बिक्री क्लर्क (iii) जनरल क्लर्क	3 3 7	रु. 110-225 रु. 110-225 रु. 110-225	
28	स्टोर कीपर	2	रु. 160-400	
29	ड्राईवरजर	2	रु. 130-200	1
30	सेवादार	7	रु. 75-95	1
31	कुक कम चौकीदार	1	रु. 110-225	
32	स्टोर अटेंडेंट	1	रु. 75-95	
33	स्वीपर	2	रु. 75-95	2
34	स्कीयोरिटी होलदार	1	रु. 125-250	
35	चौकीदारज	4	रु. 75-95	1
	जोड़:	119	जोड़:	29

चौधरी सतवीर सिंह मलिक: स्पीकर सहाब, जैसे कि जवाब के पार्ट 'बी' से पता चलता है कि यह कम्पनी लगातार तीन साल से घाटे में चल रही है और अगर आप इसका अनैक चर 'क'

देखे तो उसमे बहुत सारे टैक्नीकल आदमी दिखाए गए है जो इसटैनरी मे लगे हुए है। जब इनको दो हजार स्किन की बजाए पांच हजार स्किन का लाइसेंस नहीं मिला है तो इतनी भारी संख्या मे आदमी क्यों लगाए हुए है ? इसलिये जो फालतु आदमी लगे हुए है क्या उनको कम करने पर विचार करेंगे ?

चौधरी भजन लाल: स्पीकर साहब, इस टैनरी मे जितने आदमियों की आवकता थी उतने ही रखे गये है। इस टैनरी मे कुल 119 आदमी कामकर रहे है। इसमे कोई दो राय नहीं है कि यह टैनरी घाटे मे जा रही है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इस वक्त इसकी क्षमता दो हजार स्किन की है और हमने इसकी क्षमता बढ़ाने के लिये भारत सरकार को रिकवैस्ट की हुई है लेकिन वह मानी नहीं। पिछले दिनों हाल ही मे भारत सरकार ने इंडस्ट्री मिनिस्टर चालना साहब आए थे उनके साथ इस संबंध मे हमारा विचार विमर्श हुआ था और उन्होंने हमे आवासन दिया है कि इसकी क्षमता बढ़ाने की इजाजत जरूर दे देंगे हमे ज्यों ही पांच हजार स्किन की इजाजत मिल जायेगी यह टैनरी प्रोफिट मे चलने लग जायेगी और जितने स्टाफ की जरूरत होगी उतना ही रखेंगे।

श्री मूल चंद मंगला: अभी मुख्य मंत्री जी ने बताया कि इसकी कैपेसिटी दो हजार से पांच हजार करने जा रहे है। मैं पब्लिक अंडर टेकिंगज कमेटी का मॅबर रहा हूं और हमने उस टैनरी का निरीक्षण किया था। उसका घाटे मे जाने का कारण यह भी है कि उनको मार्किट रेट से 15 रूपये फी खाल ज्यादा देनी

पड़ता है। इस वजह से उसमें लाखों रुपये का घाटा है। तो यह जो एकस्ट्रा पैसा देने पड़ता है उस पर नियंत्रण लगाने की कोशिश करेंगे ?

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, चमड़े का कोई कन्ट्रोल नहीं है लेकिन पैसे के अभाव के कारण इसका काम ठीक तरीके से नहीं चल रहा है। सरकार ने अब फैसला किया है कि इस टैनरी को 25 लाख रुपये और दिया जाये, जिसे हम बहुत जल्द देने जा रहे हैं।

चौधरी पीर चंद: क्या मुख्य मंत्री जी बताएंगे कि टैनरी में घाटा इस वजह से भी है कि इसके अंदर कुछ ऐसे कर्मचारी भी लगे हुए हैं जो इस काम से नफरत करने वाले हैं और उनकी इस काम में कोई दिलचस्पी नहीं है ?

चौधरी भजन लाल: इसमें जितनी हरिजनों की रिजर्वेशन होनी चाहिए उससे कम नहीं है बल्कि एक दो आदमी ज्यादा है। जैसे पार्ट 'डी' में जवाब दिया गया है 119 आदमियों में से 29 आदमी रिजर्व्ड कास्टस के हैं। इनमें 24 टैक्नीकल हैं और 5 गैर टैक्नीकल हैं।

श्री लहरी सिंह मेहरा: क्या मुख्य मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि इस टैनरी में इस वजह से तो घाटा नहीं है कि वहां सिर्फ छोटी स्किन का परमिट है और वह हमें हरियाणा के बाहर से खरीदनी पड़ती है। अगर वहां पर बड़ी स्किन का परमिट

मिल जाये तो वह बड़ी स्कैन हरियाणा में मिल सकती है और उसका पूरा यूटिलाइजेशन भी हो सकता है। अगर इस वजह से घाटा है तो क्या इसको दूर करने की कोशिश करेंगे ?

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, जैसे मैंने अभी बताया कि 6-7 दिन पहले चानना साहब यहां आये थे। उनके साथ हमने डिटेल से डिस्कस किया है और उन्होंने हमें विवास दिलाया है कि वे पांच हजार स्कैन की कैपेसिटी बढ़ाने की इजाजत दे देंगे। इससे ज्यादा पैसा भी खर्च होने वाला नहीं है क्योंकि साढ़े तीन हजार की कैपेसिटी की मॉनिटरिंग तो वहां पहले ही लगी हुई है और केवल डेढ़ हजार की कैपेसिटी और बढ़ानी पड़ेगी। जब पांच हजार की कैपेसिटी हो जायेगी तो मेरा ख्याल है स्टाफ भी बढ़ाना पड़ेगा। पांच हजार की क्षमता होने के बाद इसकी एक तरह से अढ़ाई गुना क्षमता बढ़ जायेगी और यह यूनिट बिल्कुल वायएबल होगी।

चौधरी वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो इस तरह की कंसर्नज या कार्पोरेटिंग है जिनमें घाटा है, इनमें चेयरमैन लगाए हुए हैं। अगर इनमें मैनेजिंग डायरेक्टर कम चेयरमैन कर दिये जाये, उससे कुछ न कुछ घाटा कम हो सकता है तो क्या इस बात पर विचार किया जायेगा ?

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, चेयरमैन लगाने से कोई ज्यादा अंतर नहीं पड़ता है मामूली सा अंतर पड़ता है। लेकिन जो पब्लिक का आदमी होता है उसको पब्लिक के सामने जवाब देना पड़ता है इसलिये हमने उनको सोच समझ कर लगाया है ताकि वे भी देखें कि इंडस्ट्रीज किस प्रकार से ठीक तरीके से चल सकती है।

चौधरी रिजक राम: स्पीकर साहब, अभी मुख्य मंत्री जी ने फर्माया कि 1977-78 में इस टैन्री में 34.67 लाख का? 1978-79 में 42.52 लाख का और 1979-80 में दिसम्बर 1979 तक 32.65 लाख रुपये का घाटा था। मैं यह जानना चाहता हूँ कि 1977.78 में और 1978.79 में इस कंसर्न का चेयरमैन का काबलियत के कारण बढ़ा और उस चेयरमैन का नाम क्या था ?

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, इस कंसर्न के चेयरमैन उस समय चौधरी भले राम जी थे। इस घाटे के लिये मैं भले राम जी को दोष नहीं देता। इसलिये नहीं देता कि किसी यूनिट की जब तक क्षमता नहीं बढ़ाई जायेगी तब तक वह फायदे में नहीं जा सकती, चाहे कोई भी चेयरमैन रहे। हां लाख दो लाख का फर्क पड़ सकता है भले राम जी की वजह से घाटा हुआ ऐसी बात नहीं है।

स्थागित तारांकित प्र न एवं उत्तर

Mr. Speaker: Hon'ble Members, I now take up postponed starred question No. 1490 by Capt. Mange Ram जिसके लिये गवर्नमेंट ने दस दिन का टाईम मांगा था जो पूरा हो गया है।

Reservation of posts for Ex Servicemen

***1490. Capt. Mange Ram:** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether the quota of posts reserved for ex servicemen in the matter of recruitment/promotion in various Government Departments has been adhered to according to Government instructions; and

(b) if reply to para (a) above be in the negative, the names of the Departments where the Government instructions regarding reservation of posts referred to above have not been complied with and the steps taken or proposed to be taken to ensure that these instructions are strictly complied with?

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल):

(क) और (ख) इस समय सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों के लिये भूतपूर्व सैनिकों के लिये कोटा 20 प्रति त (श्रेणी III और श्रेणी IV के लिये) और 5 प्रति त (श्रेणी I और श्रेणी II के लिये) आरक्षित हैं यह प्रति तता अधिकतर अवसरों पर प्राप्त करना सम्भव नहीं हो सका है क्योंकि निर्धारित योग्यताएं रखने वाले भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हुए

है। इस कठिनाई को दूर करने के लिये सरकार ने मई, 1979 में यह निर्णय लिया कि भूतपूर्व सैनिकों के आश्रित पुत्रों और पुत्रियों को भी—जो विभिन्न पदों के लिये निर्धारित योग्यताओं, आयु आदि की सारी भाँति पूरी करते हों—भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षित पदों के लिये गुणों के आधार पर विचारा जायेगा। यह हक केवल एक आश्रित बच्चे के लिये उपलब्ध होगा। आता है कि इस ढील के फलस्वरूप भविष्य में पहले से अच्छे परिणाम उपलब्ध होंगे।

श्री अध्यक्ष: मेंबर साहेबान, अब क्वे चन आवर समाप्त होता है।

नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित

प्रश्नों के लिखित उत्तर

**The Haryana Taxation (On Certain Goods Carried by Road)
Ordinance, 1979**

***1657. Shri Mook Chand Jain:** Will the Minister for Finance be pleased to state—

- (a) the date on which the Haryana Taxation (On Certain Goods Carried by Road) Ordinance, 1979 was promulgated, and withdrawn;
- (b) the total amount of income accrued to the State as a result of the promulgation of the Ordinance as referred to in part (a) above; and

(c) whether any representations were received against the Ordinance after 26th may, 1979; if so, copies of the representations received after 26-5-79 be place on the Table of the House?

वित्त मंत्री (लाला बलवंत राय तायल):

(क) हरियाणा काराधान (कुछ वस्तुओ के सड़क मार्ग द्वारा वहन पर) अध्यादे 1, 1979 दिनांक 21-4-79 से लगाया गया था औरी 21-7-79 को वापिस ले लिया गया था।

(ख) 5215052 रूपये।

(ग) जी हां, 26-5-79 के बाद 10 प्रत्यावेदन प्राप्त हुये थे जिनकी प्रतियां सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

Representations		
Details of the ten representations received after 26-5-79 against Haryana Taxation (On Certain Goods Carried by Road) Ordinance, 1979.		
Sr. No.	No. and date of representation/letter	Source from which recied
1	Letter No. a/79/405 dated 30-5-79	Smalkha Industries Association Smalkha, Distt. Karnal.
2	Letter No. GTM/Sales Genl., dated 1-6-79	Hindustan Machine Tools Ltd., Pinjore.

3	Letter No. FIA/79/582 dated 5-6-79	Faridaba Industries Association Industries Area, Faridabad.
4	Letter No. 8106, dated 15-6-79	The Altas Cycle Industries, sonapat.
5	Letter No. MSL/ED, dated 22-6-79	Hindustan Machine Tools Ltd., Pinjore.
6	Letter No. FIA/79/661 dated 27-6-79	Faridabad Industries Association, Faridabad.
7	Letter No. FIN/56/5025 dated 11-7-79	Chairman, Haryana Affairs Committees, Punjab Haryana and Elhi Chamber of Commerce and Industry, New Delhi.
8	Letter No. FIA/79/818, dated 25-7-79	Faridaba Industries Association, Faridabad.
9	Letter No. Nil, dated 3-8-79	Remington Rand Of India Ltd., Mathura Road, Faridabad.
10	Letter No. PK, dated 9-8-79	Hindustan Milk Food Manufactures Ltd., Kasturba Gandhi Marg, New Delhi.

Copy of Letter No. a/79/405 dated May 30, 1979 from Smalkha Industries Association, Samlkha, Distt. Karnal addressed to the Hobourable Finance Minister, Haryana, Chandigarh.

Sub. :- **Exemption of Road Tax on Chaff Cutters.**

Sir,

With due regards we bring it to your kind knowlege that only from the last one week Haryana, Delhi sales tax barried has started charging 1% road tax even on Chaff Cutters.

We may submit that our product i.e. Chaff Cutter or toka is not a machine but an agricultural implement exdmpted from all sorts of central or state sale tax or any other duties.

We have to face a vest competition with Punjab which is the origin and biggest market of Chaff Cutters. So, yuour goodself is requested to please issue directives for necessary clarification to the check of posts.

Thanking you very much,

Sd/-

President,

Samalkha

Indus.

Association,

Copy to

(1) Excise and Taxtion Commissioner,

Haryana Chandigarh,

HINDUSTAN MACHINE TOOLS LTD.,

MACHINE TOOLS DIVISION,

PINJORE 134101

DISTT. AMBALA, INDIA

Date 1st June, 1979

Ref. GTM/Sales Genl.

The Secretary,

Government of Haryana,

Chandigarh.

Kind Attn: Mr. B.S. Ojha Hom Commissioner.

Dear Sir,

Sub: Haryana Taxation (On Certain Goods Carried by Road) Ordinance, 1979.

Kindly refer to the discussions we had with you on 31st may, 1979 on the above subject. During our meeting we explained you that following:-

- (i) We are manufacturers of sophisticated machine tools and agricultural tractors.
- (ii) Our is a multi unit organisation with factories spread all over the country.
- (iii) The terms of payment are uniform for goods from our all the units.

In view of the imposition of road tax by Haryana Government, in addition to the procedural difficulties since

the additional levy has to be borne by us, our competitiveness in the market has been adversely affected.

About 25% of our machine tools are exported, where to enable us to meet with the international competition, we have to sell practically without any profit margin.

We also explained to you the operational difficulties of payment of this levy. We have given fair during the month of May, 1979 and find that:-

- (i) Handling of huge amount of cash is leading to obvious difficulties.
- (ii) Although the despatches by Rail are exempt from this levy. We are still forced to pay this levy since the nearest development rail head for us happens to be Chandigarh. As it was not practicable to develop the loading facilities at Kalka, we have during the course of last 16 years developed facilities at Chandigarh Railway Station.
- (iii) Since the export of goods does not attract any other inland tax, this levy does not appear to be justified.

In view of the facts explained, we request you to kindly consider the full withdrawal of this levy and pending the decision on this, we request you to permit us atleast the following:-

- (i) Deduction of the levy at source and permission either for pre payment or post payment.

- (ii) Permission to operate all our rail traffic from Chandigarh Railway Station without attracting this levy.
- (iii) Full withdrawal of this levy from all our export consignment and refund of the levy already paid on exports consignments.

Hopping for favourable consideration and thanking you.

Yours Faithfully,

for H.M.T. Ltd.

Sd/-

(G.N. Srivastava)

General Technical

Manager.

Copy of letter No. FIA/79/582 dated 5th June, 1979 from Faridaba Industries Association, Bata Chowk, Industries Area, Faridabad-121001, addressed to Shri Mool Chand Jain, Hon'ble Finance Minister, Government of Haryana, Chandigarh.

Dear Sir,

We confirm having sent the following telegram:-

“Goods carried by Railway containers being taxed under the Road Ordinance (.). These containers' goods moving under Railway receipts which are exempted under Ordinance

(.) Kindly instruct local officials not to tax Railway containers' goods"

As you are kindly aware, the Government of Haryana introduced an Ordinance under the name and style Haryana Taxation (on certain goods carried by roads) Ordinance, 1979. Under this Ordinance, certain goods that are coming in and going out by roads are being taxed as per the schedule appended with the Ordinance. The object of the Ordinance, if I am permitted to say so, is to tax the goods that are being carried by road and there is an express provision in the Ordinance exempting the goods that are being carried by Railway or Airways.

As you are kindly aware, the Northern Railway is operating containers service from Delhi, since the Central Railway has not introduced containers service at Faridabad. The Northern Railway usually sends the empty containers to Faridabad for taking the manufactured goods into the containers for onward despatches to the various destinations spread throughout the length and breadth of the country. In point of fact, the factories are getting cleared Railway Receipts Ex-Faridabad to various stations issued by the Northern Railway. The system is somewhat like out Agency system is being operated by the Railway by which the Railways use to give Railway tickets which is valid for movement by roads also. The local authority are taxing such containers' goods under the above Ordinance which is a clear negation of the Ordinance. The Committee of the Association, therefore earnestly request you to kindly instruct the officials not to tax such containers'

goods moved by the Railways, as it is the property of the Railways.

While on the subject, some factories are exporting their goods to foreign countries and these goods are also covered under this Ordinance. You will be appreciative that even under the Central Excise law the goods that are being exported to foreign countries are exempted from the operation of the Central Excise Tariff. A similar provision should also be introduced in this Ordinance, as the goods that are being exported to foreign countries have to face a stiff competition in the foreign market.

A benign response is solicited.

Thanking you,

Yours faithfully,

Sd/-

(K.C. MAYOR)

President,

THE ATLAS CYCLE INDUSTRIES LIMITED

Registered Office: Atlas Nagar, Atlas Road, Sonapat.

Post Box No. 20,

SONEPAT-131001

(Haryana)

INDIA.

India's Largest Producer of Quality Bicycles.

AUTO CYCLE DIVISION

Ref. No. 1806

15-6-1979

Excise and Taxation Commissioner,
Haryana, Chandigarh.

Dear Sir,

Sub:- Ordinance imposing tax on mopeds despatched
by road outside Haryan.

We beg to invite your kind attention to the Ordinance No. 2 of 1979 dated 21-4-79 as subsequently amended by notification No. S.O.63/H.O.2/79/S.5/79 dated 26-5-79 and No. S.O. 64/H.O.2/79/S.3/79 dated 26-5-79* imposing fresh levy of goods tax on certain items going out of the State of Haryana. Under this Ordinance mopeds have been subjected to this tax @ Rs. 5/- per moped.

2. Obviously, this measure gives final shape to the following observation made by the Finance Minister, Haryana while presenting the budget estimates of the State for the year 1979-80:-

“Haryana was facing another serious problem of tax evasion since long. Many industrialists, having their industries in Haryana have kept their head officers outside Haryana, especially in Delhi, Their factories produced goods in Haryana but their goods were not shown as sold here. These were and are transferred to Delhi and there as the rate of central sales tax is also much lower in Delhi. Haryana is thus deprived

of crores of rupees of central sales tax every year besides loss in its share of income tax. Besides repeated attempts these industrialists have failed to shift their head offices to Haryana”.

3. In this connection, we wish to submit that our registered office is situated at Sonapat and we do not have any sales depots anywhere outside the State. We do not make any stock transfers at all outside Haryana. All the sales effected by us attract either local sales tax or central sales tax which go to the coffers of Haryana State.

4. Our mopeds, therefore, suffer double taxation one in the form of central & local sales tax and again new goods tax. Obviously, this was not the intention of the State Government as is abundantly borne out by the above statement of Finance Minister, Haryana.

5. At the time of presenting Finance Bill, 1979 to the Parliament (now enacted Finance Act, 1979), Deputy Prime Minister and Finance Minister had, inter alia, stated:-

“.....Mopeds which are used by comparatively less affluent people and consume less fuel, will bear a lower duty of 10 % as against existing rate of 13.1 %.”

Thus keeping in view that mopeds were used by the lower middle class the Central Government has not only not increased excise duty on moped, but has reduced it by 3.1 %.

6. The recent steep increase in the steel prices and the rubber products like tyres and tubes has already dealt a

crippling below to the moped industry. Moped is used by relatively less affluent section of the society. Use of moped deserved encouragement by lowering taxes instead of making this item more expensive by imposing fresh levies.

7. It is just possible that some other manufacturers of vehicles included under item 19 of the Schedule viz. motor cycles, scooters, mopeds, auto rickshaws within the State of Haryana might be transferring their goods to their head offices, sub offices or sale depots in other States. There may be justification in levying goods tax in such cases as also announced by the Finance Minister, Haryana. But we submit that in our case where we are paying full central sales tax whenever our goods go out of the State of Haryana, levying of goods tax is not equitable. We would request that the Ordinance may please be amended suitably to provide that in cases where in respect of items going out of the State of Haryana, Central sales tax has already been paid, no goods tax under this Ordinance will be levied. Such a provision, while safeguarding against double taxation, will ensure that the loophole in taxation is suitably plugged in other cases where central sales tax has not been paid.

8. We in Sonapat have also to compete with moped industry in Ludhiana. Punjab Government has not levied any goods tax on such vehicles going out of the State of Punjab. We are, therefore, placed in a very unenviable and uncompetitive position vis à vis our competitors in the neighbouring States.

9. We, therefore, request that the matter may please be given sympathetic consideration and that the

Ordinance may be suitable amended to ensure that either central sales tax is paid or goods tax is paid whenever the specified goods hleave the border of Haryana State, but not both.

Thanking you,

Yours faithfully,

for THE ATLAS CYCLE INDUSTRIES
LTD.

Sd/-

Copy of letter No. MSL/ED dated 22nd June, 79 from HINDUSTRAN MACHINE TOOLS LTD. Machine Toolds Division, Pinjore, Distt. Ambala, addressed to the Excise & Taxation Commissioner, Government of Haryana, Sector-17, Chandigarh.

Dear Sir,

Sub:- Haryana Taxation (on certain goods carried by road) Ordinance, 1979.

This is to thank you for the countesies extended to the undersigned during his visit to your office on 18th June, 1979. During our discussions, we had explained to you the difficulties faced by HMT in view of the above tax imposed by the Haryana Govt.

2. We understand that Government is presently contemplating to exempt such goods from this tax which are

carried by road and on which Central Sales Tax has already been paid.

3. Export of goods does not attract any other inland tax like Central Excise Duty and Central Sales Tax. Goods exported by us are sealed by the Central Excise Department at our premises before despatch by road to various Indian ports for onward shipment for export. We request that such goods should also be exempted from road tax even though no CST is paid on the same.

We request you to kindly consider the full withdrawal on this levy on both inland and export despatches and pending decision on this, we request you to permit us at least for the following:

- (i) Deduction of this levy at source and permission either for pre payment or post payment.
- (ii) Permission to operate all our rail traffic from Chandigarh Railway Station without attracting this levy.

Yours faithfully,

for H.M.T. Ltd.,

Sd/-

(Chandra Parkash)

Manager Sales.

Copy of letter No. FIA/79/661 dated 27th June, 79 from FARIDABAD INDUSTRIES ASSOCIATION. Bata Chowk, Industrial Area, Faridabad-121001, addressed to Shri Sajjan Singh, Dy. the Excise & Taxation Commissioner, Government of Haryana, Chandigarh.

Sub:- Haryana Taxation (On Certain Goods Carried by Road) Ordinance, 1979. levy of tax on Railway container goods thereunder.

Dear Sir,

Please refer to your letter No. 2012 dated 25th June, 1979 addressed to Shri Autar Singh, the former President of the Association. In this connection, we are sending enclosed a letter addressed to the Hon'ble Finance Minister, Haryana detailing the hardship that will ensure to the industries, in case the tax is imposed on the goods that are being carried by the Railways by road movement in their containers.

While on the subject, we wish to inform you that the Local Excise & Taxation authorities are interpreting the Ordinance for imposing tax on the cutting tools namely Hacksaw Blades, Slitting Saws, Slotting cutters and Tool Bits etc. The above items are clearly exempted from the purview of the road tax Ordinance. But the local Excise authorities are including these items under schedule No. therefore, request you to kindly issue suitable instructions to the local Excise staff not to tax cutting Tools such as Hacksaw Blades, Slitting Saws, Slitting cutters and Tool Bits etc. falling under tariff Item 51 A of the Central Excise.

It is in this regard, it may be stated that the Government by a Notification have regard, it may be stated that the Government by a Notification have removed certain items from the Schedule on 26th May, 1979. By the above Notification textiles have been removed from the schedule.

Some members who have paid the road tax till the removal of the item from the schedule are now approaching the Association for the refund of their money given by them as tax to the Govt. It is a genuine request and as you are aware, any bad law is bad from the inception. We, therefore, request you to kindly consider these cases sympathetically and issue favourable order for refunding the amount collected from such factories.

Your benign response is solicited.

Thanking you,

Yours faithfully,

Sd/-

(G.C. NARNG)

Hony. General Secretary.

Encl: As stated

Copy of memo No. Fin/56/5026 dated 11th July, 1979 from Chairman, Haryana Affairs Committee, Punjab-Haryana and Delhi Chamber of Commerce and Industry, New Delhi.

Haryana Taxation (On Certain Goods Carried by

Road) Ordinance, 1979.

The Haryana Taxation (on certain goods carried by road) Ordinance, 1979. was promulgated on 21st April, 1979 to provide for the levy of a tax on certain goods, listed in the Ordinance carried by road while leaving the State of Haryana and for certain connected matters.

The idea originally to impose this tax was that stock transfer should be discouraged and revenue due to the State Government thus escaping should be plugged. However, the Ordinance has gone beyond this idea and covers certain specified goods, irrespective of the fact whether any stock transfers involved or not. The Ordinance as it stands will have numerous ill effects and disadvantages to industry in Haryana.

1. Economic Viability

This new tax, as envisaged, will affect the economic viability of many industrial units and trade enterprise in the State, which would be neither in the interest of the State or that of the affected units.

Haryana is the lonely State which has put up such a barrier tax. It is a small State with limited consumption. Industry in Haryana has, therefore, necessarily to sell its products outside the State in competition with its counterpart in other States where there is no such lev. This will make Haryana industry's products uncompetitive thus affecting sales.

The State has a surplus production for various items enumerated in the schedule of the Ordinance. Being situated in proximity to Delhi sold mostly in these neighbouring States. The increase in cost of such items due to the levy of the above tax will thus affect all industry and distribution trade.

2. Ancillary Industry

It would be agreed that industry in Haryana is in a developing stage and has yet to come of age. In such a formative stage, it needs on the contrary, all the encouragement and incentives for growth and development. The character of industry in Haryana is mainly one of small scale acting as ancillary units to large/medium industries located outside the State, as Haryana itself has not very many large industries to foster the culture of ancillarisation. As it is, the shortage of essential raw material and their current high prices are causing innumerable difficulties and problems to ancillary industry. The new levy will add to their problems and act as a major deterrent to further ancillary growth in the State.

3. Transport Business

This tax is chargeable at the barriers in the State. This will greatly effect transport business, for it is well known that these barriers act as great bottlenecks in the speedy movement of goods from state to State and cause immense damage to the efficiency of road vehicles. It is for this reason that discontinuance of octroi is being contemplated. Instead of helping in the direction of reducing delays and waiting time of

vehicles, the present levy, on the contrary, will multiply the problems of the business community.

4. Double Taxation

Ambiguity, in the definition of the term, "Goods" in the Ordinance has often led to double taxation. In certain case, some unfinished material has to be sent outside the State for further processing. After processing these materials are returned to the manufactures in the State for finishing or assembly purposed and then despatched out of the State. In each of these cased, when sent for processing/assembly or as finidhed goods, the tax is levied, leading to double taxation.

5. Anomalies

Moreover there are serval complications with regard to the working out of this Tax:-

- (a) In case of heavy consignments, valuing lakhs of ruppees, the tax payable at the barriers will exceed Rs. 2500/-. As per Income Tax Act, industrial unit, concerned make any payment exceeding Rs. 2500/- in cash.
- (b) The tax is payable at the inter state barriers and hence the industry concerned will have to give cash to the truck driver or depute their representatives to the barriers, for making the payment. In cases where numerous consignments are despatfhed daily, it is not possible to know as to when the trucks will reach the inter state

barriers. It is also not safe to give large sums of money to truck drivers.

- (c) As no detailed definition of the term "Goods" in the schedule attached to the Ordinance has been given, it is difficult to classify as to what item is liable to tax. For example, no definition of machine and machine tools has been given. Moreover spares/machinery parts etc. are also being taxed at the barriers because normally transporters are illiterate and cannot give necessary clarification. In addition to this, this tax is payable on the invoice value of the goods which includes taxes, duties and other non taxable charges like forwarding inspection, insurance freight, which is not justified and should be withdrawn, with immediate effect.
- (d) Several Railway stations in Haryana are under equipped to handle the heavy goods, traffic emanating from the industrial towns.

As it is well known Faridabad Railway Station does not have enough booking facilities. Consequently units are constrained to send their goods to Delhi Railway Station for onward despatches. Deliveries of goods have to be made within a time bound schedule to customers both in the public and private sectors. Non availability of wagons at Faridabad Railway Station does not exempt the consignees from the imposition of liquidated damages and penalties in the event of delays in deliveries. Consequently the consignors have to pay the road tax while moving their goods from Haryana to Delhi

Railway Station. It will be appreciated that such an exist of goods is being made mour out of a necessity than out of a voluntary wish. This is an additional financial burden and acts as a great disadvantage compared to various competitors in other States. In such a case road tax should be refunded on documentary evidence.

In view of the above problems and difficulties, I request you to kindly have the Ordinance reviewed in light of the original intention of the State Government of plugging loopholes and discouraging branch transfers of goods. I Trustthis would receive you sympathetic consideration.

With kind regards,

Yours sincerely,

Sd/-

(Bishamber Das

Kapur)

Dr. Mangal Sein,

Hob'ble Industries Minister,

Haryana, Chandigarh.

Copy of letter No. FIA/79/818 dated 25th July, 79 from Faridabad Industries Association, Bata Chowk, Industrial Area, Faridabad, addressed to the Excise & Taxation Commissioner, Government of Haryana, Chandigarh.

Sub:- Road Tax

Dear Sir,

As you are aware, the Government of Haryana promulgated an Ordinance under name and style Haryana Taxation (on certain goods carried by road) Ordinance, 1979 which is effective from 21st of April, 1979. The Ordinance contained a list of article in the Schedule for levying such tax. It has specifically excluded from its purview the Electric Motors and the Mono block pumping Sets which are primarily used for agricultural purpose. The local Excise authorities are levying 1% tax on the above items causing considerable difficulties to the small scale manufacturers.

The Committee of the Association, therefore, earnestly request you to kindly issue instructions to the local staff not to levy 1 % tax on the Electric Motors and Mono block Pumping Sets used for Agricultural purpose.

A benign response is solicited.

Thanking you,

Yours faithfully,

Sd/-

(C.L.

SAWHNEY)

Chairman,

Taxation Panel.

Copy of letter No. Nil dated 3rd August, 1979, from Remington Rand of India Limited, Plot No. 3, Sector 6207

Mathura Road, Faridabad, addressed to Sh. Rajinder Singh,
Excise & Taxation Commissioner, Chandigarh.

Subject:- The Haryana Taxation (on certain goods
carried by road) Ordinance, 1979

Dear Sir,

Please refer to the above Ordinance dated 21st April, 1979. Our Company manufactures portable Typewriters, Safe Files and Kardveyers and transfers same to our Branches which are located all over India. As per schedule attached to Section 4 our items are not covered under the aforesaid Ordinance but the Sales Tax barrier persons are charging 1 % of the value of our products also. We had discussed the matter with the Excise and taxation Officer, Faridabad, who has also advised us that our goods are not covered under this Ordinance but is not giving us in writing. He has asked us to forward our request to your goodself. Hence this request.

We would like to request you to please advise the authorities that our products are not covered under this Ordinance. We will be very thankful to you if an early action is taken.

Thanking you,

Yours Faithfully,

for Remington Rand of India
Limited.

Sd/-

(S.K. Maggu)

Plant Accountant,

Faridabad.

Hindustan Milk Food Manufacturers Ltd.

P.O. Box 407, New Delhi, India Himalaya, House, 5th
Floor,

23-Kasturba Gandhi
Marg,

New Delhi-110001,

August 9, 1979.

KCD: PK

The District Excise and Taxation Officer,

Plot No. 5, Sector 6,

Faridabad.

Re: Application under Rule 12 for refund of tax paid
from April 21, 1979 till May 26, 1979, under
Haryana Taxation (On Certain Goods Carried by
Road) Ordinance, 1979.

Dear Sir,

Our company is engaged in the manufacture and sale
of Milk Food and dairy products popularly known in the

market as 'Horlicks', 'Boost' etc. These products are manufactured at our works located at Nabha (Punjab) and Rajahmundry (Andra pradesh) and the manufactured products in powder form are put in steel drums and transported to our packing stations located inter alia at Faridabad where the products are packed into unit containers in bottles for marketing. The products are then distributed on consignment basis to and through our dealers all over India. The products packed at Faridabad are manufactured at Nabha (Punjab).

As our company brings its products into Haryana only for purposes of packing, such activity does not fall within the mischief sought to be prevented by the above Ordinance, namely manufacture of goods within Haryana but sales outside Haryana to avoid Haryana Sales Tax.

In light of the above we made a representation to the Government of Haryana and also had personal interview with the Minister Finance pursuant to which by Notification No. S.O. 64/H.O.2/79/S.3/79, dated the 26th May, 1979, the Governor of Haryana was pleased to amend the Schedule to the Ordinance by inter alia deleting entry No. 11 which included Milk Powder and other Milk Products.

We had earlier been advised that the said Ordinance was invalid and unconstitutional as being beyond the legislative competence of the State legislature and beyond the constitutional powers of the Governor of Haryana but we preferred to await executive decision. In any event so far as our products are concerned, the matter has now been placed beyond controversy by the said Notification dated 26th May, 1979, deleting entry 11 of the Schedule to the Ordinance. As

such we are now entitled to a refund to the tax paid by us from April 21, 1979 till May 26, 1979 as per annexure "A" attached.

Kindly sanction the refund due to us and issue a refund voucher in Form STR 34 in our favour as per Rule 12 of the Haryana Taxation (on certain goods by road) Rules, 1979.

We a wait to receive the refund voucher at an early dated.

Yours faithfully,

for HMM Limited.

Sd/-

Authorised Signatory.

CC. The Commissioner,

Excise & Taxation Department,

Haryana, Sector-7, Chandigarh.

Annexure 'A'			
A. Details of Haryana Goods Tax @ 1% paid on bulk Horlicks, Elaichi Horlicks and Boost brought in Haryana during the period 21-4-79 to 26-5-79			
Goods Tax Receipt		Amount	Remarks
Number	Date	Rs.	

16710/24	7-5-79	524.00	
29704/96	21-5-79	532.00	
29704/95	21-5-79	524.00	
29709/40	10-5-79	612.00	
7157/33	16-5-79	612.00	
24043/15	6-5-79	594.00	
16710/24	7-5-79	594.00	
24674/96	10-5-79	594.00	
14537/2	11-5-79	594.00	
24043/95	10-5-79	594.00	
14537/1	11-5-79	594.00	
14537/50	13-5-79	594.00	
24081/45	13-5-79	594.00	
23823/34	15-5-79	594.00	
25127/45	17-5-79	594.00	
29492/71	18-5-79	594.00	
29492/72	18-5-79	594.00	
29325/28	19-5-79	594.00	
	Total A	10526.00	

B. Details of Haryana Goods Tax @ 1% paid on bulk Horlicks, Elaichi Horlicks and Boost brought in Haryana during the period 21-4-79 to 26-5-79

Goods Tax Receipt		Amount paid	Remarks
Number	Date	Rs.	
7314/09	3-5-79	670.00	
31458/79	3-5-79	1150.00	
30834/16	3-5-79	1150.00	
30879/5	3-5-79	1150.00	
30879/35	3-5-79	670.00	
30702/67	4-5-79	1150.00	
23410/24	5-5-79	700.00	
17158	8-5-79	1150.00	
17163/47	8-5-79	1265.00	
2311/37	9-5-79	1265.00	
17317/57	9-5-79	1265.00	
17317/58	9-5-79	1265.00	
24257/50	10-5-79	690.00	
24429/37	10-5-79	230.00	

31410/97	12-5-79	387.00	
25109/35	”	1265.00	
24354/78	15-5-79	505.00	
24539/87	15-5-79	650.00	
24638/42	17-5-79	1265.00	
24638/72	17-5-79	304.00	
2406/31	17-5-79	1265.00	
24638/95	17-5-79	485.00	
24596/76	19-5-79	1265.00	
8884/18	19-5-79	172.00	
24524/78	25-5-79	1315.00	
24056/90	29-5-79	709.00	
15808/44	21-5-79	501.00	
15808/50	21-5-79	199.00	
22016/02	21-5-79	345.00	
25148/38	22-5-79	115.00	
24169/103	22-5-79	57.00	
24169/104	22-5-79	57.00	
24169/105	”	204.00	

24538/38	1-5-79	250.00	
24638/72	17-5-79	402.00	
8884/18	19-5-79	250.00	
15808/44	21-5-79	750.00	
15808/46	”	562.00	
15808/50	”	250.00	
25148/38	22-5-79	250.00	
24169/103	”	188.00	
24169/104	”	63.00	
16633/16	29-5-79	268.00	
24353/98	26-5-79	63.00	
24538/38	1-5-79	1018.00	
37	1-5-79	1422.00	
31416/41	2-5-79	1282.00	
7439/22	4-5-79	1373.00	
30702/68	4-5-79	1283.00	
16721/38	5-5-79	798.00	
1672/78	5-5-79	1283.00	
24644/95	7-5-79	1283.00	

24631/25	7-5-79	781.00	
23122/20	7-5-79	1298.00	
17163/2	8-5-79	1283.00	
17158/98	9-5-79	1283.00	
24666/91	9-5-79	1283.00	
24257/69	10-5-79	11127.00	
7199/86	”	1282.00	
24429/37	”	1035.00	
12870/69	11-5-79	781.00	
24025/13	11-5-79	1368.00	
31410/97	12-5-79	992.00	
24350/70	13-5-79	1283.00	
15666/13	13-5-79	1336.00	
17315/51	14-5-79	909.00	
”	”	427.00	
15412/13	14-5-79	1283.00	
15412/12	14-5-79	1283.00	
24354/78	15-5-79	177.00	
24638/95	18-5-79	631.00	

24547/10	18-5-79	1283.00	
8884/18	18-5-79	552.00	
24056/74	20-5-79	717.00	
24056/90	29-5-79	391.00	
24056/91	20-5-79	124.00	
15808/46	21-5-79	744.00	
15808/50	21-5-79	274.00	
22016/02	21-5-79	667.00	
25148/38	22-5-79	513.00	
24169/103	”	691.00	
24169/104	”	62.00	
24147/87	24-5-79	1290.00	
24087/15	24-5-79	860.00	
”	”	148.00	
24087/85	25-5-79	1283.00	
16633/16	25-5-79	521.00	
17464/83	26-5-79	684.00	
24353/98	”	1250.00	
17160/47	”	781.00	

	Total B	70635.00	
	Total A+B	Rs. 81161.00	

Sd/-

for HMM Limited.

Authorized Signatory.

Employment to the Unemployed Graduates

***1489. Chaudhri Ram Lal Wadhwa:** Will the Minister for Public Works (Public Health) be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Govt. to provide employment to the un employed graduated in the State; if so, the details therefore?

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (चौधरी मेहर सिंह राठी):
शिक्षित बेरोजगारों (मैट्रिक पास तथा इससे अधिक) को रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से सरकार ने कई रोजगार स्कीम्स चलाई हैं। ये स्कीम्स मुख्यतः कृषि सेवा केन्द्र स्थापित करना, कृषि सेवा विस्तार कार्यक्रम का प्रसार, शिक्षित युवक/युवतियों को लघु डेरीज की स्थापना पर स्वतः रोजगार देना, ग्रामीण औद्योगिकरण स्कीम, शिक्षित युवकों (जिसमें तकनीकी शिक्षा प्राप्त भी शामिल है) को स्वतः रोजगार इकाईयां स्थापित करने के लिये सीड कैपिटल/मार्जिन मनी को सहायता प्रदान करना तथा

प्रौढ शिक्षा कार्यक्रम से संबंधित है। इन स्कीम्स के अधीन बेरोजगार स्नातक भी रोजगार प्राप्त कर सकते हैं।

Construction of Bridge over Yamuna River

***1631. Shri Fateh Chand Vij, Master Shiv Parshad:** Will the Minister for Public Works (B&R) be pleased to state—

- (a) whether the Govt. is aware of the fact that the bridge on Yamuna River linking Panipat with Uttar Pradesh has been rendered unfit for traffic for the last one and a half years due to damage caused to it by floods;
- (b) whether the Govt. has made any correspondence with the Uttar Pradesh Govt. for its repairs; if so the details thereof; and
- (c) whether it is also a fact that the Govt. has written to the Uttar Pradesh Govt. that the Haryana Govt. is prepared to get the bridge repaired if they are not willing to do so and if so, the details of the reply so far received from the Govt. of Uttar Pradesh?

लोक निर्माण मंत्री (कंवर राम पाल सिंह):

(ए) हां, जी।

(बी) हां, जी। इस पुल को क्षति के कारण जनता की अति कठिनाई को ध्यान में रखते हुए, हरियाणा सरकार ने 17.3.79

को सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, लोक निर्माण विभाग को इस पुल की मुरम्मत भीघ्न कराने हेतु एक पत्र लिखा।

(सी) नहीं, जी।

New Water Works on Jhajjar Road Rohtak

***1599. Dr. Mangal Sein:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

- (a) whether a new water works is being constructed on Jhajjar road in Rohtak; if so, the capacity thereof;
- (b) the estimated expenditure to be incurred on the above said water works together with the amount sent so far;
- (c) the time by which it is likely to be completed; and
- (d) the extent to which the capacity of water distribution will be increased after the completion of the said water works?

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (चौधरी मेहर सिंह राठी):

(क) हां, जलधर की क्षमता निम्नलिखित है:—	
चरण—I	10 लाख गैलन प्रतिदिन
चरण—II	12 लाख गैलन प्रतिदिन
(ख) अनुमानित राशि निम्नलिखित है:—	
चरण—I	84.91 लाख रूपये

चरण-II	95.09 लाख रुपये
कुल जोड़	95.09 लाख रुपये

केवल पहले चरण का कार्य हो रहा है। फरवरी, 1980 तक 60.83 लाख रुपये व्यय किये जा चुके हैं।

(ग) पहले चरण के कार्य दिनाओं में धन राशि जो नगरपालिका रोहतक द्वारा मार्च, 1981 तक जमा करवाई जानी है, के उपलब्ध होने पर पूरा होने की आशा की जा सकती है। दूसरे चरण के बारे में कोई निश्चित समय नहीं बताया जा सकता क्योंकि यह धन राशि उपलब्ध होने पर निर्भर है।

(घ) पहले चरण का कार्य समाप्त होने पर पानी देने की क्षमता 10 लाख गैलन प्रतिदिन बढ़ जायेगी तथा दूसरे चरण का पूर्ण कार्य समाप्त होने पर पानी की क्षमता 22 लाख गैलन प्रतिदिन बढ़ जायेगी।

Neurology/Neuro-surgery Departement in the

Govt. Medical College, Rohtak

***11549. Ch. Sant Kanwar:** Will the Minister be pleased to state—

(d) whether Neurology or Neuro Surgery Department exists in the Medical College, Rohtak at present;

(e) if so, the details of the staff posted therein; and

(f) if not. whether there is any proposal under consideration to open Neurology or Neuro Surgery Departement with adequate staff there?

लोक निर्माण मंत्री (कंवर राम पाल सिंह):

(क) (i) न्यूरोलौजी का कोई अलग विभाग नहीं है। परन्तु इसका एक अनुभाग मैडिसिन विभाग मे ही एक प्रौफैसर, जिसने इस विशय मे एडवांसड ट्रेनिंग ली हुई है, के अधीन चल रहा है।

(ii) जी नहीं। न्यूरो सर्जरी विभाग खोलने के लिये पद स्वीकृत है और स्थान भी उपलब्ध हे परन्तु उपयुक्त टीचिंग स्टाफ न मिलने के कारण इस विभाग ने कार्य करना अभी आरम्भ नहीं किया है।

(ख) जी नहीं।

(ग) उपयुक्त स्टाफ सहित न्यूरो सर्जरी विभाग खोलने के बारे में प्रस्ताव विधाराधीन है।

Extension of Rara Minor

***1635. Sh. Jai Narain Verma:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state whether there is any proposal under considreration of the Govt. to extend Nara Minor to Village Mirchpur in Barwala constituency, if so, the steps, if any, taken for the extension thereof?

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (चौधरी मेहर सिंह राठी):
नहीं। नाडा माईनर को गांव मिरचपुर तक बढ़ाने की मांग थी
जिसको विचार उपरांत अस्वीकार कर दिया गया।

Remodelling of Ottoo Bridge

***1527. Sh. Bhagi Ram:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Govt. to remodel the Ottoo Bridge of District Sirsa; if so, the time by which it is likely to be remodelled?

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (चौधरी मेहर सिंह राठी):
हां। ओटू पुल को रिमौडल करने का प्रस्ताव है, जिसका कार्य धन
राशि की उपलब्धि होने पर जून, 1981 तक पूर्ण होनी की
सम्भावना है।

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

New Water Works on Jhajjar Road Rohtak

356. Ch. Ram Lal Wadhwa: Will the Minister for Development and Panchayats be pleased to state—

(a) the district wise total number of residential houses and shops together with the names of place where constructed during the period from 1966-67 to 1979-80 (to date) in the State by the Housing Board, together with

the criteria adopted for the allotment thereof, separately;
and

(b) the district wise total number of residential houses and shops together with the names of places where they are likely to be constructed during the years 1980-81 and 1981-82 together with the criteria to be adopted for the allotment thereof, separately?

विकास मंत्री (राव राम नारायण):

(ए) और (बी) अपेक्षित सूचना सदन के पटल पर रख दी गई है।

सूचना

(ए) आवास बोर्ड, हरियाणा अगस्त, 1971 में स्थापित किया गया था। अतः 1966-67 से 1971-72 की अवधि के दौरान किसी भी रिहायश मकान और दूकानों का निर्माण नहीं किया गया।

राज्य में 1972-73 से 1979-80 की अवधि के दौरान आवास बोर्ड द्वारा बनाए गए (I) रिहायश मकानों, और (II) दुकानों की जिलावार कुल संख्या तथा जहां वे बनाए गए उन स्थानों का नाम इस प्रकार है:—

वर्ष	जिले का नाम	स्थान	श्रेणीवार निर्मित मकानों की संख्या
------	-------------	-------	------------------------------------

			एम. आई. जी.	एल. आई. जी.	इ. डब्ल्यू. एस.	जोड़
1972-73	फरीदाबाद	सैक्टर-7, फरीदाबाद	—	—	500	500
			—	—	500	500
1973-74	फरीदाबाद	सैक्टर-22, फरीदाबाद	164	252	468	884
	करनाल	पानीपत फेज I और II	77	32	109	218
	अम्बाला	यमुनानगर	25	6	117	148
			266	290	694	1250
1974-75	सोनीपत	सोनीपत-I	78	16	129	223
	अम्बाला	अम्बाला	48	44	119	211
			126	60	248	434
1975-76	अम्बाला	पंचकूला	51	84	147	281

	करनाल	करनाल	132	64	244	440
			183	148	391	722
1976-77	गुड़गांव	गुड़गांव	74	49	61	184
	जींद	जींद फेज-I	22	26	60	108
	सोनीपत	राई स्पोर्टस डिपार्टमेंट	16	—	—	16
	कुरुक्षेत्र	कुरुक्षेत्र	36	39	11	86
			148	144	132	394
1977-78	फरीदाबाद	सैक्टर-28, फरीदाबाद	169	—	—	169
	रोहतक	रोहतक	63	152	102	317
	करनाल	वीवर्ज कालोनी पानीपत	—	—	329	329
	फरीदाबाद	सैक्टर-23, फरीदाबाद	82	—	742	824

	सोनीपत	राई स्पार्टस स्कूल	—	49	—	49
	जींद	जींद, फेज-II	34	84	56	174
			384	285	1229	1862
1978-79	कुरुक्षेत्र	कुरुक्षेत्र फेज-II	—	116	68	184
	कुरुक्षेत्र	कुरुक्षेत्र फेज-III	36	67	56	159
	फरीदाबाद	सैक्टर-28, फरीदाबाद	98	—	—	98
	भिवानी	भिवानी	102	156	126	384
	सोनीपत	सोनीपत फेज-II	35	64	80	179
	करनाल	मधुबन	32	400	148	580
	फरीदाबाद	सैक्टर-23, फरीदाबाद	—	247	—	247

			303	1050	478	1831
1979-80	हिसार	हिसार	14	30	32	76
	अम्बाला	पंचकूला	235	331	311	877
	फरीदाबाद	फरीदाबाद	304	305	415	1024
	करनाल	करनाल	62	184	209	455
	सिरसा	सिरसा	22	112	2099	433
			637	962	1266	2865
	कुल जोड़		2011	2909	8938	9858

मकानों की अलाटमेंट "पहले आओ पहले पाओ" नीति के आधार पर की जाती है और आवास बोर्ड, हरियाणा (हरियाणा प्रबंध तथा टैनिमेंट की बिक्री) विनियमावली, 1972 के विनियम 7 के अनुसार निम्नलिखित क्रम से नियमित की जाती है:-

- (i) उन के लिये 7½ प्रति गत जो पंजीकरण की राशि जमा कराते समय 25 प्रति गत अथवा इस से अधिक राशि जमा करवाये।
- (ii) 7½ प्रति गत राज्य सरकार तथा आवास बोर्ड के कर्मचारियों के लिये।

- (iii) 20 प्रति 100 अनुसूचित जातियों के लिये (इस में 1.5 प्रति 100 विकलांग/नेत्रहीन व्यक्तियों के लिये कोटा भी शामिल है।)
- (iv) 10 प्रति 100 सेवारस सैनिक कर्मचारी वर्ग के लिये जिस में युद्ध में मारे गये सैनिकों की विधवाएं, विकलांग और भूतपूर्व सैनिक आदि भी शामिल है।
- (v) 5 प्रति 100 पिछड़े वर्गों के लिये।

उपर्युक्त वर्ग (i) से (v) में उल्लिखित अधिमार्ग आवेदकों को अलाटमेंट करने के पश्चात् भोश मकान सामान्य वर्ग में आने वाले आवेदकों को दिये जाते हैं।

(II) 1972-73 से 1979-80 तक की अवधि के दौरान राज्य में बनाई गई दुकानों की जिलावार कुल संख्या नीचे दी जाती है:-

वर्ष	जिले का नाम	स्थान	दुकानों की कुल संख्या
1	2	3	4
1972-73	और -	-	-
1973-74			
1974-75	अम्बाला	यमुनानगर	12

	करनाल	पानीपत फेज-I	14
			<hr/> 26
1975-76	सोनीपत	सोनीपत	<hr/> 12
	अम्बाला	पंचकूला	13
	करनाल	करनाल	19
	फरीदाबाद	सैक्टर- 22, फरीदाबाद	18
			<hr/> 62
1976-77	फरीदाबाद	सैक्टर- 22, फरीदाबाद	<hr/> 38
	करनाल	पानीपत, फेज-II	14
			<hr/> 52
1977-78	जींद	जींद	<hr/> 15
	करनाल	वीवर्ज कालोनी पानीपत	8
			<hr/> 23
			<hr/>

			जी.	जी.	एस.	जी.	
1980-81	अम्बाला	पंचकूला	250	162	—	29	441
	फरीदाबाद	फरीदाबाद	5	462	906	—	1373
	फरीदाबाद	फरीदाबाद	53	114	121	—	228
			308	738	1027	29	2102
1981-82	गुड़गांव	गुड़गांव	95	208	106	—	409
	करनाल	पानीपत	195	442	543	—	1280
	फरीदाबाद	सैक्टर-29, फरीदाबाद	150	50	—	—	200
	सोनीपत	सोनीपत	106	151	122	—	379
	कुरुक्षेत्र	चीका	—	165	—	—	165
	जींद	जींद	70	—	—	—	70
			13	48	94	—	155
			729	1064	865	—	2658
			1037	1802	1892	29	4760

मुकम्मल होने पर इन मकानों की अलाटमेंट आवास बोर्ड हरियाणा, (अलाटमेंट, प्रबंध और टैनीमेंट की बिक्री)

विनियमवली, 1972 के विनियम संख्या 7 में निर्धारित मापदण्ड के अनुसार की जायेगी।

(ii) 1980-81 और 1981-82 में आवास बोर्ड द्वारा चीका (कुरुक्षेत्र) के सिवाए किसी अन्य स्थान पर दुकानों का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। चीका में कितनी दुकानें बनाई जायेंगी इस संबंध में भी अभी अंतिम निर्णय किया जाना है।

Allotment of plots for residential purposes by HUDA

357. Chudhri Ram Lal Wadhwa: Will the Minister for Local Government be pleased to state—

(a) the district wise number of plots auctioned/allotted for commercial purposes together with the names of places where auctioned/allotted by the HUDA during the period from 1966-67 to 1979-80 (to date) together with the criteria adopted for allotment/auction thereof, separately; and

(b) the district wise number of plots as referred to in part (a) above which are likely to be allotted/auctioned during the year 1980-81 and 1981-82, separately?

स्थानिय भासन मंत्री (चौधरी खुर गिद अहमद): इस सुचना के एकत्रित करने में जितना समय लगेगा और प्रयास करना पड़ेगा, उससे जनहित की दृष्टि में कोई लाभ नहीं होगा।

Ban on the export of cows and buffaloes

359. Chudhri Ram Lal Wadhwa: Will the Minister for Jails and Dairy Development be pleased to state—

- (c) whether the Govt. maintain a record about the figures of cows and buffaloes; if so, the total number of cows and buffaloes in the State as on 31st March, 1977 and 28-2-1980, separately;
- (d) the total number of cows and buffaloes exported to other States during the period from 1966-67 to 1976-77 and 1977-78 to 1979-80 (to date) separately; and
- (e) whether any ban has been imposed on export of cows and buffaloes from State; if so, since when?

जल तथा डेयरी विकास मंत्री (चौधरी विठ्ठल राम वर्मा):

(क) वर्ष 1977 की पशु गणना के अनुसार 15-4-77 को राज्य में गायों तथा भैंसों की संख्या निम्न प्रकार थी:—

गाय 24.4 लाख

भैंसें 29.4 लाख

28-2-80 को राज्य में गायों और भैंसों की अनुमानित संख्या निम्न प्रकार है:—

गाय 24.4 लाख

भैंसें 32.4 लाख

(ख) वर्ष 1966-67 से 1976-77 तक राज्य से निम्नलिखित संख्या में गायें तथा भैंसें निर्यात की गईं:-

गाय 5.07 लाख

भैंसें 7.83 लाख

वर्ष 1977-78 से 1979-80 (31-1-1980 तक) राज्य से निम्नलिखित संख्या में गायें तथा भैंसें निर्यात की गईं:-

गाय 1.09 लाख

भैंसें 1.53 लाख

(ग) राज्य सरकार ने एक अध्यादे 1 दिनांक 26-11-79 द्वारा गोवध करने के लिये राज्य से बाहर ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। इस अध्यादे 1 को बदलने के लिये एक विधेयक विधान सभा में पेश किया गया है।

नेमिंग आफ मैंबर

डॉ. मंगल सैन: स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा यह जानना चाहता हूँ कि चौधरीवास में पिछले दिनों एक कत्ल हुआ था, उस संबंध में जांच करने के लिये इस हाउस के मैंबरों की एक कमेटी बनाई गई थी। (गोर एवं विघ्न)

Mr. Speaker: Doctor Sahib, I have not received any notice for this. (Interruptions)

चौधरी गंगा राम: स्पीकर साहब, मैं यह अर्ज करना चाहता हूँ कि जो हाउस की एक कमेटी बनाई गई थी (गोर एवं विघ्न)

श्री अध्यक्ष: मैम्बर साहेबान, अगर जीरो आवर मे कोई प्वायंट रेज करना चाहे तो पहले मुझे उसका नोटिस दे। (गोर एवं विघ्न)

चौधरी गंगा राम: स्पीकर साहब, मुख्य मंत्री जी ने एक पब्लिक मीटिंग मे स्टेटमेंट दिया था और वह स्टेटमेंट जो है कंटैम्पट आफ दी हाउस हो जाता है। (गोर एवं विघ्न)

श्री अध्यक्ष: चौधरी गंगा राम जी क्या आपने इसके लिये कोई नेटिस दिया है। (गोर)

चौधरी गंगा राम: स्पीकर साहब, मैं उस का नोटिस अब दे रहा हूँ। (गोर)

श्री अध्यक्ष: चौधरी गंगा राम जी आप यह मेरे को लिखित रूप मे दीजिए। Please take your seat.

चौधरी गंगा राम: स्पीकर साहब, * * *

* * *

(गोर एवं विघ्न)

श्री अध्यक्ष: जो कुछ मेरी इजाजत के बगैर बोला जा रहा है, वह रिकार्ड न किया जाये (तोर एवं विघ्न)

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): स्पीकर साहब, मैं आपसे एक रिकवैस्ट करूंगा कि यह बात रिकार्ड न की जाये। (तोर एवं विघ्न) मैंने कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया था (तोर एवं विघ्न)

श्री अध्यक्ष: वह मैं पहले ही कह चुका हूँ कि रिकार्ड न किया जाये।

चौधरी गंगा राम: स्पीकर साहब, * * *

* * * * *

(तोर एवं विघ्न)

श्री अध्यक्ष: चौधरी गंगा राम जी, आप मुझे लिखित रूप में दीजिए। (तोर) Please take your seat.

चौधरी गंगा राम: स्पीकर साहब, * * *

* * * * *

(तोर एवं विघ्न)

Mr. Speaker: Chaudhri Ganga Ram ji I would request you to please sit down. (Interruptions)

चौधरी गंगा राम: स्पीकर साहब, * * *

* * * * *

(गोर एवं विघ्न)

श्री अध्यक्ष: चौधरी गंगा राम जी मैं आपसे रिक्वैस्ट करता हूं कि आप बैठ जाये। मुख्य मंत्री जी ने यह डिनाई कर दिया है कि उन्होंने ऐसा कोई स्टेटमेंट दिया है। मैंने पहले ही कर दिया है कि मेरी इजाजत के बगैर कोई बात रिकार्ड न की जाये। इसलिये आप हाउस का समय जाया न करे and nothing will be recorded. (गोर)

चौधरी गंगा राम: स्पीकर साहब, * * *

* * * * *

(गोर एवं विघ्न)

श्री अध्यक्ष: जो चीज प्रेस मे रिपोर्ट होती है उसका हाउस से कोई संबंध नही है। आप लिख करके दे दे। मैं आपको आखिरी मौका दे रहा हूं कि आप बैठ जाइये otherwise with great reductance I will have the name you.

चौधरी गंगा राम: स्पीकर साहब, * * *

* * * * *

(गोर एवं विघ्न)

Mr. Speaker: I name Ch. Ganga Ram. He may please withdraw from the House. (Interruptions)

चौधरी गंगा राम: स्पीकर साहब, * * *

* * * * *

(गोर एवं विघ्न)

Mr. Speaker: Remove him.

(इस समय सार्जेंट एट आर्मज चौधरी गंगा राम जी के पास गए तथा उन्हें सदन से बाहर ले गए)

अध्यक्ष द्वारा घोशणा—

राज्यपाल के अभिभाषण तथा बजट की आम चर्चा पर अपोजी इन तथा ट्रेजरी बैंचिज को दिये गये टाइम संबंधी

श्री अध्यक्ष: मैंबर साहेबान अब मैंने एक अनाउंसमेंट करनी है।

कल बजट पर जनरल डिस्क इन का आखिरी दिन खत्म हुआ। जब से मैंने इस आगस्ट चेयर को आकुपाइ किया है तब से मेरी पालिसी और कोर्ि । । सदा यही रही है कि जम्हूरियत भी रहा हूं। यह मेरी बात इससे जाहिर भी होती है कि गवर्नर एड्रेस पर, हालांकि हाउस की कम्पोजी इन आप सब लोग जानते है कि 48 मैंबर साहेबान ट्रेजरी बैंचिज के है और 40 मैंबर साहेबान अपोजी इन की तरफ बैठे है। अपोजी इन के मैंबर साहेबान को बोलने के लिये मैंने 250 मिनट का समय दिया और ट्रेजरी बैंचिज को बोलने के लिये केवल 243 मिनट का समय

दिया। यही बात जनरल डिस्कान आन दि बजट से और भी ज्यादा मैनीफैस्ट होती है, जिससे क्लियर नजर आता है कि जनरल डिस्कान आन दी बजट के ऊपर अपोजीटिव मैनबर साहेबान को 388 मिनट बोलने के लिये समय दिया गया जब कि ट्रेजरी बैन्चिज को केवल 295 मिनट का समय दिया गया। इसके अलावा मैनबर साहेबान, मैं अपनी तरफ से यह समझता हूँ कि हरियाणा विधान सभा का यह एक बड़ा क्रुियल सैशन था और इस सैशन के दौरान एक बड़े मुश्किल काम को निपटाने में, पूरा करने में जो आप सब साहेबान ने, और विशेष तौर पर लीडर आफ दि अपोजीटिव, बाबू मूल चंद जैन जी, और लीडर आफ दि जनता लैजिसलेचर पार्टी, डॉ. मंगल सैन जी ने, मुझे कदम कदम पर सहयोग दिया है उसके लिये मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। इसके साथ ही जो ट्रेजरी बैन्चिज की तरफ से मिनिस्टर साहेबान ने और दूसरे मैनबर साहेबान ने मेरा सहयोग किया है उसके लिये उनका भी मैं बहुत आभारी हूँ लेकिन मैं विशेष तौर पर लीडर आफ दि अपोजीटिव, बाबू मूल चंद जी जैन, और डॉ. मंगल सैन जी को एक बार फिर बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे सहयोग दिया है। मैं यह भी उम्मीद करता हूँ कि जो 4-5 दिन का सैशन बाकी रहता है उस दौरान भी मेरे उनका इसी किस्म का सहयोग मिलता रहेगा।

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): स्पीकर साहब, मैं आपसे माफी चाहूंगा कि आपने इनका भुक्तिया अदा तो दिया।

आपने कहा कि इन्होंने जितना सहयोग पीछे दिया वैसा ही आगे देंगे इससे तो इनका हौसला और भी बढ़ जायेगा।

डॉ. मंगल सैन: स्पीकर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमने अगर कोई गुस्ताखी की है तो आपने उसको दरगुजर किया है। आपने हमारे साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया है इसके लिये हम आपके आभारी हैं।

चौधरी राम लाल वधवा: स्पीकर साहब, *
* * * * (तोर एवं विघ्न)

श्री अध्यक्ष: यह रिकार्ड न किया जाये। (तोर)

चौधरी हरस्वरूप बूरा: स्पीकर साहब, मेरी आपसे गुजारि है कि चौधरी गंगा राम जी वापिस बुला लें। हम उनको समझा देंगे। (तोर)

आवाजें: स्पीकर साहब, चौधरी गंगा राम जी को वापिस बुला लिया जाये।

Mr. Speaker: You give me an assurance that the would not repeat it. डॉ. मंगल सैन जी अगर ए तोरेंस देते हैं तो चौधरी गंगा राम जी को हाउस मे वापिस बुला लिया जाये।

Dr. Mangal Sein: Sir, I will try my best to persuade Ch. Ganga Ram to maintain decorum and discipline in the House.

श्री अध्यक्ष: ठीक है, चौधरी गंगा राम जी को हाउस में वापिस बुला लिया जाये।

चौधरी संत कंवर: स्पीकर साहब, कल मैंने एक प्वायंट पर आपकी रूलिंग मांगी थी।

श्री अध्यक्ष: मैंने रूलिंग दे दी है।

चौधरी संत कंवर: स्पीकर साहब, हाउस की इन्फर्मेसन के लिये अगर आप हाउस में पढ़ कर सुना दें तो ठीक रहेगा। आप हाउस को बता दें कि क्या रूलिंग दी है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मेरी रूलिंग भायद आपके पास पहुंच गई है। Every ruling need not be announced in the House. You have been informed about it. मेरे पास आपके सिग्नेचर है। अब आप यह प्रेंस वालों को दे सकते हैं।

वर्ष 1980-81 की बजट की डिमांडज फार ग्रांटस पर चर्चा तथा मतदान

श्री अध्यक्ष: साहेबान, अब वर्ष 1980-81 के बजट की डिमांडज फार ग्रांटस पर विचार होगा। पहली प्रैक्टिस के अनुसार हाउस का समय बचाने के लिये आर्डर पेपर पर रखी गई डिमांडज फार ग्रांटस एक साथ पढ़ी गईं और पेपर की गईं समझी जायेंगी। आनरेबल मैनबर किसी भी डिमांड पर डिस्कशन कर सकते हैं,

लेकिन बोलते समय कृपया डिमांड का नंबर बता दे। 1 बजे डिमांडज पुट की जायेगी।

That a sum not exceeding Rs. 3691510 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1980-81 in respect of the charges under Demand No. 1-Vidhan Sabha.

That a sum not exceeding Rs. 65977430 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1980-81 in respect of the charges under Demand No. 2-Genral Administration.

That a sum not exceeding Rs. 181237335 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1980-81 in respect of the charges under Demand No. 3-Home.

That a sum not exceeding Rs. 42483700 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1980-81 in respect of the charges under Demand No. 4-Revenue.

That a sum not exceeding Rs. 25221360 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1980-81 in respect of the charges under Demand No. 5-Excise and Taxation.

That a sum not exceeding Rs. 67016185 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that

will come in the course of payment for the year 1980-81 in respect of the charges under Demand No. 6-Finance.

That a sum not exceeding Rs. 41120600 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1980-81 in respect of the charges under Demand No. 7-Other Administrative Services.

That a sum not exceeding Rs. 202571500 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1980-81 in respect of the charges under Demand No. 8-Buildings and Roads.

That a sum not exceeding Rs. 577456210 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1980-81 in respect of the charges under Demand No. 9-Education.

That a sum not exceeding Rs. 353166140 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1980-81 in respect of the charges under Demand No. 10-Medical and Public Health.

That a sum not exceeding Rs. 16500330 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1980-81 in respect of the charges under Demand No. 11-Urban Development.

That a sum not exceeding Rs. 150740020 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1980-81 in respect of the charges under Demand No. 12-Labour and Employment.

That a sum not exceeding Rs. 56121610 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1980-81 in respect of the charges under Demand No. 13-Social Welfare and Rehabilitation.

मेरे पास श्री मूल चंद जैन की तरफ से कुछ कट मो ांज आए है, चूंकि आनरेबल मैबर हाउस प्रैजेंट नही है, इसलिये वे मूव की गई नही समझी जायेगी।

श्रीमती डॉ. कमला वर्मा (यमुनानगर): अध्यक्ष महोदय, सब से पहले मैं डिमांड नं.5 पर अपने विचार रखना चाहती हूं। यह डिमांड एक्साईज एंड टैक्सो इन डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखती है। मैं एक्साईज एंड टैक्सो इन तथा वित्त मंत्री के नोटिस मे लाना चाहती हूं कि यमुनानगर मे टिम्बर और टिम्बर मैनुफैक्चरिंग का लार्ज स्केल पर काम होता है। वह सारे एरिया मे एम्युनी इन केसिज और दूसरे कई प्रकार के पैकेस केसिज बनाने के लिये सुप्रसिद्ध है। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा सरकार ने देसी घी पर वैसे बिक्री टैक्स माफ कर दिया है, इसी तरह टिम्बर और टिम्बर मैनुफैक्चरिंग पर भी टैक्स खत्म किया जाना चाहिए था। पहले एक बार इस टैक्स को खत्म करने का आ वासन भी दिया गया था

लेकिन उस पर अभी तक डिपार्टमेंट की तरफ से इमल नहीं हुआ है।

(इस समय सभापतियों की सूची में से एक सदस्य भी कन्हैया लाल पोसवाल पदासीन हुए)

चेयरमैन साहब, यमुनानगर की ट्रेडज को बड़ा धक्का लग रहा है, 60 प्रति टाट प्रोडक्शन कम हो गई है। मैंने एक साल के लिये बिक्री टैक्स माफ करवाया था लेकिन सरकार ने पोलिटिकल डिजीजन लेकर इसको दोबारा लागू कर दिया है। चेयरमैन साहब, आप नेबरिंग स्टेट्स की स्थिति देखें। पंजाब में टिम्बर और टिम्बर मैनुफैक्चरिंग पर 2 प्रति टाट टैक्स है लेकिन यूपी., हिमाचल प्रदेश और जम्मू एंड काश्मीर में कोई टैक्स नहीं है। हरियाणा में 60 परसेंट प्रोडक्शन कम होने से ट्रांसपोर्ट को हानि हो रही है और सारी लेबर निराशा होकर बैठी हुई है। चेयरमैन साहब, 30-40 परसेंट ट्रेडज दूसरे प्रांतों में हरियाणा में 4 प्रति टाट टैक्स होने के कारण ये ट्रेडज दूसरे प्रांतों जम्मू काश्मीर, यूपी. हिमाचल प्रदेश और वगैरह में जा रही है इसलिये मेरी प्रार्थना है कि दूसरी स्टेटों के साथ टैक्स की यूनिफार्मिटी रखें ताकि लोग दूसरे प्रांतों में ट्रेडज न ले जायें। जब तक टैक्स की यूनिफार्मिटी नहीं होगी, हरियाणा में रैवेन्यू को धक्का लगता रहेगा, व्यापारियों को धक्का लगता रहेगा और लेबर को निराशा का मुंह देखना पड़ेगा।

चेयरमैन साहब, अब मैं डिपॉंड नं.9 पर, जो कि एजुकेशन के बारे में है, अपने विचार रखना चाहती हूँ मैं यह मानकर चलती हूँ कि सरकार ने शिक्षा के प्रसार के लिये कुछ काम करने का प्रयास किया, लेकिन इस बात से इंकार नहीं करती कि शिक्षा विभाग के अंदर मूलभूत समस्याएँ हैं जिसके कारण शिक्षा का स्तर दिन प्रतिदिन नीचे गिरता जा रहा है। चेयरमैन साहब, मैंने एक प्रश्न भी किया था जो साईंस और सामाजिक अध्यापकों के बारे में था। मैंने पूछा था कि साईंस टीचर की जगह पर सामाजिक और एस.एस. टीचर्स क्यों लगाये जाते हैं। चेयरमैन साहब, हमारे यहां एक एग्जामिनेशन होता है जिसको 'साईंस रिसर्च टैलेंट एग्जामिनेशन' कहते हैं। इस एग्जामिनेशन में हरियाणा प्रान्त और दूसरे प्रान्तों के बच्चे, जिन्होंने 10वीं 11वीं पास की होती है, अपीयर होते हैं। मुझे दुःख से कहना पड़ता है कि जब से यह परीक्षा शुरू हुई है, हरियाणा प्रांत के केवल 7 बच्चे ही आ पाये हैं क्योंकि यहां पर साईंस का स्तर बहुत नीचा है जिसके कारण हरियाणा के बच्चों को अपना टैलेंट दिखाने का मौका नहीं मिलता। चेयरमैन साहब, दूसरे प्रांतों में 10+2 का सिस्टम लागू है, लेकिन हरियाणा में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया कि हरियाणा में हायर सैकेंडरी सिस्टम चलेगा या 10+2 सिस्टम लागू होगा। कुरुक्षेत्र में रीजनल टेक्नीकल कालेज है जिसमें 125 बच्चे बाहर से आते हैं, अन्य 125 हरियाणा के लिये जाते हैं। अन्य प्रांतों के बच्चे 4 वर्ष का कोर्स चाहते हैं जबकि हरियाणा के विद्यार्थी 5 वर्ष का चाहते हैं। मैं सरकार से जानना

चाहती हूं कि शिक्षा विभाग ने समानता लाने के लिये जब तक निर्णय क्यों नहीं लिया ? दूसरे प्रांतों के साथ समानता लाने के लिये सरकार को निर्णय लेना चाहिए ताकि आने वाले बच्चों को असुविधा न हो। चेयरमैन साहब, इसके अतिरिक्त शिक्षा विभाग के अंदर कोई तालमेल नहीं है। 8वीं कक्षा तक की किताबें डिपार्टमेंट छपवाता है और आठवीं के आगे की किताबें बोर्ड छापता है। इन दोनों संस्थाओं में आपस में कोई तालमेल नहीं है। कोर्सिज की कन्टिन्यूटी साथ साथ नहीं चलती। एक्सपर्ट्स को एक रूफ के नीचे बैठकर आपस में तालमेल करके, बच्चों के कैरियर को ध्यान में रख कर पुस्तक पाठ्यक्रम रखने चाहिए ताकि कोर्सिज में कंटिन्यूटी रहे। मैं मुख्य मंत्री महोदय से और चीफ पार्लियामेंटरी सैक्रेटरी साहिबा से कहना चाहती हूं कि पाठ्यक्रम में कंटिन्यूटी के लिये एक्सपर्ट्स को एक रूफ के नीचे बैठकर डिस्सीजन लेना चाहिए ताकि हमारे प्रान्त के बच्चों का भविष्य उज्ज्वल हो सके और वे कम्पीटीशन में दूसरे प्रांतों के बच्चों के मुकाबले में बैठ सकें। इसके अतिरिक्त एक न्यूनता यह है कि कई बार किताबें अधिक छप जाती हैं और इन दिनों मीन टाइम कोर्सिज बदल जाते हैं। इन पुराने पाठ्यक्रम की किताबों को कुछ स्कूलों में लगा दिया जाता है। चेयरमैन साहब, मुझे यह कहने से इंकार नहीं है कि अभी भी कुछ स्कूलों में पुराने कोर्सिज की पुस्तकें लगी हुई हैं और कुछ स्कूलों में नये कोर्सिज की पुस्तकें लगी हुई हैं। यह दो भांति का सिस्टम नहीं होना चाहिए, इससे बच्चों के कैरियर पर प्रभाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त इस वर्ष प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी डिपार्टमेंट के

द्वारा जितनी किताबे छापी गई है उन में कुल चार हजार गलतियां पाई गई है। अगर किताबों में प्रिंटिंग ही गलत हो तो बच्चे क्या समझेंगे, कैसे उनका भविष्य बनेगा ? चेयरमैन साहब, एजुकेशन के बारे में एक बात और कहना चाहती हूं। हरियाणा में प्राइवेट टीचर्स की सिविलिटी आफ सर्विस के लिये एक एक्ट बना हुआ है। लेकिन अध्यापकों के कुद ग्रिवेंसिज और भी है। प्राइवेट मैनेजमेंट उनको पे कुछ देती है और लिखवाया कुछ जाता है। सारे हिन्दुस्तान के अंदर केवल 7 प्रांत ऐसे हैं जिनमें अध्यापकों को वेतन ट्रेजरी के द्वारा मिलता है। हरियाणा सरकार को भी यह सिस्टम अपनाना चाहिए ताकि हरियाणा में प्राइवेट स्कूलों के टीचर्स के साथ अन्याय न हो। ट्रेजरी के द्वारा वेतन देने से, जो अध्यापक इस एक्ट के नीचे आते हैं उनको लाभ होगा इसके अतिरिक्त प्राइवेट स्कूलों को कुछ ग्रांट दी जाती है लेकिन प्राइवेट मैनेजमेंट ग्रांट प्रयोग करने में बड़ी घपलेबाजी करती है। यह फण्ड स्कूल के अध्यापकों और बच्चों के लिये होता है और अगर कोई मैनेजमेंट इसको यूज करने में घपलेबाजी करती है तो सरकार उस स्कूल को ग्रांट बंद कर देती है। इसलिये सरकार को चाहिए कि एक एडमिनिस्ट्रेटर की नियुक्ति की जाये ताकि वह चेंकिंग करे, और देखे कि जो ग्रांट सरकार देती है, वह गलत ढंग से इस्तेमाल तो नहीं हो रही। ग्रांट को ठीक तरह से प्रयोग करवाना चाहिए लेकिन ग्रांट बंद करके बच्चों और अध्यापकों को दण्ड नहीं देना चाहिए। इसके अलावा हरिजनों के बारे में भी बातें कही जाती हैं। लेकिन एक बात मैं सरकार के नोटिस में लाना

चाहती हूं । हरिजन विद्यार्थियों की वैसे तो आठवीं और दसवीं आदि की परीक्षा देने के लिये जो ऐडमिशन फीस होती है वह माफ होती है लेकिन मुख्याध्यापक उनसे पहले ले लेते हैं, बाद में युनिवर्सिटी से लिखा पढ़ी करके उसे वापिस करते हैं। परीक्षा के बाद कई बार छात्र इधर उधर चले जाते हैं और उन्हें उनका पैसा भी वापस नहीं मिलता। अगर सरकार इस बात को ध्यान में रख कर प्रारम्भ में ही ऐसा सरकुलर निकाल दे कि हरिजन बच्चों से फीस न ली जाये तो उनके माता पिताओं को ज्यादा राहत मिलेगी।

सभापति महोदय, हमारा हरियाणा प्रांत कृषि प्रधान माना जाता है। पहले छठी कक्षा से कृषि का विषय हुआ करता था। उस विषय के तहत बच्चे कृषि के बारे में काफी कुछ सीखते थे और परिणामस्वरूप बाद में गांव में रह कर वे अपने आपको कृषि के काम में लगा लिया करते थे। लेकिन अब छठी कक्षा में कृषि और ड्राइंग के विषय को हटा दिया गया है। मेरी प्रार्थना यह है कि इस विषय में दोबारा स्कूलों में भूरो किया जाये।

सभापति महोदय, एक पटेल कमेटी बनी थी जिसके युजफूल प्रोडक्टिव वर्कस के बारे में थोड़ा पाठ्यक्रम बना कर अपनी रिपोर्ट दी थी। उसमें शिक्षा कार्यक्रम के साथ श्रमनिष्ठा की एक योजना थी जिसके तहत बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ श्रम के महत्व के बारे में भी बताया जाता था। उसके आंतरिक अंक हुआ करते थे। जब कोई अध्यापक किसी बच्चे को आंतरिक अंक

नहीं देता था तो उसका रिजल्ट रोक दिया जाता था। लेकिन अब क्या होता है वह कोर्स अब स्कूलों में नहीं है। बच्चों को उसके बारे में पढ़ाया नहीं जाता परन्तु बच्चों के साथ धोखा किया जाता है और झूठ सिखाया जाता है।

इसके अलावा, चैयरमैन साहब, हमारे यहां एक नैतिक शिक्षा समिति बनी थी। आप जानते हैं कि मानव का निर्माण अपनी संस्कृति और उसके आचरण पर आधारित है। आप यह भी जानते हैं कि बच्चे राष्ट्र की नींव हैं। जैसी शिक्षा उनको दी जायेगी वैसे ही नागरिक वे आगे जाकर बनेंगे। अगर हम अपनी संस्कृति की शिक्षा उन्हें देंगे तो वे आगे चल कर अच्छे नागरिक बनेंगे, अच्छे अध्यापक बनेंगे, अच्छे डाक्टर बनेंगे, अच्छे वकील बनेंगे, अच्छे सरकारी कर्मचारी बनेंगे और अच्छे राजनीतिज्ञ बनेंगे। वे सोचेंगे कि मेरा चरित्र अच्छा हो, मैं किसी सिद्धांत के लिये राजनीति में आया हूं, मैं किसी सिद्धांत के लिये अध्यापक कार्य में आया हूं, मैडिकल प्रोफ़ेसर में आया हूं या सरकार नौकरी में आया हूं। सिद्धांत के नाते ही यह जनसेवा कर सकता है। चैयरमैन साहब, उस नैतिक शिक्षा समिति की रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। मेरी यह प्रार्थना है कि उसे जल्दी से जल्दी लागू करें ताकि हरियाणा के बच्चे अच्छे नागरिक बन सकें।

सभापति महोदय, मैं एक और विचार सदन के सामने रखना चाहती हूं। प्राइमरी शिक्षा बड़ी आवश्यक है क्योंकि इसी में बच्चे की शिक्षा की नींव रखी जाती है लेकिन यह कहते हुए

बड़ा दुख होता है कि गांव में एक अध्यापक को दो तीन क्लासिज को पढ़ाना पड़ता है। चैयरमैन साहब, पंजाब में प्राइमरी शिक्षा के लिये अलग डायरेक्टर बना हुआ है। प्राइमरी शिक्षा सुदृढ़ हो और बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले इसके लिये जरूरी है कि पंजाब की तरह यहां भी अलग डायरेक्टोरेट बनाया जाये। उम्मीद है हमारी सरकार ऐसा करने की पूरी कोशिश करेगी।

इसके साथ ही मुझे एक बात और कहनी है। सभापति महोदय, अडल्ट ऐजुकेशन सेंटरज बनाए गए थे। जनता सरकार के समय में इन सेंटरज में कई घपले पकड़े गये थे और कुछ डी.ई.ओ.ज. सस्पेंड भी किये गये थे लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि जांच किये बिना ही उनमें के कुछेक को रीइन्स्टेट कर दिया गया है। सरकार कृपया इस तरफ भी ध्यान दे। मैं शिक्षा मंत्री जी से प्रार्थना करूंगी कि जो सुझाव मैंने दिये हैं यदि सरकार उन पर अमल करेगी तो शिक्षा का स्तर ऊंचा होगा और हरियाणा के बच्चे काफी उन्नति कर सकेंगे।

सभापति महोदय, अब मैं डिमांड नं.10 के बारे में कुछ निवेदन करना चाहूंगी। सभापति महोदय, आप जानते हैं कि किसी भी राष्ट्र के उत्थान के लिये शिक्षा के बाद स्वास्थ्य का बड़ा महत्व होता है। कार्य निश्ठा स्वास्थ्य के माध्यम से ही बढ़ सकती है। अगर स्वास्थ्य ही ठीक न हो तो इंसान न तो मेहनत कर सकता है, न चल सकता है, न स्कूल में ठीक से पढ़ सकता है, न उत्पादन कार्य कर सकता है, कहने का मतलब यह

कि वह कोई भी कार्य अच्छी प्रकार से नहीं कर सकतां विदे गो मे स्वास्थ्य के लिये सबसे ज्यादा बजट रखा जाता है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि जब कभी बजट मे कटौती लगती है तो स्वास्थ्य के बजट पर लगा करती है। स्वास्थ्य बजट वर्ष 1979-80 मे कंस्ट्रक्शन के लिये 2.8 करोड़ रूपये का था और मुख्य मंत्री जी ने जितने हस्पतालो के नींव पत्थर रखे हे, उसका एस्टीमेट 17 करोड़ रूपये का बनता है जबकि इस बार भी 1980-81 मे केवल 2.28 करोड़ रूपया कंस्ट्रक्शन कार्य के लिये रखा गया है। इसका प्रभाव चिकित्सा के अन्य पदो पर पड़ेगा। सभापति महोदय, मैं तो इस राय की हूँ कि गांव गांव मे चिकित्सा सुविधाएं पहुंचनी चाहिएं 80 फीसदी जनता जो हमारी गांवो मे रहती है, उनको चिकित्सा सुविधायें मिलनी चाहिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि बजट के अंदर इस काम के लिये जितना प्रोविजन किया जाता है, उससे गांव और भाहरो के अंदर जितनी चिकित्सा सुविधाएं दी जानी चाहिए वे नहीं दे पाते। सभापति महोदय, यही नहीं आज डाक्टर के साथ भी भेद भाव बरता जाता है। 24 घंटे की ड्यूटी डाक्टर की हुआ करती है। अगर वह कभी ऑफ टाईम मे पिक्चर जाता है तो बताकर जाता है ताकि अगर कोई अमरजैसी पड़ जाये तो उसे बुला लिया जाये। फिर उनके साथ भेदभाव क्यों ? सभापति महोदय, बेसिक क्वालिफिकेशन के बाद ग्यारह साल और पढ़ने के बाद एक व्यक्ति अच्छा डाक्टर बनता है। जब उसे वेतन पूरा नहीं मिलता तो उसके मन के अंदर एक विद्रोह सा पैदा होता है। डाक्टर के साथ सिलैक्शन ग्रेड हुआ करते थे लेकिन पे

कमी इन ने उनको काट दिया है। साथ ही उनका एन.पी.ए. भी बंद कर दिया है। इसका परिणाम क्या होगा ? कोई भी अच्छा डाक्टर सरकानी नौकरी में नहीं आयेगा और लोगों को अच्छी डाक्टरी सेवा नहीं मिल पायेगी। मैं मानती हूँ कि एच.सी.एस. आफिसर्ज को वेतन बहुत मिलना चाहिए। उनके काम की दृष्टि से उन्हें सम्मान भी मिलना चाहिए लेकिन पिछले दो तीन वर्षों में दो बार उनके पे स्केल रिवाइज हो गये जबकि डाक्टर्ज ने नहीं हुए। उनको तो अब तो अब जो वेतन मिलता है पे कमी इन की रिक्मेंडे िंज के अनुसार उससे भी कम वेतल नए स्केल्ज से मिलेगा। तो मेरी आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से यह रिक्वेस्ट है कि डाक्टर्ज के साथ किसी प्रकार का अन्याय न किया जाये क्योंकि अगर हरियाणा प्रांत के अंदर चिकित्सा करने वाले चिकित्सक ही विद्रोही हो जायेंगे तो यहां लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ेगा और प्रांत की आर्थिक समृद्धि नहीं हो सकेगी।

सभापति महोदय, अब मैं डिमांड नं. 11 पर बोलना चाहती हूँ। अर्बन डिवैल्पमेंट को बड़ी बड़ी बातें होती हैं लेकिन अफसोस की बात यह है कि अगर सुधार मंडल के द्वारा जो योजानाएं चालू की गई थी वे आज भी पूरी नहीं हो पाई हैं। आप उन लोगों से पूछिए जो हजारों रुपये दे चुके हैं लेकिन आज तक उनको मकान नहीं मिले। कुछ को अगर मिले हुए है तो बना हुआ मकान कहीं से लीक कर रहा है और उसकी तरफ कोई ध्यान देने वाला नहीं है। यमुनानगर में मकान लेने के लिये हाउसिंग बोर्ड के

पास लोगो ने पैसे जमा कराए है लेकिन अभी तक जमीन ऐक्वायर नहीं की गई है मकान बनाकर देना तो दूर रहा । सभापति महोदय, जो गरीब आदमी अपनी तनख्वाह, व आमदनी आदि से स्वयं मकान नहीं बनासकता वह लोन आदि के लिये सरकार की तरफ देखता है लेकिन आज जब वह बजट के आंकड़ों की तरफ देखेगा तो सोचे गा कि इस सरकार के राज्य मे गरीब के लिये कोई स्थान नहीं है ।

डिमांड नं. 12 के अंदर लेबर एंड ऐम्पलायमेंट की बात आती है । सभापति महोदय, सैल्फ ऐम्पलायमेंट स्कीम के तहत कुछ म्युनिसिपैलेटीज ने दुकाने बना कर दी थी। (विघ्न) इस तरह की दुकाने पानीपत,यमुनानगर और कई दूसरे स्थानो पर भी बनाई गई थी। नियम यह थास कि कोई भी आई.टी.आई. ट्रेड, टैक्नीकल अनऐम्पलायड, यूथ जब चाहेगा तब ऐम्पलायमेंट ऐक्सचेंज के माध्यम से उसे दुकान अलाट कर दी जायेगी। युमुनानगर मे इस तरह से 15 दुकाने दी गई । ऐडमिनिस्ट्रेटर ने 150 रूपये (125 रूपये कास्ट और 25 रूपये मुरम्मत आदि के लिये) तक किराया तय किया था लेकिन बाद मे किराया 300 रूपये कर दिया जबकि उसके साथ बनी हुई दुकानो का किराया 100 या 110 रूपये है । मैंने बीस बार लिख कर दिया कि उनका रिया कम् होना चाहिए लेकिन वह आज तक कम् नहीं किया गया। आज उन गरीबो को बिजली नहीं मिल रही है, रा मैटीरियल नहीं मिल रहा है । चेयरमैन साहब, आप ही बताएं कि वे बैंको का कर्जा कैसे अदा करेंगे । मेरी

सरकार से प्राथना है कि यह बेरोजगार यूथ को विद्रोह की ओर अग्रसर न करे बल्कि उनको दुकानों का किराया कम करके, उनको मदद करके उन्हें भी सुख की सांस लेने दी जाये।

सभापति महोदय, कौन नहीं जानता कि यमुनानगर में बिजली की कटौती बहुत ज्यादा है ? इसके बावजूद भी खाद्य एवं पूर्ति मंत्री जी ने कहा कि वहां डीजल पांच प्रति गत दिया जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि वहां केवल 11 जैनरेटर्ज है।

मैं हाउस में बताना चाहती हूँ कि वहां सारे सब डिवीजन में 2 हजार स्माल स्केल यूनिट्स काम कर रहे हैं और केवल यमुनानगर में 19 जनरेटिंग्स सैट्स हैं, साढ़े चार सौ इंजन हैं लेकिन ये सारे के सारे स्टैंडस्टिल हैं उनको न डीजल मिलता है और न ही बिजली मिलती है। जब इन यूनिट्स में लेबर काम करने के लिये जाती है तो यूनिट्स वाले कह देते हैं कि बिजली नहीं है इसलिये आज काम नहीं करना। उन यूनिट्स को 15 दिन के अंदर केवल 60 घंटे बिजली मिली है। आप इस बिजली से अंदाजा लगाये कि यमुनानगर में इंडस्ट्री की क्या हालत होगी ?

सभापति महोदय, मैं रोडज के बारे में भी अर्ज करना चाहती हूँ। एप्रोच रोडजतो गांवों को देने का सरकार का संकल्प ठीक है लेकिन गांवों के अंदर जो हरिजन बस्तियां हैं जिन्हें हरिजन माजरी आदि कहते हैं ये आमतौर पर इनटीरियर में होती हैं। बरसात के दिनों में वे लोग बिल्कुल नहीं निकल सकते हैं।

मेरे अपने हल्के मे भी हरिजन माजरी है उनकी भी यही पोजी उन है। जैसे गदोली माजरी, करेड़ा माजरी, इनके अंदर जल्द से जल्द लिंग रोडज बनायी जायें ताकि उन गरीबों को सुविधा हो सके।

इसी प्रकार से टापू कमालपुर है। वह गांव ऊंची जगह पर बसा हुआ है। उनके खेत सड़क से बहुत दूर पड़ते हैं। सड़क सारी डूब जाती है। महिलायें भागे भी नहीं जा सकती हैं इसलिये ऐसे गांवों को एप्रोच रोडज से जरूर मिलाया जाना चाहिए। एक गांव नागल है जिसका स्कूल भादीपुर रोड पर है। उस गांव का स्कूल तो सड़क पर है पर गांव वहां से कुछ दूर है। पिछले साल फ्लड में स्कूल के आस पास इतना पानी आ गया कि एक चौकीदार भी डूब कर मर गया था। बच्चों के कष्ट का तो क्या कहा जाये वहां पर अध्यापक जाता है, सड़के पर हाजरी लगा कर बच्चों को वापिस घर भेज देता है। ऐसी रोडज को प्रायरिटी बेसिज पर बनाया जाना चाहिए। ऐसी सड़कों में नियम का खास ख्याल नहीं रखना चाहिए मेरे हल्के में पंचपुर गांव है। जब चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी इरीगे उन एंड पावर मिनिस्टर थे उनके नोटिस में भी मैं यह बात लायी थी कि जो वहां पर आगमेंटे उन कैलान बनायी गई है उससे उनके खेत कट कर नहर के पार पड़ते हैं जिसके कारण उनको काफी दिक्कत होती है। इसलिये वहां पर एक फूट ब्रिज बनाया जाना चाहिए। पिछली सरकार ने इस पुल की योजना को स्वीकार भी किया था पर अभी तक कुछ भी हुआ नहीं कुरुक्षेत्र जिले के रादौर गांव के पास अलहार गांव में कुछ

कुंड बने हुए है। बरसात के दिनों में उनके आधा आदमी डूब जाता है। वहां पर सेम का पानी भरा रहता है इसलिये वहां पर भी पुल बनाने की योजना स्वीकृत भी, परन्तु जनहित के इस कार्य को प्रारम्भ नहीं किया गया।

इसके बाद मैं ला एन्ड आर्डर की डिमांड नं. तीन पर भी अर्ज करना चाहती हूं। बहुत से साथियों ने हाउस में कई घटनाओं की चर्चा की है। बहुत सारी बातें तो आ गई हैं लेकिन फिर भी मैं अर्ज करना चाहती हूं कि अगर ला एंड आर्डर की यही पोजीशन रही तो भारीफ आदमी के लिये रहना मुश्किल हो जायेगा। मुझे अभी चार पांच दिन पहले एक डैपुटे मिली। उसने बताया कि कालावाली मंडी का चालीस वर्ष का एक बृज लाल नाम का व्यक्ति गुम है, अब पता नहीं वह मिला है या नहीं। पहले उसको धमकियां भरे पत्र भी आते रहे हैं। इसी प्रकार से पिछले साल एक तीन साल के बच्चे को उठाया गया और मार दिया था। उसी प्रकार से उसकी भी ऐसी स्थिति न हो जाये।

सरदार सुखदेव सिंह: आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। माननीय सदस्या को सच्चाई मालूम कर लेनी चाहिए। वह आदमी जिन्दा है। ये बोल * * * रही है।

श्री सभापति: झूठ भाब्द एक्सपंज कर दिया जाये।

श्रीमती डॉ. कमला वर्मा: मुझे नहीं पता कि मिला है या नहीं। अगर मिल गया है तो बड़ी अच्छी बात है। मेरे को एक डैपुटे इन मिला था उसने यह बताया था कि वह गायब है।

सरदार सुखदेव सिंह: यह गलत कह रही है।

श्रीमती डॉ. कमला वर्मा: मेरे को तो डैपुटे इन मिला था। सरकार ने छानबीन कर ली है तो बड़ी अच्छी बात है। अगर नहीं मिला है तो कोर्ट में जाकर ले।

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): चेयरमैन साहब, जब वह तीन साल का बच्चा मारा गया था उस समय पर चौधरी देवी लाल चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे और चौधरी वीरेन्द्र सिंह होम मिनिस्टर हुआ करते थे। अब एक हफ्ते पहले एक आदमी गुम हुआ था लेकिन दो दिन के बाद अपने आप वापिस आ गया था।
(विघ्न)

श्रीमती डॉ. कमला वर्मा: चेयरमैन साहब, महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं उनके बारे में तो कहने का मेरा अधिकार है, कोई भी सरकार हो उसका यह कर्तव्य बनता है कि उनकी सुरक्षा करे। जिन हरिजन महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ है, गोहाना में जो लड़की का कत्ल हुआ है, हांसी में जो घटनाएं हुई हैं या जो भी कोई डाकाजनी की या अन्य घटनायें हुई हैं, उनका प्रबंध करना तो सरकार की जिम्मेदारी है।

वैयक्तिक स्पष्टीकरण—

श्री बलदेव तायल द्वारा

श्री बलदेव तायल: आन ए प्वायंट आफ परसनल एक्सप्लेने इन सर। कल सी.एम. साहब ने मेरे मे कुछ कहा था उस विशय पर बोलना चाहता हूं। मैं डिमांडज पर इस समय बोलना नही चाहता।

श्री सभापति: मैं रिकार्ड से चैक करवा लेता हूं। आपको टाईम दे दूंगा।

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): चेयरमैन साहब, बलदेव तायल जी को आप समय दे दें लेकिन बाद मे मुझे भी थोड़ा सा टाईम दें।

श्री बलदेव तायल: चेयरमैन साहब, मुख्य मंत्री जी की सत्यप्रियता तो सारे हरियाणा मे म तहूर है। इस बारे मे मुझे कुछ नही कहना है। जहां तक डिफैक्ट इन का संबंध है इस बारे मे मेरे पितामह के और मेरे विचारों मे भिन्नता रही है। वैसे हम दोनो ही 19 महीने जेल मे इकट्ठे रहे है। इसमे कोई दो राय नही है कि उस वक्त भी वे मेरे पितामह थे और आज भी है लेकिन मैं इस गरिमामय सदन मे एक बात कहना चाहता हूं कि जब से मैंने जनता पार्टी जायन की है, मेरा पार्टी छोड़ने का कभी इरादा नही बना, न ही पार्टी छोड़ी और न ही पार्टी छोड़ने का इरादा रखता हूं। Chairmain Sir, I must say one thing—

“The birds abandon the tree when there are not fruits,

Swans abandon the direct lake,
Women abandon men, who are no longer rich;
Ministres abandon their rules, when
they are not more in power;
Bees abandon the stale flower;
Animals abandon the burnt forest;
People try to please for some selfish objectives;
who rules over whom”, Chanakya says.

चौधरी भजन लाल: चेयरमैन साहब, मुझे भी एक मिनट दे दे। अभी बलदेव तायल जी ने फरमाया कि न मेरा पार्टी छोड़ने का इरादा है और नहीं मेरा कभी इरादा हुआ थां जोक बात मैंने कही थी वह यह थी कि जब चौधरी रिजक राम पार्टी छोड़ कर जा रहे थे, वे मेरे पास हिसार मे आये कि मैं इस्तिफा देना चाहता हूं और ये पार्टी छोड़ना चाहते थे मुझे आप जाने दे। ये उस वक्त पार्टी छोड़ने को तैयार थे। यह हकीकत है उनकी पार्टी छोड़ने की।

Shri Baldev Tayal: No, I had never said that, I had never expressed a desire to leave the party (Interruptions) Mr. Chairman, Sir, I must say one thing. Both Dr. Mangal Sein and Shri Balwant Rai Tayal are the witness. They requested Ch. Bhajan Lal not to accept my resignation when I resigned not once but twice and requested to be relieved as Deputy Chairman. Shri Balwant Rai Tayal is very much present here.

He should state the balwant Rai Tayal is very much present here. He should state the true facts about the meetig held in the P.W.D. Rest House, Hissar, if he has any guts.

Mr. Chairman: You personal explanation has come.

वर्ष 1980-81 के बजट की डिमांडज फार ग्रांटस पर चर्चा तथा

मतदान (पुनरारम्भ)

श्री भाम ेर सिंह (नरवाना): चेयरमैन साहब, बजट की जनरल डिस्कान पर काफी अच्छे सुझाव सरकार के सामने आये है। (भाोर) मैं अपने हल्के के बारे मे 2-4 बाते अर्ज करना चाहता हूं। कल मैं नही कह सका था इसलिये मैं अब बोलना चाहूंगा। चेयरमैन साहब, मैं डिमांड नं. 8, 9, 10 तथा 11 पर संक्षेप मे बोलना चाहूंगा। चेयरमैन साहब, नरवाना एक छोटा सा टाऊन है। वहां पर वाटर सप्लाई स्कीम 10-12 साल पहले 10-12 लाख रूपये लगा कर बनाई गई थी। उस स्कीम का जो स्टोरेज टैंक है, वह नीचे बैठ गया है उसके कारण जो पानी सप्लाई होता है, वह काफी गंदा पानी आना भुरू हो गया हैं चौधरी देवी लाल जी की सरकार के टाईम मे इस बारे मे मैंने एक काल अटैंटान मोान भी दी थी और उस बजट पर बोलते हुए भी मैंने बार बार यह कहा था कि इस वाटर सप्लाई स्कीम को टेक ओवर किया जाये। 30 हजार के करीब आबादी का एक कस्बा है। मैंने इसी हाउस मे, जब सरदार लक्षमन सिंह मिनिस्टर होते थे, उस समय यह जिक्र

किया था। गवर्नमेंट की तरफ से यह अ यारेंस आई थी कि नरवाना वाटर सप्लाई स्कीम को म्युनिसिपल कमेटी से लेकर पब्लिक हैल्थ डिपार्टमेंट टेक ओवर इसलिये करना था क्योंकि वहां की म्युनिसिपल कमेटी के पास टैक्निकल नो हाऊ नहीं है। इस फैसले को हुए आज करीब दो साल हो गये हैं लेकिन आज तक उस स्कीम पर कुछ भी कार्यवाही नहीं की गई है। इसलिये मैं सरकार का इस बोर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि यह जो तीस हजार का कस्बा है इस में गन्दा पानी जाने से बिमारी फैल सकती हैं इसलिये जल्दी से जल्दी उसकी रिपेयर कराई जाये। चेयरमैन साहब, मेरे इलाके में जो देहात है उनमें पीने के पानी की बहुत दिक्कत हैं पिछली सरकार ने इस बात को माना था कि नरवाना सब डिवीजन में 80 फीसदी ऐसे गाँव हैं जहाँ पर खारा पानी है उस वक्त श्री बीरेन्द्र सिंह से मुझे एक पत्र भी आया था कि हम नरवाना की स्कीम को वर्ल्ड बैंक की स्कीम के तहत लेने जा रहे हैं। मेरी सारी कांस्टीच्यूएन्सी का सर्वे भी करवाया गया लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि राजनीतिक कारणों से, बाद में उसको नहीं लिया गया। और किसी अन्य कांस्टीच्यूएन्सी को वर्ल्ड बैंक स्कीम के तहत ले लिया गया। मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि पिछले 3 सालों में मेरी कांस्टीच्यूएन्सी में कोई वाटर सप्लाई स्कीम नहीं दी गई। इसलिये मेरी कांस्टीच्यूएन्सी में जल्दी जल्दी वाटर सप्लाई स्कीम दी जाये ताकि वहाँ के गाँवों के लोगों को अच्छा पानी मिल सके। जिन गाँवों के लोगों ने अपना भोयर भी जमा किया हुआ है और वहाँ पानी भी

खराब है उसको जल्दी से जल्द भुरु किया जाये अब राठी साहब ने मुझे यकीन दिलाया है कि पिछले तीन सालो मे जो कमी रह गई हे उस कमी को पूरा कर दिया जायेगा।

चेयरमैन साहब, नरवाना म्यूनिसिपल कमेटी की भी बड़ी खराब हालत है। जैसे कि मैंने बताया है कि नरवाना एक छोटा सा कस्ब है। उसमे बहुत से हरिजन बस्तियां भी है। उनमे किसानों की भी बस्तियां है और कुछ अन्य लोगों की भी बस्तियां है। उन बस्तियों के अंदर न कोई लाईट का प्रबंध है और न ही कोई नाला आदि का प्रबंध है। नरवाना कस्बे की हालत एक बदतर गांव से भी बुरी है। इसलिये उस कस्बे की गलियों को पक्का किया जाये और लाईट आदि का प्रबंध किया जाये। मैं सरकार से यह भी दर्खास्त करना चाहूंगा कि नरवाना म्यूनिसिपल कमेटी के पास कोई आमदनी के साधन नहीं है। इसलिये सरकार नरवाना कमेटी को कोई स्पे ाल ग्रांट दे कर वहां पर लोगों की सुविधाओं के लिये काम कराये। पिछले आम चुनावों के दिनों मे मुख्य मंत्री जी ने एक लाख या दो लाख रूपये देने का एलान भी किया था। मैं चाहता हूं कि कम से कम 5-7 लाख रूपये उस म्यूनिसिपल कमेटी को दिये जाये ताकि वहां की बस्तियां को न्यूनतम सुविधाएं दी जा सके।

चेयरमैन साहब, नरवाना के बस स्टैण्ड की भी बहुत खराब हालत है। यह बस स्टैण्ड म्यूनिसिपल कमेटी का बनाया हुआ है। वर्षा के दिनों मे वहां पर 4-5 फुट पानी खड़ा हो जाता

है। इस बस स्टैण्ड से 300 बसें रोजाना गुजरती है। मैं सरकार से अ यारेंस चाहूंगा कि वहां पर नया बस स्टैण्ड जल्द से जल्द बनाया जाये। मंत्री महोदय मेरे दोस्त भी है लेकिन उन्होंने जो बस स्टैंडज की लिस्ट दी है उस मे अब भी नरवाना बस स्टैण्ड का नाम नहीं है। मुझे मंत्री जी से उम्मीद है कि उसको ये प्रायोरिटी बेसिज पर बनाये जाने पर ध्यान देंगे।

चेयरमैन साहब, एक बात और कहना चाहता हूं कि कल मैंने एम्पलायमेंट के बारे मे सुझाव दिया था, उसमे एक बात और ऐड करना चाहता हूं। हरियाणा मे हजारो पढ़े लिखे नौजवान गांवो मे रहते है। जब हरियाणा के अंदर कोई जगह निकलती है तो उनको पता लग जाता है लेकिन जब कोई सेंट्रल या रेलवे मे कोई जगह निकलती है तो उनको पता नहीं लगता। इसलिये मेरी हरियाणा सरकार से गुजारि है कि गांवो और कस्बों के जो नौजवान है उनके लिये ऐसे गाईडैंस ब्योरो का प्रबंध किया जाये जो उनको इस बात के लिये गाईड कर सके कि कहां एग्जाम देना है, कहां पर वेकेंसी है ताकि वे उसके लिये एप्लाई कर सकें और तैयारी कर सकें। मैं चाहता हूं कि सरकार इस बात के लिये जरूर कदम उठाये क्योंकि ऐसा करने से गरीबो के बच्चे ज्यादा से ज्यादा नौकरी पा सकेंगे।

चेयरमैन साहब, इसके साथ ही आखिर मे, मैं एक बात और कहना चाहता हूं। डिमांड नं. 1 विधान सभा के बारे मे है, चेयरमैन साहब, आपको खुद को भी पता हे कि एम.एल.एज.

पलैट्स में फर्नीचर के बारे में अढ़ाई तीन साल पहले सरकार ने यह कहा था कि हम इसके लिये कुछ पैसा देंगे। अब जो वहाँ पर फर्नीचर है वह 10-15 या 20 साल पहले का खरीदा हुआ है जोकि बिल्कुल टूट चुका है.....

श्री सभापति: 25 साल पुराना है।

श्री भामदेर सिंह: जी हाँ, 25 साल पुराना फर्नीचर है जोकि बिल्कुल टूट चुका है किसी भी पलैट में फर्नीचर की कोई भी आइटम पूरी नहीं है और बड़ा पुराना फर्नीचर है। करीब दो तीन साल पहले सरकार ने यह कहा था कि हम इसके लिये कुछ पैसा अलाट करने वाले हैं। आज उस बात को भी तीन साल हो गये हैं और फर्नीचर की इतनी खराब हालत हो गयी है कि उस फर्नीचर से काम चलना बहुत मुश्किल हो गया है। कोई अपने घर से फर्नीचर ले आये तो बेनाक ले आये, वरना जो फर्नीचर मिला हुआ है, वह तो इस्तेमाल नहीं हो सकता। हम पलैट्स का भी किराया देते हैं और फर्नीचर का भी किराया देते हैं। किराया जरूर कम है। किराया बेनाक और ज्यादा ले लें लेकिन एम.एल.एज. पलैट्स को प्रोपर्ली फर्निश करने के लिये पूरा रूपया रखें। आखिर में मैं ला एण्ड आर्डर के बारे में एक बात और कहना चाहता हूँ। हमारी जो पुलिस की मीनिरी है वह टाप हैवी है। बहुत से डी.आई.जी. बनाए गए हैं और इसके अलावा दूसरे काफी अफसर और कर्मचारी भी हैं। चेयरमैन साहब, यह कहना कि हरियाणा में ला एण्ड आर्डर सब अच्छा है, सब ठीक है, ऐसी बात

बिल्कुल नहीं है। इसमें अभी काफी इम्पूवमेंट करने की जरूरत है। इसके लिये मैं समझता हूँ कि मेजर कारण अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। यह कारण है कि हरियाणा की पुलिस की जो टाप हीरारकी है, उसके अंदर पार्टीबाजी है, वह आपस में लड़ती रहती है। यह कोई किसी से बात करता है तो पहले यह पूछता है कि आप किस गुप से ताल्लुक रखते हो। जब पुलिस वालों के अंदर ही यह बात हो कि वे पार्टीबाजी रखते हो, तो फिर उनसे इंसाफ की पब्लिक कैसे तव्वको कर सकती है। मुझे तो पुलिस की टाप हीरारकी के दिमागों में भी कुछ खराबी नजर आती है, मैडीकली वे फिट नहीं है। उनका मैडीकली चैक अप भी करवा लेना चाहिए भायद उन में से किसी के दिमाग भी ठीक न हो। मैं इतना कहते हुए सरकार से दरख्वात करूंगा कि वे मेरी बातों की और सीरिसली सोचे और इनको ठीक करने की कोशिश करें।

श्री देवी दास (सोनीपत): चेयरमैन साहब, मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। मैं न तो गवर्नर ऐड्रेस पर बोला हूँ और न ही बजट के ऊपर बोला हूँ। अब मैं डिमांड नं 3, 8 और 10 पर बोलना चाहता हूँ। डिमांड नं. 3 में 15 करोड़ रुपया इस बजट के अधीन पुलिस के ऊपर खर्च करने के लिये रखा गया है। इसमें से एक करोड़ रुपया सी. आई.डी. यानी खुफिया पुलिस के लिये रखा गया है। मेरा अपना तजुर्बा है कि हरियाणा की खुफिया पुलिस सिर्फ पोलिटीकल लोगो की इंकवायरी करने और उनके आगे पीछे घूमने के सिवाए और

कोई काम नहीं करती है। सुजाता कांड जो गोहाना से सबसे बड़ा कांड हुआ था, उसका पता यह लगा सकती थी। लेकिन इसको तो पोलिटिकल आदमियों के पीछे घूमने से ही फुरसेत नहीं मिलती। इसके अलावा खानपुर में अभी कांड हुआ है, सोनीपत भाहर के अंदर इतने कत्ल और डकैतियां होती रहती हैं, कभी सी.आई.डी. ने इनका सुराग निकालने की कोशिश नहीं की। चेयरमैन साहब, हम सी.आई.डी. एक करोड़ रुपया खर्च करने जा रहे हैं। मेरा कहना यह है कि ये लोग सिर्फ एम.एल.एज. पीछे घूमने, उनकी गतिविधियों को नोट करने के और कोई काम नहीं करते। इसके साथ ही पुलिस के लिये एस.एच.ओ. से लेकर कांस्टेबल तक के लिये 10 करोड़ रुपया इस बजट में मांगा गया है। मैं सोनीपत के अंदर हुए केसों की दो-तीन मिसालें देना चाहता हूँ। सोनीपत के अंदर अगर कोई चोनी हो जाये तो अब्बल तो मिलती नहीं अगर मिल जाये तो एस.एच.ओ. जब उस चोर से चोनी के बारे में पूछता है तो अक्सर चोर ठीक नहीं बताता कि उसने किसको माल बेचा है। चोर और दुकानदार जिसने चोर के माल खरीदा होता है, वे आपस में मिले होते हैं। चोर सीधा एस.एच.ओ. को उस छोटे सुनारे की दुकान पर ले जाता है, जिसने उसका माल लेने से इंकार किया होता है। चोर जान बूझकर किसी ऐसे गरीब सुनारे का नाम ले देता है जिसका चोरी का माल खरीदने से कोई वास्ता नहीं होता। एस.एच.ओ. चोर के बताने पर सीधा पुलिस फोर्स लेकर उस गरीब सुनारे के पास पहुंच जाता है और उसको यह धमकी देता है कि अगर दो तोले सोना और 60 किलो चांदी भाम

तक न पहुंची तो तेरा चालान किया जायेगा। वह गरीब छोटा दुकानदार बेचारा मारा मारा एम.एल.एज. के पास फिरता है। अगर कोई एम.एल.ए. उस एस.एच.ओ. से टेलीफोन करके यह पूछे कि भई बता इसका कसूर क्या है जबकि सारे इलाके के मोहतबर आदमी यह कहते हैं कि यह ईमानदार है और इसने माल नहीं खरीदा। तो वह कहता है कि इसने तो चोरी का माल खरीदा है, चोर यह कहता है कि मैंने इसी आदमी को बेचा है। इसलिये मैं चाहता हूं कि कानून इस तरह से बनाया जाये ताकि किसी भी ईमानदार आदमी को नाजायज तंग न किया जा सके। पुलिस सिर्फ उसी आदमी से जाकर पूछे जिसके बारे में उसके पपस पक्का सबूत हो कि उसने माल खरीदा है। जब इलाके के चार पांच मोहतबर आदमी यह लिखकर देते हैं कि इस आदमी ने चोरी का माल नहीं खरीदा है और उसके बावजूद भी अगर चोर है और वह असली दुकानदार जिसने वह माल खरीदा हुआ है, उससे मिला हुआ है। इसलिये मेरा कहना यह है कि इसके लिये कानून को चाहे जिस तरीके से भी बदलना पड़े, हमें बदलना चाहिए। हमारे सोनीपत में तो इस वजह से ऐसे हालात हो गये हैं कि वहांपर कोई भी सुनारे की दुकान खोलने के लिये तैयार नहीं है। बैकवर्ड क्लासिज के लोग जो बोचारे छोटे छोटे गहने बनाते हैं, वे भी अपनी दुकानें बंद कर रहे हैं। नयी खोलने के लिये तो कोई तैयार नहीं है क्योंकि पुलिस उन लोगों को बिना वजह तंग करती है। मुझे सोनीपत कापता है कि वहां पर पुलिस के डर की वजह से सुनारों की दुकानें बंद हो रही हैं। वहां काएस.एच.ओ. जिसने उन

गरीब लोगो से रूपया वसूल किया है, अगर आप चाहे तो मैं उसका नाम बता सकता हूं।

अब मैं डिमांड नं. 10 के ऊपर आता हूं। डिमांड नं. 10 हैल्थ के बारे में है। सोनीपत में 150 बेड्स के हास्पिटल का एलान हो चुका है और उसके लिये जमीन भी एक्वायर हो चुकी है। जमीन एक्वायर होने के बाद जितनी जमीन ली गयी है और किजनी छोड़ी गयी है, मैं उस बात में नहीं जाना चाहता हूं। मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि इस काम के लिये सरकार का लाखों रूपया खर्च हो चुका है। इसलिये वहां पर जल्दी से जल्दी नया हास्पिटल बनाया जाना चाहिए। डी.एच.एस. आफिस जो चण्डीगढ़ में है, तीन साल को मेरा अपना तजुर्बा है, एक आर्डर भी अगर सरकार का यहां से चला जाये जो वहां पर बैठे हुए क्लर्क की मर्जी है, उसको वह इम्प्लीमेंट करे या न करे। यह बात सारे एम.एल.एज. भी जानते हैं, आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। दूसरा हरियाणा में अस्पतालों को बूचड़खानों का नाम दिया जाता है। कहीं पर कोई बीमार चला जाये तो वह प्राइवेट अस्पताल का नाम पूछेगा, सरकारी अस्पताल में कोई नहीं जायेगा क्योंकि उनको पता है कि वहां पर मरीज का इलाज होने तक हो सकता है उसकी जान ही चली जाये। सोनीपत वहां पर हस्पताल जल्दी से जल्दी बनाया जाना चाहिए। चेयरमैन। चेयरमैन साहब, अब मैं डिमांड नंबर आठ पर आता हूँ। चेयरमैन साहब , 1977 से जब मैं एम.एल.ए. बना हूँ। (व्यवधान)

चौधरी सतबीर सिंह मलिक: आन ए प्वायंट आफ
आर्डर। चेयरमैन साहब, * * * * *
* * * * *

(व्यवधान)

श्री सभापति: यह सारी बात एक्सपंज कर दी जाये
(व्यवधान)

Local Government Minister (Chaudhri Khurshid Ahmed): Chairman Sahib, these words are not in good taste and should be expunged.

Mr. Chairman: These words have already been ordered to be expunged.

चौधरी गंगा राम: आन ए प्वायंट आफ आर्डर (व्यवधान)
में तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि—

श्री सभापति: आप बैठ जाइये (व्यवधान)।

श्री देवी दास: चेयरमैन साहब, मैं बता रहा था कि जब से मैं एम.एल.ए. बना हूँ आज इस बा को तीन साल हो गये है मेरे हल्के मे म्यूनिसिपल कमेटी की सड़कों को छोड़कर एक किलोमीटर सड़क भी नहीं बनी है। हमारे मुख्य मंत्री जो पहले कोआप्रे इन मिनिस्टर थे, उस वक्त एलान भी करके आए थे कि ये सड़के जल्दी ही बना दी जायेगी लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वे सड़के नहीं बनाई गई है। मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि मेरे हल्के मे दो सड़के पिनाना से सलादपुर

माजरा और चटिया से सांदल स्टे 1न तक बनाने की कृपा करे। ये सड़के मंजूर हुई पड़ी है। इनके बारे मे जब ऐक्सियन से बत करते है तो जवाब मिलता है कि मिनिस्टर से बात करो। चेयरमैन साहब, इस बजट मे सड़को के लिये दस करोड़ रुपया रखा गया है, इसलिये सरकार को चाहिए कि जिन हल्को मे अभी तक एक किलोमीटर सड़क भी नही बनी है, वहां सब से पहले सड़क बनानी चाहिए।

जहां तक स्कूलों को अपग्रेड करने का सवाल है यह ठीक हे कि मेरे हल्के मे तीन स्कूल अपग्रेड कर दिये गये है इसके लिये मैं सरकार का धन्यवाद करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि जब और डिमांड आएगी तो उन पर बोलने के लिये मुझे पांच मिनट ओर दिये जायें (व्यवधान) क्योंकि मैं न तो गवर्नर ऐड्रेस पर अभी तक बोला हूं और न ही बजट पर बोला हूं (व्यवधान)। चेयरमैन साहब, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जनता लेजिस्लेचर पार्टी के अंदर श्री मांगे राम गुप्ता ने कहा था कि चाहे आप सारे जनता पार्टी को नही छोड़ूंगा (व्यवधान)।

श्री सभापति: आप डिमांड पर ही बोले।

श्री देवी लाल: चेयरमेन साहब, ये कह रहे है कि चेयरमैनी कायम रहेगी। मैं कहना चाहता हूं कि एक साल तक चेयरमैन रहने का हमारा हक है और हमारी पार्टी ने कहा है कि चेयरमैन रहो। मैं सिद्धांत के लिये हजार चेयरमैनी छोड़ सकता

हूँ। मैं इन लोगों की तरफ से नहीं हूँ जिन्होंने गद्दियों के लिये दलबदल किया है (व्यवधान)। (इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए) डिप्टी स्पीकर साहब, बजट के अंदर हमारे वित्त मंत्री महोदय ने जो दो लाख तक खरीद फरोख्त करने वाले दुकानदारों को सेल्ज टैक्स की असैसमेंट की छूट दी है इसके लिये मैं उनको बधाई देता हूँ। वैसे मैं सदन को बताना चाहता हूँ कि यह छूट जनता पार्टी ने दी थी लेकिन इसका श्रेय चौधरी भजन लाल ले रहे हैं। डिप्टी स्पीकर साहब, अंत में मैं दो बातें कहकर बैठ जाऊंगा एक तो यह है कि मेरे यहां अस्पताल बनना चाहिए जिसके लिये जमीन ऐक्वायर हो चुकी है। दूसरी बात यह है कि सोनीपत से दूसरे प्रांतों को कोई बस नहीं जाती है। सिर्फ दिल्ली की बसें सोनीपत से जाती हैं और किसी दूसरे प्रांत को सीधी बसें नहीं जाती हैं। मेरी प्रार्थना है कि सोनीपत से दूसरे प्रांतों को बसें चलाई जाएं। धन्यवाद।

चौधरी हरि चूद हुड्डा (किलोई): डिप्टी स्पीकर साहब, मैं चार दिन से अपने दोस्तों के विचार सुन रहा हूँ। मैं डिमांड नंबर 2 पर अपने दोस्तों के लिये और जनता के लिये करूंगा। डिप्टी स्पीकर साहब, गवर्नर साहब का जो इंस्टीच्यूटिव है, उस पर बहुत ज्यादा खर्चा किया जा रहा है। पिछले तीस साल में, गवर्नर की जो पावर्ज थी वे कम कर दी गईं और पैसा ज्यादा खर्च करना शुरू कर दिया। ये पावर्ज तो पोलिटिक्स को चली गईं लेकिन गवर्नर साहब के दफ्तर पर बहुत खर्च किया जाने लगा।

डिप्टी स्पीकर साहब, हिन्दुस्तान का, गुरबत और गरीबी मे दूनिया मे 125वां नंबर है। जो दे 1 आजादी से पहले सोने की चिड़िया कहलाता था, उस दे 1 की आज हालत यह है कि वह संसार मे गरीबी के मामले मे 125वें नंबर पर है। मैं अपने दोस्तो को बताना चाहता हूं कि जो बजट होता हे वह गवर्नर ऐड्रेस का रिफ्लैक्शन होता हैं बजट पर डिस्कशन होती है, डिमांडज आती है, फिर ऐप्रोप्रिएशन बिल आता है। ये सारी चीजें पिछले तीस साल से चल रही है। इसको बदलने की जरूरत है। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं बता रहा था कि सोने की चिड़िया कहलाने वाला दे 1 क्यों गुरबत के 125वें नम्बर पर है, इसका क्या कारण है ? डिप्टी स्पीकर साहब, इसका सब से बड़ा कारण है कि जो पे 1 किया जाता है It is not a budget but a tug of war f economy between the rich sna the poor. The bureaucracy Govt. has always been on the side of the rich. Under these circumstances, income has never been distributed equally which is the main source of equality within this country.

डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपको बताना चाहता हूं कि डाक्टर राम मनोहर लोहिया भारतवर्ष के सब से बड़े और महान नेता थे। उन्होंने हर जगह पर यह कहा कि यह जो न्दुस्तान के बजट पे 1 होते है, ये जनता को कंगाल बनादेंगे और हिन्दुस्तान का सत्याना 1 कर देंगे। इस की सारी जिम्मेदारी उनहोंने कांग्रेस पार्टी और पंडित जवाहर लाल नेहरू पर डाली थी। इसके बाद दूसरी मिवाल देता हूं जे.के. हिकस की । तीसरी कुटे 1न है श्री

बी.एन. गंगोली जी की और उसके बाद अगली कुटे इन है श्री गैडगिल साहब की। इन सभी के अपने अपने विचार थे, इन्होंने कहा था कि इस देश में सिवाए कृषि इन और गरीबी, कंगाली व भूखमरी के और कुछ नहीं होगा। इसका मूल कारण इस देश में जो बजट पेश होते हैं, उन पर डाला जा सकता है।

डिप्टी स्पीकर साहब, इससे आगे मैं यह बताना चाहता हूँ कि 1947 के अंदर पाकिस्तान बना और इसका हवाला एक किताब 'फ्रीडम एट मिड नाईट' के पेज 224 पर दिया गया है। उसमें लिखा है कि * * * * *

* डिप्टी स्पीकर साहब, उस वक्त पंडित जवाहर लाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे और होम मिनिस्टर थे श्री पटेल और फाईनैस का विभाग श्री लियाकल अली खां जी को सौंपा गया था। हिन्दुस्तान के अंदर (विधन)

चौधरी खुरीद अहमद: डिप्टी स्पीकर साहब, आन ए प्वायंट आफ आर्डर। मेरे आनरेबल दोस्त हुड्डा साहब, जोकि बुजुर्ग हैं, ये बोल तो रहे हैं डिमांड नं.1 पर, जोकि विधान सभा से ताल्लुक रखती है पर वे इस की बजाये यहां पर हिस्टरी कह रहे हैं। नेशनल आरकाईवज के बारे में कह रहे हैं। वे कौन सी डिमांड के साथ इसको कनेक्ट करते हैं। He should be relevant to the demands under discussion. (गौर एवं व्यवधान)

चौधरी हरि चंद हुड्डा: डिप्टी स्पीकर साहब, मैं कह रहा था कि हिन्दुस्तान के अंदर क्या होता रहा। जब 1946 में इंटैरिम गवर्नमेंट बनी थी, उस वक्त मुहम्मद लियाकल अली खां के कहे अनुसार जितनी बड़ी बड़ी रैवेन्यू की पोस्टे थी, वे सारी की सारी हरिजनो को दे दी और बड़ी बड़ी पर टैक्स लगा दिये गये। यह भी कहा कि सारे हिन्दुस्तान में इस से जातपात नहीं रहेगी और सो गलिजम आ जायेगा। डिप्टी स्पीकर साहब, * *

* * * * *
* * * * *

डिप्टी स्पीकर साहब, अब मैं डिमांड नंबर 8 पर अपने विचार रखना चाहता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष: हुड्डा साहब, आप अपनी स्पीच खत्म करे, आपका समय हो गया है।

चौधरी हरि चंद हुड्डा: एक दो बातें कह कर मैं अपना स्थान लूंगा। मेरे हल्के में छछरौली के पास एक सड़क है। छछरौली से बेचिराग मौजा तक वह सड़क जाती है। उस सड़क को जहां से लोग चाहते हैं, वहां से बी एण्ड आर वाले देते नहीं हैं और जहां से लोग नहीं चाहते हैं, वहां से बी एण्ड आर वाले देना चाहते हैं। आज से 10 साल पहले सरकार ने यह थोड़ा सा पोर्न गलत बना दिया था, जिसके कारण लोगों को काफी तकलीफें हो रही हैं। इस गलती को छुपाने के लिये सरकार यह सड़क का सही टुकड़ा बनाना चाहती तो मेरा सरकार को सुझाव

है कि जिस तरह से गांव के लोग इस सड़क को चाहते हैं सरकार को चाहिए कि वहां से यह सड़क बना दी जाये ताकि लोगों को आने जाने में किसी प्रकार की असुविधा न हो।

डिप्टी स्पीकर साहब, इसके साथ साथ मैं यहां सरकार से एक और बात कहना चाहता हूं कि एक पुल है जिसका नाम है टटोली। यह पुल 10-15 साल पहले बड़ा टेढ़ा सा बन गया था। इस की तामीर पर भी बहुत सारी पैसा खायी जा चुका है। इस को मौके पर चौधरी भजन लाल और चौधरी देवी लाल जी, दोनों को दिखाया गया था और बताया गया है। उस वक्त श्री कक्कड़ भी वहां पर मौजूद थे लेकिन काफी समय बी चुका है, बी एण्ड आर वालो ने अभी तक इस पर कोई एक्शन नहीं लिया है। सरकार से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस पुल की तरफ भी ध्यान दिया जाये ताकि गांवों के लोगों को, जिनको इस पुल से वास्ता पड़ता है, सुख का सांस मिल सके। (गौर एवं व्यवधान)

श्री उपध्यक्ष: हुड्डा साहब, आप वाइंड उप करें।

चौधरी हरि चंद हुड्डा: डिप्टी स्पीकर साहब, इससे आगे एक बात अंत में कह कर मैं अपना भाषण खत्म करूंगा। गांवों में पशुधन बढ़ा प्रिय होता है इसलिये कृषि के साथ साथ पशुओं की रक्षा करना भी हमारा फर्ज है। किसानों को इससे काफी मदद मिलती है। गांवों में पशुओं को एक बीमारी लग जाती है और उस बीमारी को दूर करने के लिये एक टीका लगाया

जाता है, उसका नाम है इंटीसाईट। यह एक साल्ट का टीका होता है। जो डंगरों की सुरा की बीमारी का इलाज करता है। यह लोगों को अवेलेबल नहीं होता है और यह 60 रूपये की बजाये 100-100 रूपये ब्लैक में बेचा जाता है। सरकार को पहले तो इस बात की रोकथाम करनी चाहिए कि किसानों के काम की वस्तुओं पर किसी किस्म की ब्लैक न हो। जो ब्लैक करते हैं उन पर एक्शन हो। साथ ही सरकार को यह भी उचित प्रबंध करना चाहिए कि किसानों को समय समय पर ये सहूलियतें उपलब्ध हो सकें ताकि किसानों की जो 5-5 और 10-10 हजार रूपये की भैंसे मर जाती हैं, उस नुकसान से वे रिजीफ पा सकें। (विघ्न)

श्री उपाध्यक्ष: हुड्डा साहब, वाइंड अप करे।

चौधरी हरि चंद हुड्डा: डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आखिर में इतना ही कहूंगा कि मंहगाई की वजह से इस वक्त हमारे देश में 80 परसेंट किसान और मजदूर मर चुके हैं। इस कांग्रेस सरकार ने इन लोगों को तबाह करके रख दिया है। मेरा यह सुझाव है कि अगर आप इन लोगों को बुनियादी ढंग से ऊपर उठाना चाहते हैं तो चौधरी चरण सिंह जी की नीति को अपनाओ, और जो मैनीफैसटो लोकदल ने अपनी पार्टी का निकाला है, उसको अपनाओ, तभी आप इन गरीबों को ऊपर उठाने में समर्थ हो सकते हो और हिन्दुस्तान को ऊपर उठा सकते हो। इन भावों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हुआ अपना स्थान लेता हूँ कि आपने

मुझे बोलने का समय दिया (गोर) (इस समय कई सदस्य बोलने के लिये खड़े हो गये)

श्री उपाध्यक्ष: श्री जगदी 1 कुमार बैनीवाल। साहेबान, मैं यह को 1 1 कर रहा हूं कि जो साहेबान बजट पर नहीं बोल सके, उनको अब बोलने का मौका दिया जाये।

स्वामी आदित्यवे 1: उपाध्यक्ष महोदया, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। * * * * *
* (गोर)

श्री उपाध्यक्ष: ये अलफाज सदन की कार्यवाही से एक्सपंज कर दिये जायें।

चौधरी जगदी 1 कुमार बैनीवाल (दढ़ता कलां):
उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले डिमांड नं. 2 पर बोलूंगा। इसके अंदर जुडि 1 यरी और एग्जैक्टिव के पे स्केलज मे बहुत अंतर है और न ही जुडि 1 यरी को एग्जैक्टिव के मुताबिक कोई सहूलियत मिलती है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा और मांग करूंगा कि जुडि 1 यरी के पे स्केलज के बारे मे जरूर ध्यान रखा जाये और उनके साथ साथ न्याय किया जाये।

इसके बाद मैं डिमांड नंबर 3 के संबंध मे कुछ कहूंगा कि गृह विभाग से संबंधित है। पिछले साल 31-3-79 को चौधरी देवी लाल की सरकार ने डी.एस.पी.जे. के पे स्केल रिवाइज करने का वायदा किया था जोकि अब तक लागू नहीं किये गये है।

दूसरी बात यह है कि एक चौधरी राम स्वरूप इन्स्पैक्टर थे उनको दस हजार रुपये का एवार्ड दिया गया था जोकि बदले की भावना से वापिस ले लिया गया है। उन्होंने एक लाख रुपये की रि वत लेने से इंकार किया था इसलिये उनको यह दस हजार रुपये का एवार्ड दिया गया था। सरकार से मेरी निवेदन है कि वह एवार्ड उसको जरूर मिलना चाहिए। (विघ्न)

इसके बाद मैं डिमांड नं. 4 पर आता हूं। जिस तरह से पिछली सरकार ने बिजली का फ्लैट रेट तय किया था उसी तरह से पानी का भी घंटों के हिसाब से फ्लैट रेट होना चाहिए। चाहे 50 रुपये घंटा हो या 60 रुपये घंटा हो। ऐसा करने से किसान लोगों का बचाव हो सकेगा और एक दूसरे के नाम गिरदावरी का झगड़ा भी नहीं रहेगा।

इसके बाद मैं डिमांड नम्बर 8, जो सड़कों के बारे में है, पर कुछ कहना चाहता हूं। मेरे हल्के दढ़वा कलां में जितनी सड़कों पर काम हो रहा था वह सारा रोक दिया गया है। मेरा निवेदन है कि उन सड़कों पर दोबारा काम भुरु करवाया जाए। दूसरे मैं कुछ सड़कें और बनाने के लिए सरकार से निवेदन करूंगा। वे हैं सहुवाला 2 से ताजिया खेड़ा और गुसाईयाना से खेड़ी तक। ये सड़कें जल्दी कम्पलीट की जाएं ताकि वहां के लोगों को सहूलियत मिल सके। मैं कहना चाहता हूं कि जो एम. एल.एज. अपोजी 1न में हैं, उनका काम चाहे न हो लेकिन पब्लिक का काम नहीं रूकना चाहिए, वह जरूर होना चाहिए।

इसके बाद मैं डिमांड नम्बर 9, जो शिक्षा के बारे में है उस पर बोलना चाहता हूँ। मेरे हल्के में दो-तीन स्कूल हैं जो डाउन ग्रेड कर दिये गये हैं। मैं सरकार से निवेदन करूँगा कि उनको फिर से अपग्रेड किया जाए। (गोर एवं विघ्न) मैं सरकार के ध्यान में एक बात और लाना चाहता हूँ। (विघ्न)

श्री बलदेव तायल: डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपका यान रूल 97 की तरफ दिलाना चाहता हूँ और खास कर जो मंत्रिगण बैठे हुए हैं उनका ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि एक आम सदस्य से ज्यादा जिम्मेदारी मंत्रिगण की है। वे इस हाउस को प्रोपरली और गरिमा के साथ चलाएं। रूल 97 में लिखा हुआ है:—

“Rule 97. Whilst the Assembly is sitting, a member:-

(i) shall not read any book, newspaper or letter except in connection with the business of the Assembly;

(ii) shall not interrupt any Member whilst speaking by disorderly expression or noises or in any other disorderly manner....

(ix) shall not obstruct proceedings, hiss or interrupt and shall not make running commentaries when speeches are being made in the Assembly.”

श्री उपाध्यक्ष: मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूँगा (विघ्न)

श्री बलदेव तायल: उपाध्यक्ष महोदय, आपको निवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। आपको पूर्णरूपेण इस गरिमामय

सदन में अधिकार है कि आप उनको हुकम दे सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं। यहां पर जो कांटेन्चुसली मंत्रियों द्वारा इन्ट्रान की जाती है वह भावनीय नहीं है (गोर)।

परिवहन मंत्री (श्री जगन नाथ): उपाध्यक्ष महोदय, अभी तायल साहब और संत कंवर जी ने एक अजीब बात की। ये दोनों नये मेंबर हैं। ये खड़े होकर रूल तो पढ़ देते हैं लेकिन इनको रूलों का पता नहीं है। लोक सभा के अन्दर भूतपूर्व स्पीकर सरदार हुकम सिंह की एक रूलिंग है कि जब तक मंत्री बैठा होता है तब तक वह मंत्री नहीं कहलाला है। जब वह जवाब देता है उस वक्त वह मंत्री कहलाता है। इसलिये जितना राइट इनका है उतना ही राइट हमारा हैं,।

श्री बलदेव तायल: उपाध्यक्ष महोदय, यह आवयक नहीं है कि जो पुराना मेंबर हो वह आलम फाजिल हो (गोर) कभी निरक्षर भट्टाचार्य इस सदन के मेंबर रहे हैं, उनका जिक्र नहीं करूंगा। दूसरी बात यह है कि उपाध्यक्ष महोदय के कहने के बाद किसी भी मंत्री या सदस्य को यह कहने का अधिकार नहीं है कि।

Mr. Deputy Speaker, by what he has said, he has cast an aspersion on the Chair. He may be asked to withdraw the remarks.

उपाध्यक्ष: मेरा ख्याल है इन्होंने यह नहीं कहा था कि यह चलेगा। इन्होंने आपका एक बात की तरफ ध्यान आकर्षित

किया था कि इस प्रकार की, लोक सभा में स्पीकर महोदय की रूलिंग है कि जब कोई मंत्री खड़ा होकर डिबेट का जवाब दे उस वक्त उसे मंत्री ट्रीट किया जाए बाकी समय में वह मैम्बर के तौर पर है।

श्री बलदेव तायल: उपाध्यक्ष महोदय, यहां हाउस में जो कुछ भी बोला जाता है वह रिकार्ड होता है। अभी मंत्री जी ने कहा कि यह एक्सपंज होना चाहिए (गोर एवं विघ्न)

श्री उपाध्यक्ष: यदि कोई भाब्द रिकार्ड में आया है तो मैं उसको एग्जामिन करूंगा और उसके बाद ही फ़ैसला किया जाएगा कि यह एक्सपंज किया जाए या नहीं।

चौधरी जगदी 1 कुमार बैनीवाल: डिप्टी स्पीकर साहब, जो उस समय की जनता पार्टी की सरकार ने मेरे हल्के दढ़वा कलां के अन्दर स्कूल अपग्रेड किए थे इस सरकार ने उन स्कूलों को डाउन ग्रेड कर दिया है। डिप्टी स्पीकर साहब, सिरसा डिस्ट्रिक्ट के अन्दर सबसे कम स्कूल मेरे हल्के के अन्दर हैं और आप रिकार्ड मंगवा कर देख लें कि सिरसा डिस्ट्रिक्ट में सबसे कम स्कूल अप ग्रे हुए हैं। यह अब की बात नहीं है, चौधरी बंसी लाल जी की और चौधरी देवी ला जी की आपस में बनती नहीं थी इसलिए इस जिले के अन्दर बहुत पहले से कुछ काम नहीं हुआ है। जिस समय चौधरी देवी लाल जी की सरकार बनी तो चौधरी भजन लाल की वजह से वहां पर काम नहीं हो सका। अब चौधरी

भजन लाल जी की हकूमत आई है जो उस वक्त भी उस जिले के बारे में एतराज किया करते थे, इसलिए उसी बेस पर चौधरी भजन लाल जी ने उन स्कूलों को डाउन ग्रेड कर दिया। (गोर) डिप्टी स्पीकर साहब, मैं दो चार गांवों के नाम बताता हूं, जिनके अन्दर बहुत ज्यादा स्कूलों की जरूरत है। जैसे रूपावास और गुर्सावाणा है, इन गांवों के स्कूलों को डाउन ग्रेड कर दिया गया है। सरकार की तरफ से स्कूल अपग्रेड करने के बारे में जो नार्मज निर्धारित किए हुए हैं, इन गांवों के स्कूल वे सारे नार्मज भी पूरे करते हैं। इसलिए मेरी सरकार से प्रार्थना है कि इन गांवों के स्कूल जल्दी से जल्दी अपग्रेड किए जाएं ताकि वहां शिक्षा का काम सुचारु रूप से चल सके।

डिप्टी स्पीकर साहब, अब मैं डिमान्ड नम्बर 10 के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। मेरे हल्का दढ़बा कलां में डिंग चौपटा में एक 50 बैठ का हस्पताल उस समय की जनता पार्टी की सरकार का मंजूर किया हुआ है लेकिन उस पर अभी तक काम भुरू नहीं हुआ है। डिप्टी स्पीकर साहब, जिन गांवों के नाम मैंने अभी बताये हैं, यह चौपटा उन गांवों के सेंटर में पड़ता है और इस चौपटे में मंडी भी बनने वाली है। तो मरी सरकार से प्रार्थना है कि वहां पर हस्पताल जल्दी से जल्दी बनाया जाए। डिप्टी स्पीकर साहब, इसके अलावा मेरे हल्का दढ़बा कलां में जो डिस्पेंसरी है, उसकी हाल बहुत खराब है, उस डिस्पेंसरी की बिल्डिंग बिल्कुल टूटी फूटी पड़ी है। उस डिस्पेंसरी के अन्दर किसी सर्वेन्ट के रहने के काबिल भी

कोई कमरा नहीं है। इसलिए मेरी सरकार से प्रार्थना है कि उस डिस्पेंसरी की बिल्डिंग को जल्दी से जल्दी ठीक करायसा जाए ताकि वहां का काम ठीक ढंग से चल सके।

डिप्टी स्पीकर साहब, इसके अलावा मैं डिमान्ड नम्बर 13 जोकि समाज कल्याण के बारे में हैं, पर कुछ कहना चाहता हूं। इस डिमान्ड के बारे में मेरा सरकार से इतना ही निवेदन है कि मेरे हल्के के अन्दर पानी की बहुत कमी है। जिन गांवों के अन्दर पानी की बहुत ज्यादा जरूरत है, उनके नाम मैं आपके सामने बताता हूं। जैसे सहीदावाली, नटार, दढ़बा कलां, जमाल, कागदाणा, तरकावाली, डिंग मंडी और बकरियावाली। डिप्टी स्पीकर साहब, मेरी सरकार से दरख्वास्त है कि मैंने जिन गांवों के नाम बताए हैं उनके अन्दर जल्दी से जल्दी वाटर सप्लाई करवाने की कृपा करें।

चौधरी नारायण सिंह (पटौदी-अनुसूचित जाति): डिप्टी स्पीकर साहब, मैं एजूके इन की डिमान्ड पर अपने कुछ विचार रखना चाहता हूं। डिप्टी स्पीकर साहब, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने एजूके इन के बारे में जो कुछ कदम उठाए हैं, वे बहुत ही सराहनीय कदम हैं। मेरे हल्के में एक कमला नेहरू कालेज है, उसको गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर लिया है। इसके लिए मैं चीफ मिनिस्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। वह कालेज बिल्कुल ही बंद होने जा रहा था और इस सरकार ने उसको टेक ओवर कर लिया है। डिप्टी स्पीकर साहब, मैंने उस समय की

जनता पार्टी की सरकार से एक निवेदन किया था कि मेरे हल्के में एक दो लड़कियों के स्कूल हैं, उनको अपग्रेड किया जाए। उस समय की जनता पार्टी की सरकार में आर्य साहब एजूके इन मिनिस्टर होते थे, इन्होंने मेरे से कहा कि हो जाएंगे। उन गांवों के नाम फरुख नगर और करौला है। उन गांवों के स्कूल सारी जरूरतें पूरी करते थे लेकिन वे आज तक अपग्रेड नहीं हुए हैं। इसलिए मेरी सरकार से दरखास्त है कि पिछली दफा भी मेरी कांस्टीच्यूएँसी में एक ही स्कूल अपग्रेड हुआ था कि और कांस्टीच्यूएँसीज में दो दो स्कूल अपग्रेड हुए थे। मेरी कांस्टीच्यूएँसी में नूरगढ़ गांव के स्कूल को अपग्रेड किया गया था इसके अलावा और कोई भी स्कूल अपग्रेड नहीं किया गया।

डिप्टी स्पीकर साहब, अब मैं डिमान्ड नंबर 10 पर अपने कुछ विचार प्रकट करना चाहता हूं। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने सफाई कर्मचारियों के लिए जो 50-50 रूपए बढ़ाए है, उसके लिए मैं चीफ मिनिस्टर साहब का भुक्रगुजार हूं लेकिन साथ में मैं एक यह अर्ज भी करना चाहता हूं कि चीफ मिनिस्टर साहब उस आर्डर में यह करा दें कि जो 50-50 रूपए बढ़ाए गए हैं, वे सिर्फ बाल्मीकियों को ही दिए गए हैं। इस पैसे के लिए सिर्फ सफाई कर्मचारी ही एनटाईटल्ड हैं और कोई भी कर्मचारी एनटाईटल्ड नहीं है, मैं आपकी मारफत सरकार के नोटिस में लाना चाहता हूं कि सफाई मजदूरों को जो 50 रूपए बढ़ा कर दिए गए थे वे फरुख नगर और पटौदी क म्युनिसिपल कमेटियों ने, पिछले महीने

से बंद कर दिए हैं। वे कहते हैं कि ये पैसे सरकार ने सिर्फ 6 महीने के लिए दिए थे। इसलिए मेरी चीफ मिनिस्टर साहब से प्रार्थना है कि वह पैसा उन सफाई मजदूरों के लिए आगे भी जारी रखा जाए।

डिप्टी स्पीकर साहब, तीसरी बात बड़ी जरूरी है। फरुखनगर और उसके आस पास छोटे छोटे कस्बे हैं। इन कस्बों में भाौचालय जाने के लिए कोई प्रबन्ध नहीं है। इन कस्बों में लैटरीन्ज का इन्तजाम करना बहुत जरूरी है क्योंकि कई बार औरतो को सड़कों पर ही बैठ जाना पड़ता है। इसके बारे में मैंने डी.सी. को भ कहा था कि लैटरीन्ज बनवाई जाएं। उन्होंने कहा था कि बनवा देंगे लेकिन अभी तक इसकी इम्पलीमेंटे ान नहीं हुई है। मैं सरकार से गुजारि ा करूंगा कि ऐसे कस्बों में लैटरीन्ज का अव य प्रबन्ध किया जाए। डिप्टी स्पीकर साहब, हरिजन वैल्फेयर स्कीम के तहत एक परिवार के लिए जो दो हजार रूपया रखा गया है, यह बहुत कम है, यह कम से कम पांच हजार होना चाहिए। इतनी थोड़ी सी राि ा से हरिजनों का भला नहीं होने वाला। कम से कम पांच हजार कर दिया जाए तो बेहतर होगा। इन भाब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करते हुए अपना स्थान लेता हूं।

मास्टर जोगी राम (असंध अनुसूचित जाति): उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग सं. 8 से 13 तक बोलना चाहता हूं। मैंने कई बारे बोलने की कोि ा ा की लेकिन मेरे कुछ भाई मेरे से पहले उठ

जाते थे और मेरी बात बीच में ही रहा जाती थी। सबसे पहले मैं डिमांड नं. 9, जो एजुकेशन के बारे में है, पर बोलना चाहता हूँ। आज हरियाणा में शिक्षा की स्थिति बड़ी भावनीय है। मैं निजी रूप से शिक्षा के बारे में जानता हूँ, इस विभाग में काम करने वाले अध्यापकों की तन्खाहें और अन्य सुविधायें बहुत कम हैं, उनके साथ हमें भी अन्याय होता आया है। मैं सरकार का ध्यान इस विशय की ओर विशेष रूप से आकर्षित करना चाहता हूँ। देहातों में, खास तौर पर प्राथमिक कक्षाओं को पढ़ाने वाले अध्यापक, काफी मेहनत करने के बाद, काफी पैसा खर्च करने के बाद अध्यापक का रूप धारण करते हैं। उसके बाद कक्षाओं को पढ़ाने के लिए जब वे विद्यालय में प्रवेश लेते हैं तो उनके सामने विशेष समस्याओं का बवंडर खड़ा होता है। वह सोचता है कि कोरी स्लेट के रूप में छोटा सा बच्चा तेरे सामने आया है, उसको इन्सान बनाना है। इसके साथ ही साथ उसका सामने घरेलू समस्यायें भी हैं, रोटी का मसला है, मकान का मसला है और दूसरी समस्यायें हैं जो उसको हर वक्त सताती रहती है। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूँ कि यह छोटी कक्षाओं को पढ़ाने वाला अध्यापक जो छोटे छोटे बच्चों का भविष्य बनाता है, उसका वेतन दूसरे अध्यापकों के मुकाबले में कम क्यों है ? इन अध्यापकों की तन्खाहें, माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ाने वाले अध्यापकों से कम हैं। जहां तक मैं समझता हूँ, जो अध्यापक छोटी छोटी क्लासिज को पढ़ाते हैं, उनका वेतन, उन अध्यापकों से ज्यादा होना चाहिए जो बड़ी क्लासिज को पढ़ाते हैं।

इन छोटे अध्यापकों को, बच्चों के मां बाप अपने बच्चों का जीवन सुधारने के लिए सौंपते हैं और उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से सदन में बताना चाहता हूँ कि देहातों के अन्दर, इन छोटे अध्यापकों के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है। दूसरे कर्मचारियों की तरह इनको मैडिकल भता नहीं दिया जा रहा। इनकी सर्विस पन्द्रह पन्द्रह साल की हो गई है लेकिन किसी को मैडिकल भता नहीं मिलता भाहरों के अन्दर जो बड़े और छोटे अधिकारी रहते हैं या वे लोग जो कालेजिज में लैक्चरर हैं, वे अपनी बन्धी हुई तन्खाह से काफी ज्यादा पैसा और लेते हैं। उनको मैडिकल भता मिलता है लेकिन गांवों में पढ़ाने वाले प्राथमिक अध्यापकों के साथ अन्याय हो रहा है। इन अध्यापकों को फ्लैट रेंट पर मैडिकल भता दिया जाना चाहिए। इनीक तन्खाह का 5 प्रति ात या 10 प्रति ात जो भी सरकार उचित समझे, उनको वेतन के साथ मैडिकल भता मिलना चाहिए। मुझे आ ा है कि सरकार इस तरफ गौर करेगी। इसके अतिरिक्त, बड़े बड़े कस्बों में या दूसरी जगहों में जो अध्यापक रहते हैं उनको हाउस रेंट नहीं मिलता। मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि देहातों और कस्बों में जो अध्यापक हैं, उनको हाउस रेंट दिया जाए। इसके बाद मैं सरकार को एक सुझाव देना चाहता हूँ। भानिवार को स्कूलों में मीटिंग्ज होती हैं। सरकार ने एक स्कीम चलाई है जिस पर हर साल तीन चार लाख रूपया खर्चा होता है। अध्यापक भानिवार को मीटिंग करने के लिए जाते हैं और पीछे क्लास ि ाक्षा से रहित हो जाती

है। इस मीटिंग में अध्यापक कोई रचनात्मक काम नहीं करते, वास्तव में इस मीटिंग से किसी को कोई फायदा नहीं है बल्कि जो रूपया खर्च होता है उसका दुरुपयोग होता है। (इस समय सभापतियों की सूची में से एक सदस्य चौधरी राम किान पदासीन हुए) ये अध्यापक कोई रचनात्मक काम नहीं करते। बजाये इसके कि दस बीस अध्यापक इकट्ठे हो जाएं, अपनी व्यक्तिगत बातें करें और व्यर्थ में समय नष्ट करें, और कोई काम नहीं होता। मेरा सरकार को एक सुझाव है कि ये मीटिंगज बंद कर दी जाएं ताकि पैसे का दुरुपयोग न हो।

अब मैं डिमांड नं. 12 के बारे में बोलना चाहता हूँ। चेयरमैन साहब, हरियाणा में लेबर की समस्या बड़ी अहम है। आज बेकार पढ़े लिखे लोग भी हैं। कई गांवों में अनपढ़ मजदूरों को ठीक तरह से मजदूरी न मिलने के कारण बहुत झगड़े हो रहे हैं। मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि सरकार ने देहातों में मजदूरों की मजदूरी तो निश्चित कर दी है लेकिन तहसील और जिला स्तर के अधिकारी इन बातों को, इन निर्देशों को गांवों तक क्यों नहीं पहुंचाते। ये बातें गांवों तक पहुंचाने में ये अधिकारी क्यों मदद नहीं करते? अगर ये सब बातें गांवों तक पहुंचें तो मजदूर और जमींदार के बीच में जो झगड़ा होता है, वह नहीं हो सकता। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। कुरुक्षेत्र में भाना नाम का एक गांव है जिसमें पिछले डेढ़ साल से हरिजनों के ऊपर बन्दी लगी हुई है। गांव के लोगों

ने उनका बाई काट किया हुआ है और सरकार की जानकारी में यह बात लाई जा चुकी है। यह चौधरी देवी लाल के वक्त की बात है, उनके नोटिस में यह बात आई थी लेकिन उन्होंने कोई ध्यान नहं दिया। (विघ्न) मेरे भाई संत कंवर जी वैसे ही उतावले हो रहे हैं। मैंने तो किसी पोलिटिक्स में पड़ना चाहता हूँ, न किसी की आलोचना करना चाहता हूँ। जब मेरी कोई आलोचना नहीं करता तो मैं भी किसी की आलोचना नहीं करता। मैं खुद उस गांव में गया हूँ। बी.डी.ओ., एस.डी.एम. और डी.सी. को वहां बुलाया गया था, सभी लोगों को इकट्ठा किया गया था। (विघ्न) दो साल हो चुके हैं लेकिन अब भी वहीं स्थिति है। गांव के जो मजदूर हैं, हरिजन है, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, वे सारे के सारे दिहाड़ी करने के लिए दूर कस्बों में जा रहे हैं, दसूरे गांवों में अपनी दिहाड़ी के लिए जा रहे हैं। तो मेरी सरकार से हाथ जोड़ कर प्रार्थना है कि उन लोगों के मुफाद के लिए वह पाबन्दी हटाई जाए।

चेयरमैन साहब, अपने हल्के के बारे में मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। मुख्य मंत्री जी मेरे हल्के में मूनक और असन्ध दो जगह गए थे और वहां पर बस स्टैन्ड बनाने की बात इनके सामने आई थी। वे वहां मंजूरी दे आए थे लेकिन अभी तक वहां काम भुरु नहीं हुआ है। परिवहन मंत्री जी से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि वे कृपया इस काम को जल्दी से जल्दी करवाने की कृपा करें।

सभापति महोदय, मेरे हल्के में एक मूनक ड्रेन है। उसके ऊपर पुल नहीं बना हुआ है। उस गांव की आधी जमीन उस ड्रेन से इधर है और आधी जमीन ड्रेन से उधर है। लोगों को अपने खेत में जाने के लिए दो किलोमीटर घूम कर जाना पड़ता है। तो मेरी आई.पी.एम. साहब से गुजारि है कि वे इस ड्रे पर पुल अव य बनवा दें।

सभापति महोदय, मुख्य मंत्री चौधरी देवी लाल जी जब मेरे हल्के में गए थे तो मूनक से बौहली माइनर की मंजूरी देकर आए थे लेकिन वे उसे बनवा न पाए। इसलिए मैं अपने मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि ये कृपया उसे बनवाने का कश्ट करें।

चेयरमैन साहब, अब मैं सदन का ध्यान एक विशेष बात की ओर दिलाना चाहता हूं। आज इस समाज के अन्दर एक साधनहीन है और एक साधन सम्पन्न है। एक के पास उत्पादन के साधन है और एक साधनहीन है। जो लोग यह समझते हैं कि हमारे पास बहुत कुछ है, हम बहुत ताकत रखते हैं वे यह न भूलें कि जो भूखा मर रहा है, जिसके पास रोटी, कपड़ा और मकान नहीं है वह एक दिन मजबूर होकर जिनके पास है उनसे छीन लेगा। (गोर) सभापति महोदय 240 करोड़ रूपये के बजट के अन्दर 20 करोड़ या 24 करोड़ रूपया बैकवर्ड क्लासिज औरहरिजनों के ऊपर खर्च होना चाहिए था लेकिन केवल 60 लाख रूपया खर्च हो रहा है। जब इस क्लास की आबादी सारी

पापुले 1 न की 20 परसेंट बताई जाती है तो बजट की भी 20 परसेंट राशि इनके ऊपर खर्च होनी चाहिए थी। (घंटी)

सभापति महोदय, मैं एक बहुत जरूरी बात कहने जा रहा हूँ। हरिजनों के उपर अत्याचार बहुत बढ़ रहे हैं। (विघ्न) बार बार इस बात की तरफ ध्यान दिलाया जा रहा है। (विघ्न) मुख्य मंत्री जी तो इस तरफ ध्यान दे रहे हैं लेकिन नीचे जो अफसरान हैं एस.पी. और डी.सी. वगैरह ऐसा लगता है उनको इस बात का ध्यान नहीं रहता। वे जातिवाद के जहर में फंसे हुए हैं। (गोर)

श्री सभापति: आर्डर प्लीज।

मास्टर जोगी राम: चेयरमैन साहब, आखिर में मैं डिमांड नं. 8 के बारे में एक बात कहना चाहता हूँ क्योंकि मंत्री जी अब आए हैं। असन्ध के अन्दर पी.डब्ल्यू.डी. का एक सब-डिविजन है। उसे डेढ़ साल से कोई काम नहीं मिला है। मुझे पता है कि एस.ई. उस सब डिविजन का सारा काम ऐक्सियन करनाल से करवाता है। वहां के ऐक्सियन, एस.डी.ओ. और दूसरे सारे कर्मचारी खाली बैठे हैं। यही कारण है कि असन्ध पानीपत सड़क पर आज तक काम पूरा नहीं हुआ है। (विघ्न)

(इस समय बहुत से सदस्य बोलने के लिए खड़े हुए)

श्री सभापति: बलदेव तायल।

सरदार सुखदेव सिंह: सभापति महोदय, मेरा यह निवेदन है कि जिन मैम्बर्ज को अभी तक टाईम नहीं मिला है उनको भी टाईम दिया जाए।

श्री सभापति: सबको टाईम मिलेगा, आप चिन्ता न करें।

श्री बलदेव तायल (हांसी): सभापति महोदय, वित्त मंत्री महोदय ने यह जो बजट पे 1 किया है यह घाटे का बजट है। डिमांड नं. 1 पर बोलते हुए मैं आपका और इस सदन का ध्यान बढ़ती हुई कीमतों की ओर आकर्षित करूंगा। किसी भी दे 1 के अन्दर जब तक घाटे का बजट रहेगा तब तक मुद्रा स्फीति होना आव यक है। मुद्रा स्फीति से यानी केवल कागजी मुद्रा के आधार पर किसी सरकार का चलना बिल्कुल ही अर्थ विहीन है। सभापति महोदय, घाटे के बजट को पूरा करने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका तो है कि कर लगाए जाएं। मैं वित्त मंत्री महोदय को इस बात की बधाई देता हूं कि उन्होंने हरियाणा की जनता को करों से राहत देकर कुछ न कुछ भला काम किया है परन्तु साथ ही एक बात की चेतावनी भी देता हूं। अगर इस किस्म के बजट आते रहे तो मंहगाई इतनी बढ़ जाएगी कि गरीब जनता पिस कर रह जाएगी। डिमांड नं. 1 में सभापति महोदय, पहली आईटम मंत्रिपरिषद की है। इसमें लिखा है कि 6658400 रूपये मिनिस्ट्री के ऊपर खर्च किए जाएंगे।

सभापति महोदय, मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि इस खर्च में कटौती की जा सकती है और कटौती करने से बजट का घाटा भी कम हो सकता है। सभापति जी, कहीं ऐसा न हो कि मंत्रिमंडल को घटाने की बजाए बढ़ाना भुरु कर दें और यह खर्चा 60 लाख से एक करोड़ हो जाये। मैं आपके जरिए मुख्य मंत्री जी से मांग करूंगा कि मंत्रिपरिषद को छोटा करके खर्च को घटाया जाये।

12.00 बजे

चेयरमैन साहब, दूसरी मद लोक सेवा आयोग की है। लोक सेवा आयोग एक बहुत ही लाभकारी इन्स्टीच्यूटन है परन्तु कुछ सालों से इसकी गरिमा दिन प्रति दिन हरियाणा की जनता में गिरती जा रही है। इसलिए मैं मुख्य मंत्री महोदय से मांग करूंगा कि इस आयोग के अन्दर जितने भी व्यक्ति अप्वायंट किये जायें वे हरियाणा प्रदेश के प्रसिद्ध व्यक्ति होने चाहिए। उन पर हरियाणा की जनता यह सन्देह न कर सके कि मुख्य मंत्री के कहने से, मेरे कहने से किसी और की सिफारिश से सिलैक्टेशन हुआ है। सभापति महोदय, इन्साफ केवल मिलना ही नहीं चाहिए बल्कि जनता में इसकी भावना पैदा होनी चाहिए। सरकार कोई ऐसे कानून या रूलज बनाये कि जितने भी आयोग में व्यक्ति नियुक्त हों वे रूलज के मुताबिक हों। वे रूलज भी ऐसे हों जिससे सरकार भी कुछ न कुछ बन्धी हो।

तीसरे जो सचिवालय का खर्चा यानी सामान्य सेवाओं का खर्चा हैं, इसके बारे में केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि जितनी भी सीनियर ब्योरोक्रेसी है वह पिछले 7-8 महीनों से तकरीबन स्टैन्डस्टिल हो चुकी है। कोई भी व्यक्ति जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। यहां तक पोजी तन है कि एक चपड़ासी का ट्रांसफर भी कोई बड़ा अधिकारी अपनी कलम से नहीं कर सकता है, सारी सत्ता मंत्री और मुख्य मंत्री जी के हाथ में आ चुकी है। इस बारे में केवल इतना ही कहूंगा कि ब्योरोक्रेसी को पोलिटीकलाइज नहीं होना चाहिए। उनको पोलिटिक्स से ऊपर उठकर सीधा निर्णय देना चाहिए। दे ता आज बड़े गम्भीर संकट में जा रहा है। अगर हम चाहते हैं कि दे ता बचे, जनता को राहत मिले तो इनको स्वयं फैसला करना पड़ेगा, कोई मंत्री फैसले के विरुद्ध जाता है तो उसकी अपनी जिम्मेदारी होगी।

अब मैं डिमान्ड नम्बर तीन जो निर्वाचन के बारे में है, पर अर्ज करना चाहता हूँ। निर्वाचन के बारे में केवल इतना ही अर्ज करना चाहता हूँ कि पिछले इलैक्ट तन में यह देखन में आया है कि सैंकड़ों वोटर्स के नाम काट दिये गये और उनके वोट नहीं बनाये। वे वहां पर पांच दस साल से रह रहे थे लेकिन सैंकड़ों ऐसे आदमियों के नाम लिख लिए और वोट बना दिये गये जिनका वहां से कोई सम्बन्ध नहीं था। यह एक महत्वपूर्ण चीज है इसलिए मैं आपके जरिए सरकार से मांग करूंगा कि यह इलैक्टोरल रोल बिना भेद भाव के तैयार किये जाने चाहिए।

सभापति महोदय, मैं थोड़ा सा पुलिस क व्यवहार के बारे में भी जिक्र करना चाहता हूँ। कहीं ढानी मे, कहीं ख्चानपुर में, कहीं हांसी के मिल मजदूरों की निरीह स्त्रियों के साथ केस हो रहे हैं लेकिन पुलिस विभाग उस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। इसी प्रकार से ढानी पीरान में एक माइनर लड़की का केस हुआ है जब इतना पुलिस पर खर्चा हो फिर भी वह उस बारे में सतर्क न हो तो यह प्रदे ा के लिए ठीक नहीं। पुलिस का फर्ज बनता है कि गरीबों पर और हरिजनों पर अत्याचार न हो। इस बात पर अंकु ा रखना पुलिस का फर्ज बनता है। छोटी बालिका के साथ इस प्रकार बलात्कार करना बड़ी दुःखदायी बात है। सभापति महोदय, पुलिस निरंकु ा हो तो रूल आफ अनारकी प्रिवेल होगा।

आज सारे हरियाणा में आतंक फैला हुआ है। कहीं बलात्कार, कहीं डाका और कहीं कत्ल हो रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो कहीं जनता को खुद कानून अपन हाथ में न लेना पड़े। मैं आपके जरिए निवेदन करूंगा कि जिनते भी बलात्कार के कांड है, इनकी इन्कवायरी मुख्य मंत्री महोदय चाहे अपने लैवल पर कायें, चाहे सदन की मार्फत करायें या चाहे जुडि ि ायरी की मार्फत करायें।

जेलों के बारे में भी थोड़ा सा अर्ज करना चाहता हूँ कि जो जेलों के कर्मचारी हैं, पदाधिकारी हैं चाहे वे जेल वार्डर हैं, हैडवार्डर हैं उन सबकी ड्यूजी पुलिस के बराबर ही होती है। उनकी तन्खाह भी पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों के

बराबर होनी चाहिए। इसलिए इस बात पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाये।

डिमान्ड नम्बर पांच एक्साइज एन्ड टैक्से इन के बारे में है। अभी कल ही अम्बाला में एक ठेके की आक इन हुई है। वह आक इन पिछले साल से 12 लाख रुपये कम में गया है। मैं आपके जरिए वित्त मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जब सरकार ने लिबरल पालिसी अख्तियार की है तो फिर इस ठेके की नीलामी बढ़नी चाहिए थी, गिरी क्यों है ? जहां जहां भी आक इन होती है वहां पर इस बात की जांच करें। इस केस के अन्दर भी मुझे गोलमाल लगता है और फेवरटिज्म भी लगती है।

सभापति महोदय, मैं डिमान्ड नम्बर सात के बारे में भी कुछ कहना चाहूंगा। हरियाणा सरकार की बड़ी भारी प्रैस है। वैसे तो वह प्रैस सरकारी सेवा करने के लिए है लेकिन उससे और भी पैसा उपलब्ध किया जा सकता है। मेरी मांग है कि इस पर भी गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाये।

चेयरमैन साहब, मैं एक बात और सड़कों के बारे में अर्ज करना चाहता हूं। कहीं पर अगर सड़कें बनती हैं तो बड़ा सुन्दर काम है। अगर मुख्य मंत्री या मंत्रियों के हल्कों में आव यकता से अधिक सड़कें बनती हैं और दूसरे सदस्यों के हल्कों में बहुत कम मात्रा में सड़कें बनती हैं तो फिर भी इसके बारे में एक जस्टीफिके इन जरूर रहती है कि कहीं पर तो सड़कें

बनं यानी जनता का काम तो हुआ। लेकिन एक सजै इन में इस बारे में जरूर रखना चाहूंगा कि सड़कें बनाये जाने का कोई क्राईटेरिया अब य बनाया जाना चाहिए। सड़कें चाहे पापुले इन के हिसाब से या डुप्लीकेट रोड़ के हिसाब से बनाई जाये लेकिन कोई क्राईटेरिया जरूर फिक्स होना चाहिए। मैं यह निवेदन करूंगा कि जब तक सिंगल रोड़ पूरी नहीं होती तब तक डुप्लीकेट रोड़ पर अंकु 1 रखा जाये। यदि कहीं पर गिल रोड़ बनायी जानी है तो पहले वहां पर ही बनाई जाये। इन भाब्दों के साथ चेयरमैन साहब, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया ?

श्री भागी राम (ऐलनाबाद—अनुसूचित जाति): चेयरमैन साहब, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया है। मैं डिमांड नं 8-9 के बारे में खासतौर से अर्ज करना चाहता हूं। सबसे पहले तो मैं आपका ध्यान जिला सिरसा में रानिया कस्बे की ओर दिलाना चाहता हूं। जिस समय चौधरी देवी लाल जी चीफ मिनिस्टर थे तो वे रनिया गए थे। उन्होंने वहां बाजीगरों के मुहल्ले में जाकर यह एलान किया था कि जो यहां पर धानक, हरिजन और बाल्मीकि आदि जातियां सी हुई है, उनकी गलियों को पक्का करने के लिए दो लाख रूपये इस मुहल्ले को दिए जाते हैं। यह अनांसमेंट चौधरी देवी लाल जी ने उस समय की थी जब वे मुख्य मंत्री थे। लेकिन मुझे बड़े दुःख के साथज्ञ कहना पड़ रहा है कि अब चौधरी भजन लाल जी

के आने के बाद पता नहीं वह पैसा कहां चला गया। इसी प्रकार से रनियां कस्बे के अन्दर एक जोगी बस्ती है। वहां पर सपेरे रहते हैं उन लोगों ने बीन बजा बजा कर धर्म ाला के लिए 5 हजार रुपये इकट्ठे किए थे। जब चौधरी देवी लाल जी उनकी बस्ती मंगए थे तो वे उन लोगों को धर्म ाला बनाने के लिए 15 हजार रुपये देकर आये थे। इस प्रकार से वह राशि 20 हजार हो गई थी। लेकिन बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि वह पैसा सिरसा में पड़ा है। चुनाव के दौरान उनसे यह कहा गया कि अगर वोट देंगे तो तुम का पैसा दे देंगे वरना नहीं। यह सरकार हरिजनों के साथ गरीब लोगों के साथ ऐसा व्यवहार कर रही है। इसी तरह से मैचिंग ग्रांट्स की बात है। धनुर गांव में 40 हजार 5 सौ रुपये स्कूल के लिए मैचिंग ग्रांट दी थी लेकिन इस सरकार ने उस गांव को अपने पैसे वापिस लेने पर मजबूर किया। मेरे सवाल के जवाब में यह बताया गया था कि पंचायत ने उस पैसे को वापिस ले लिया है, इसलिए यह स्कूल नहीं बन सकता। इसी प्रकार से केहरवाला कुसर को मैचिंग ग्रांट्स दी गई थी यह ग्रांट भी चौधरी देवी लाल जी देकर के आये थे। उसको भी इस सरकार ने खत्म कर दिया है। इसी तरह से हमारे एरिया के अन्दर चौधरी देवी लाल जी ने जो काम भुरु किए हुए थे या जिन कामों के लिए पत्थर रखे हुए थे वे अब सारे के सारे बंद कर दिए हैं।

अब मैं डिमान्ड नं. 8 की तरफ सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि सड़कें

नई नई मंजूर की जाती है। लेकिन जो पहले से मंजूर भुदा सड़कें हैं उन्हें बनाये जाने की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। मैं एक सड़क का नाम बताना चाहता हूँ। वह है मौजूखेड़ा। इस सड़क को चौधरी देवी लाल जी ने मंजूर किया था। इस सड़क पर ईंटें भी डाल दी गई थी लेकिन अब चौधरी भजन लाल जी के मुख्य मंत्री बनने के बाद उस सड़क से ईंटों को उठवा लिया गया है। इसी तरह से हाबोली से 8 बुर्जी घुमोड़ा थेड़ सड़क पर गांव वालों ने मिट्टी डाल दी थी। यह सड़क भी चौधरी देवी लाल जी ने बनवानी भुरू की थीं। लोगों ने 30-30 ट्रैक्टरों को लगा कर उस सड़क पर मिट्टी डाली लेकिन चौधरी भजन लाल जी की सरकार के आने के बाद उन सड़कों पर कोई काम नहीं हो रहा। चेयरमैन साहब, गांव में जो मजदूर अपने बच्चों को रोटी तक नहीं दे सकते थे वे भी एक-एक महीने तक लगातार मिट्टी डालते रहे ताकि यह सड़क पक्की हो जाये। लेकिन इस सरकार के आने के बाद वह बनानी बंद कर दी गयी। इसी प्रकार से करीआला से रानिया, रानिया से सुलतानपुर और रानिया से ढाणी सतनाम सिंह की सड़कें भी कई बार मंजूर हुईं लेकिन आज तक, कोई काम भुरू नहीं हुआ। करीआला से बणी सड़क पर मिट्टी डाल दी गई थी। अगर वह मिट्टी ऐसे ही पड़ी रही तो वह जाया हो जायेगी। इसी तरह नकोड़ा से नगराना रोड पर भी मिट्टी डाल दी है।

चेयरमैन साहब, मैं आपके जरिए सरकार से मांग करूंगा कि जिन सड़कों को मंजूरी चौधरी देवी लाल जी ने दी थी, उन सड़कों को जल्द से जल्द पूरा किया जाये। यदि उनके द्वारा मंजूर भुदा सड़कों को बन्द रखेंगे तो लोग आपके खिलाफ ज्यादा होंगे।

चेयरमैन साहब, अब मैं थोड़ा शिक्षा के बारे में भी अर्ज करना चाहता हूं। चेयरमैन साहब, मेरे हल्के में शिक्षा की बहुत कमी है। इसलिए वहां पर ज्यादा से ज्यादा स्कूलों को अपग्रेड किया जाए। चौधरी देवी लाल जी की सरकार ने 4-5 स्कूलों को अपग्रेड कर दिया था (भोर)

लेकिन बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो 4-5 स्कूल अपग्रेड किये गये थे, व अब डाउन ग्रेड कर दिये गये हैं। यह हमारे साथ धक्का किया जा रहा है। (व्यवधान व भोर)

श्री सभापति: कोई भी सदस्य बगैर परमिशन के बोलने का कष्ट न करे। (व्यवधान व भोर)

श्री भागी राम: चेयरमैन साहब,

श्री सभापति: चौधरी भागी राम जी, अब आप समाप्त कीजिये। आपका टाईम हो गया है।

श्री भागी राम: चेयरमैन साहब (व्यवधान व भोर)

श्री सभापति: आप चेयरमैन कहने पर ज्यादा टाईम लगाते हो, डिमान्ड पर कम बोलते हो जरा जल्दी समाप्त कीजिये।

श्री भागी राम: सिरसा जिला में शिक्षा की बहुत कमी है।

Mr. Chairman: No repetition please.

चौधरी भजन लाल: सभापति महोदय, इनके बाद जो माननीय सदस्य इस हाउस में अब तक नहीं बोले हैं, मेहरबानी करके उनको समय दें।

श्री सभापति: ठीक है।

श्री भागी राम: मेरे जिले में 40 हाई स्कूल हैं और मेरे ख्याल में 50 मिडल स्कूल हैं जबकि दूसरे हरेक डिस्ट्रिक्ट में करीब 150, 175 या 200 स्कूल हैं। इसलिये मैं मुख्य मंत्री जी से यह मांग करूंगा कि जो स्कूल अभी डाउनग्रेड कर दिये गये हैं, उनको दोबारा अपग्रेड कर दिया जाये और इसके अलावा अगर वे 5-7 स्कूल और अपग्रेड कर दें तो इनकी बड़ी मेहरबानी होगी।
(व्यवधान व भाोर) (घंटी)

सरदार सुखदेव सिंह (रोड़ी): चेयरमैन साहब, मैं डिमान्ड नं० पर कुछ कहना चाहूंगा। विधान सभा में पिछले दिनों स्पीकर साहब ने आ वासन दिया था कि जो विधान सभा के एम्पलाईज हैं, उनके ग्रेडज के बारे में वे सिम्पैथेटिक रूख

अपनायेंगे। इसके लिये मुझे बहुत खुशी है और इसका मैं स्वागत करता हूँ। लेकिन इसके अलावा मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ। डिमान्ड नं० 1 में जो एम० एल० एज० के लिये कर्ज का प्रवधान है उसके लिये रूलज कुछ ऐसे आकवर्ड हैं कि भायद कोई भी लोन ले ही न सके। चेयरमैन साहब, मेरे ख्याल से एक भी एम० एल० ए० ने लोन लेने के लिये दरखास्त नहीं दी होगी। अगर किसी ने दी होगी तो उसको लोन नहीं मिला नहीं है। इसलिये मेरा कहना यह है कि वे दूसरों की बात को गौरसे सुनें। मैं जो कुछ भी कहूँगा कम से कम ठीक ही बात कहूँगा। अब मैं डिमान्ड नं० 3 हमारी गवर्नमैट ने पुलिस वालों की तनख्वाह में जो सुधार किया है, उससे ला एण्ड आर्डर में बड़ा सुधार हुआ है। हमारी पुलिस अब पहले से अच्छी तरह से मुस्तदी से काम कर रही है। हमारे एक सदस्य ने यहां पर खड़े होकर कालावाली का जिक्र किया। माननीय सदस्य को, मैं यह अपील करूँगा कि कहानियों नहीं घड़नी चाहिये। उनको बड़ी जिम्मेदारी के साथ बात कहनी चाहिए थी। उन्होंने यह कहा कि वहां पर एक आदमी को उठाकर ले गए। पता नहीं उन्होंने कौन-कौन सी कहानियां बताने की कोशिश की, लेकिन वह हरकत में आयी और दूसरे दिन ही आदमी मिल गया। उसको ट्रेस कर लिया गया है। इस बात के लिये मैं अपने मुख्य मंत्री महोदय जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं अपने अपोजीटिव के भाइयों से यह कहना चाहता हूँ कि किसी दूसरी स्टेट की कोई कहानी यहां पर बताने की कोशिश न करें। जो कहानी वे बतायें, कोई बात ज्यादा बढ़ा-चढ़ा कर न

बताये। सच्चाई की बात मैं यहां पर कहना चाहता हूं कि हमारी गवर्नमेंट ला एण्ड आर्डर को काबू करने के लिये बहुत अच्छी तरह से काम कर रही हैं। इसके लिये मैं इनको मुबारिकबाद देना चाहता हूं। एक सुजै इन भी मैं देना चाहता हूं। (व्यवधान एवं भाोर)

इस समय सभापतियों की सूची में से एक सदस्य, श्री कन्हैया लाल पोसवाल, पदासीन हुए)

चौधरी जगदी कुमार बैनीवाल: आन ए प्वायट आफ आर्डर सर। इलैक् इन के दौरान एक आदमी को इन्होंने सरेआम थप्पड़ मारा था, यह तो ला एण्ड आर्डर की पोजी इन हैं। (भाोर एवं व्यवधान)

श्री सभापति: यह कोई प्वायंट आफ आर्डर नहीं हैं।

सरदार सुखदेव सिंह: पुलिस के आदमी दफतरों में काम करते हैं, उनका पहले कुछ ग्रेड्ज में फर्क होता था, यानी जब वे फील्ड में होते थे तो कुछ ज्यादा मिलता था लेकिन जब वे दफतर में आ जाते थे, तो उनको कुछ कम तनखाह मिलती थी। (व्यवधान) चेयरमैन साहब, ये लोग ला एण्ड आर्डर की बात करते हैं लेकिन इनको किसी ऐसी बात का तो पता ही नहीं। हमारे मुख्य मंत्री जी ने, हमारी इस कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट ने यह किया है कि उनको बराबर पे दी जायेगी। उनके साथ जो पहले डिस्क्रिमे इन होती थी कि फील्ड में तो एक आदमी को जैसे एस0

एच० ओ०, एस० आई० ए० एस० आई० हैड कांस्टेबिल या कांस्टेबल को ज्यादा तनखाह मिलती थी लेकिन ज्यों ही वह दफ्तर में आता था, उसकी तनखाह कम हो जाती थी, वह समाप्त कर दी हैं। इसके लिये भी यह गवर्नमेंट बधाई की पात्र हैं।

अब मैं डिमान्ड नं० 5 के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। अपोजी उन के साथियों ने यह कहा कि ठेके कम पैसे से नीलाम हुए हैं। मेरे साथी बलदेव तायल जी ने यह कहा कि ठेके की रकम में कुछ कमी आयी हैं। चेयरमैन याहब, आप देखिये, एक तरफ तो ये कहते हैं और नारा लगाते हैं कि भाराब को बन्द करना चाहिए। चेयरमैन साहब, कमी तो उस वक्त आयी थी जिस वक्त स्टेट को गलत एक्साईज पालिसी की वजह से 15 करोड़ रूपये का घाटा हुआ था। हमने 50-60 एम० एल० एज० ने यह लिख कर दिया था कि यह पालिसी गलत हैं, इससे दे 1 का भट्ठा ही बैठ जायेगा और हरियाणा का तो बहुत ही ज्यादा नुकसान होगा। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा हैं कि उन्होंने जबरदस्ती उस पालिसी को लागू किया जिससे स्टेट को 15 करोड़ रूपये का नुकसान किसकी वजह से हुआ। स्टेट का इतना बड़ा नुकसान कर दिया और फिर ये सरकार को क्रिटीसाईज करते हैं कि ठेके कम पैसे में नीलाम हुए हैं। ये हमें 11 चौधरी देवी लाल के टाईम की बात करते हैं। हो सकता हैं इस साल अकाल की वजह से नीलामी से कम रैवेन्यू आया हो। इसलिये मैं कहना चाहता हूँ कि इन भाइयों को सोच समझ कर यहां पर बात कहनी

चाहिए वैसे ही एललगे इन लगाना भाभा नहीं देता। मैंने एक दिन क्वै चन आवर के दौरान यह बात प्वांयट आउट की थी। एक बात के लिये हम सरकार को धन्यवाद देते हैं कि उसने एक भी नया टैकक्स नहीं लगाया। हरियाणा में ही नहीं सारे हिन्दुस्तान भर में लोग इस बात को एप्रीीयेट कर रहे हैं। (व्यवधान) मास्टर जी, आप तो मेरे पुराने साथी हैं, मैं पुराने जनसंघ की बात नहीं दोहराऊंगा। मैं घटकवाद की बात नहीं करूंगा, डरिये नहीं। चेरमैन साहब, मैं यह कहना चाहता हूँ कि हरियाणा में पहले ही काफी ज्यादा टैक्सिज लगे हुए हैं। उनकी पूरी रिकबरी होनी चाहिए। कोई व्यक्ति अगर दोन नवम्बर का काम करता है तो उसे रोकने की पूरी कोशिश की जाएगी यह मुझे सरकार की तरफ से यकीन है। नाजायज भाराब के बारे में जो एक्सार्ज की पालिसी बनी हुई है, उसके बानने में मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ। हमारे यहां एक्सार्ज वालों को ये पावर्ज नहीं हैं कि वे अकेले ही उस जगह पर रेड कर सकें जहां पर नाजायज भाराब निकलती हो। उनको पुलिस को साथ लेना पड़ता है। जब तक वह पुलिस का इन्तजाम करते हैं तब तक उन लोगों को पता लग जाता है। चेरमैन साहब, पुलिस को एडमिनिस्ट्रेटिव कायम रखने, गुंडागर्दी को रोकने और बादमातों को पकड़ने में काफी समय लग जाता है और जब एक्सार्ज वाले पुलिस की मदद के लिए डिमान्ड करते हैं तो पुलिस स्पेयर नहीं हाती। इस बारे में मेरा सुझाव है कि जिस तरह से राजस्थान में है उसी तरह से यहां भी करत दिया जाए। चेरमैन साहब, राजस्थान में ऐसा हक कि एक्सार्ज

वाले बिना पुलिस की मदद के डायरैक्ट ही नाजायज भाराब निकलाने वालो पर रेड करते हं। इस डिपार्टमेंट मे एक सैल खोल दिया जाए जिसका काम रेड करने का हो। चेयरमैन साहब, ऐसा करने से डिपार्टमेंट ज्यादा रेड कर सकता है।

चेयरमैन साहब, अब मैं डिमान्ड नम्बर 8 के बारे में कहना चाहता हू। मेरे से पहले कॉफी साथी इस बारे में बोल चुके हैं और कहीं-कहीं का नाम लेकर

बता रहे थे कि इन जगहों पर सड़क को नहीं रोका। यहजां तकि कि चुटाला में जहां के लिए पहले लाखों रूपया बजट में रखा गया था, वे सड़के भी बन रही हैं, उनको रोका नहीं गया है। कोई ऐसी सड़क तो हो सकती है जिसको किसी के खेत में निकाला जा रहा हो और उस आदमी ने इस जुल्म के खिलाफ कोई अपील की हो, उस सड़क को रोक दिया गया हो। जैसे कि मेरे खेत में सड़क निकाली जा रही हो मैं हाई कोर्ट में चला जाऊं और स्टे ले लूं। इस प्रकार की जो सड़क रोकी गई है उसक लिए मैं मिनिस्टर साह ब को धन्यवाद दना चाहता हू। अगर कहीं भी ऐसा किया गया है, वह पब्लिक इन्ट्रैस्ट में किया गया है, किसी मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर के इंट्रैस्ट में नहीं किया गया है।

चेयरमैन साहब, अब मैं एजुके ान के बारे में कहना चाहता हू। मेरे भाई यहां काफी भारे कर रहे थे कि हमारे हल्कों

में कोई स्कूल अपग्रेड नहीं हुआ। चेयरमैन साहब, असल बात तो यह है कि कहीं पर चौदह स्कूल अपग्रेड हुए हैं, कहीं पर पांच स्कूल अपग्रेड हुए हैं। हरेक कांस्टीच्यूएन्सी में कुछ न कुछ स्कूल अपग्रेड हुए हैं या नए खुले हैं। लेकिन यहां ये कह रहे थे कि कोई भी स्कूल अपग्रेड नहीं हुआ और न ही कोई नया स्कूल खोला गया। ऐसी बात कहना बड़ा अफसोसनाक है। मेरी कांस्टीच्यूएन्सी में तीन स्कूल अपग्रेड किए गए हैं, इसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं अपने सभी साथियों को कहना चाहता हूं कि जो दस-बारह स्कूल अपग्रेड नहीं किए गए वे क्राइटेरिया को पूरा नहीं करते थे इसके लिए इनको अफसोस नहीं करना चाहिए। चेयरमैन साहब, मैं इस बारे में एक बात और कहना चाहता हू कि मेरी कांस्टीच्यूएन्सी में अस्सी गांव हैं और केवल दो हाई स्कूल हैं। इनकी बिल्डिंग पचास साल पुरानी हैं और पिछले बीस साल से इनको खतरे वाली बिल्डिंग घोषित किया हुआ है। इन दोनों बिल्डिंग को बनाने के लिए सी० एम० साहब ने एलान भी किया था लेकिन वे अभी बनी नहीं हैं। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि इन स्कूलों की बिल्डिंग को जल्दी से जल्दी बनवाया जाए (व्यधान)

श्री सभापति: अब आप खत्म करिए।

सरदार सुखदेव सिंह: चेयरमैन साहब, अब मैं अर्बन डिवैल्पमेंट के बारे में कहना चाहता हूं। पुरानी गवर्नमेंट ने इस बारे में मेरे हल्के को इग्नोर किया था। इस समय काफी बिल्डिंग

बन रही हैं। मेरी सरकार से यह प्रार्थना है कि मेरी कांस्टीच्यूएंसी की तरफ भी उचित ध्यान दिया जाए।

डिमान्ड न० ९ के बारे में एक खास बात कहना चाहता हूँ कि बड़ी खुशी की बात कहना चाहता हूँ कि बड़ी खुशी की बात है कि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब जात-पात में विवास नहीं करते। पहले जो सरकार थी वह पंजाबी के बारे में बहुत बात करती थी लेकिन उसने कुछ भी नहीं किया। हमारे ये पुराने साथी भी पंजाबी के बारे में काफी बोलते हैं लेकिन ये कुछ भी नहीं करना चाहते। मैं शिक्षा मंत्री महोदय से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि पंजाबी भाषा के लिए विशेष ध्यान दिया जाए। धन्यवाद।

श्री फतेह चन्द बिज पानीपत: चेयरमैन साहब, आपने मुझे बोलने का टाईम दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। चेयरमैन साहब, मैं डिमान्ड नम्बर 6, 8, 9, और 11 के बारे में बोलना चाहता हूँ। चेयरमैन साहब, 1966 में हरियाणा और पंजाब और कुछ दूसरे मैम्बरान देहात और भाहर का सवाल उठाते रहे हैं। बजट के अन्दर अगर किसी मैम्बर साहेबान कहने लगते हैं कि फलां भाहर के लिए इतना पैसा क्यों दिया जा रहा है (व्यवधान) आपके सामने एजुकेशन के बारे में कई सवाल आते हैं जिनमें पूछा जाता था कि भाहरों में तो स्कूल गवर्नमेंट बनाती हैं और देहात में स्कूल की बिल्डिंग गांव वालों को बनानी पड़ती है। ऐसा क्यों होता है। चेयरमैन साहब, मैं कहना चाहता हूँ कि भाहर किसी भी प्रान्त की रीढ़ की हड्डी होते हैं। मरेर उन भइयों को भाहरों

की मुखालफत नहीं करनी चाहिए। पिछले साल जब बजट पे किया गया था तो हमारे वित्त मंत्री बाबू मूल चन्द जैन थे। उस वक्त आपने देखा होगा कि अपोजी इन और ट्रेजरी बैन्चिज के कुछ मैम्बर्ज ने उस बजट की कापियां फाड दी थी और उस वक्त यह कहा गया कि यह भाहरी बजट हैं। चेयरमैन साहब, भाहर किसी भी प्रांत की इकौनमी के लिए रीढ़ क हड्डी होते हैं इसलिए इनकी तरफ विशेष ध्यान देने की जरूरत हैं। भाहरों के लिए जो ग्रांट दी जाती थी उसमें भी कुछ तबदीली करने की जरूरत हैं। चेयरमैन साहब, पिदले दिनों चौधरी देवी लाल पानीपत गए थे। उनके एक दोस्त ने उनको ब्रेकफास्ट पर बुलाया। जब वे ब्रेकफास्ट के लिए गए तो उन्होंने देखा कि जगह-जगह पर सड़के टुटी हुई हैं, नालियों का पानी बाहर आ रहा हैं। वे कहने लगे कि यहां की हालत तो बड़ी खराब हैं। उसके बाद जब वे चण्डीगढ़ आए और कुछ म्युनिसिपल कमेटियों को पचास लाख रूपया दिया तो उनको याद दिलाया गया कि आप पानीपत की हालत को भूल गये। उस म्युनिसिपल कमेटी को भी कुछ पैसा दिया जाए, लेकिन कुछ नहीं किया गया। चेयरमैन साहब, हालत आज यह हैं कि चीफ मिनिस्टर साहब अपने भाहर को दस लाख रूपया दें देंगे और दूसरे मिनिस्टर भी अपने-अपने भाहर को पांच-पांच लाख रूपया दें देंगे और जो बाकी जो भाहर में रहते हैं उनको एक पाई भी नहीं मिलती। चेयरमैन साहब, पानीपत एक ऐसा भाहर हैं जहां पर पचास करोड़ रूपया का सालाना माल तैयार होता हैं और दूसरे प्रदेशों को जाता हैं। तीस करोड़ों का माल फारेन कन्ट्रीज को

जाता है। आप किसी भी डिपाटमैटल स्टोर में चले जाएं वहां पर आपको पानीपत के खेस और चाद मिलेगी लेकिन ग्रांट काह यह हाल है कि पिछले दस साल से एक पैसा भी ग्रांट की भावना में पानीपत को नहीं दिया गया। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि ग्रांट बांटते समय इस चीज का ध्यान रखें कि जिन भाहरों को पहले ग्रांट दे दी गई है, उनको दोबारा न दी जाए और जिनको पहले ग्रांट नहीं दी गई है उनको दी जाए।

चेयरमैन साहब, अब मैं अख्तियार फण्ड के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। इस बारे में मैंने एक सवाल पूछा था कि तीन साल में अख्तियारी फण्ड में किस-किस म्युनिसिपल कमेटी को कितना-कितना दिया गया। इसका जवाब मुझे यह दिया गया कि यह इन्फर्मे टान फील्ड से कलैक्टर करनी पड़ेगी और यह मुक्ति कल काम है। चेयरमैन साहब, अख्तियारी फण्ड में से जो भी मिनिस्टर कहीं पैसा देता है उसकी सारी डिटेल्ज डिवैल्पमेंट कमि नर के दफतर में होती है। वहां से यह इन्फर्मे टान आ सकती थी कि फलां जगह फलां मिनिस्टर ने इतना रूपया दिया लेकिन मुझे यह जवाब दिया गया कि यह इत्तालाह इकट्ठी नहीं की जा सकती। चेयरमैन साहब, सरकार ने यह इत्तलाह मुझे नहीं दी जबकि पिछले तीन-तीन सालों की वह इत्तलाह सरकार के पास है, इन्होंने केवल टालने वाली बात की। मेरी आपके द्वारा अपने हल्का में 10 प्रति टत से ज्यादा ग्रान्ट न दे और बाकी जो 90 प्रति टत पैसा हो वह स्टेट के दूसरे भागों में लगाया जाए, क्योंकि यह पैसा

उनकी अपनी मर्जी पर नहीं होता कि एक ही हल्के में खर्च कर दें। इस फण्ड का यह मतलब होता है कि यह पैसा सारी स्टेट की बहबूदी के लिये खर्च किया जाए।

श्रम उप मंत्री(चौधरी लाल सिंह): चेयरमैन साहब, सरकार ने मुझे 26 तारीख को पानीपत में भेजा था और इनके हल्के में मैं हजार रुपये की ग्रांट की अनाउंसमेंट कर के आया हूँ।

श्री फतेह चन्द विज: चेयरमैन साहब, मैंने मिनिस्टर्स के बारे में कहा, डिप्टी मिनिस्टर्स के बारे में नहीं कहा। इससे अगो मैं चेयरमैन साहब, सड़को के बारे में कहना चाहता हूँ। 1960 में यमुना नदी में बाढ़ आने के कारण जिला मुजफ्फरनगर के कुछ गांव हरिनयाणा में भामिल हो गये, कुछ पानीपत में चले गये, कुछ करनाल में चले गये। इस स्टेट को बने कम से कम 20 साल का टाईम हो गया लेकिन आज तक उन गांवों में कोई सड़क नहीं बनाई गई है, जिस वजह से इन गांवों के साथ कोई लिंक नहीं है। उधर यू0 पीव के लागू ऐसे हैं जो कि रोजाना नमाज पढ़ने के बाद खुदा से हय दुआ करते हैं कि बाढ़ आये और कुछ गांव इधर यू0 पी0 में मिल जाए। लेकिन इधर हमारे साथ यह सलूक हो रहा है कि कोई पूछने वाला नहीं। वहां पर किसी प्रकार की कोई सड़के का प्रीवीजन नहीं है। ये मिनिस्टर यहां पर बैठे हुए हैं जबकि ये मरे साथ इन इलाकों में गये तो यू ही मगरमच्छ के आसूँ बहाने लग गये कि आपक यहां पर कोई सड़क नहीं है। वहां पर एक हकीम साहब बैठे थे कहने लगे आप वोट वाली बात करो।

20 सालों से ये लोग आ रहे हैं ओर कहते हैं कि सड़के बनायेंगे, घर सब कुछ वहीं का वहीं हैं, मुझे पर एक भोर याद आ गया

उमरे दराज मांग कर लाये थे चार दिन

दो अरजू में कट गये दो इन्तजार में ।

श्री सभापति: विज साहब, अब आप वाइंड-अप करें ।

श्री फतेह चन्द विज: मेरा कहने का मतलब यह था कि अभी तक उन गांवों के साथ सड़को का किसी किस्म का लिंक नहीं है । मैं मिनिसटर साहब से यह नूछा कि आप वायदा करके आये थे तो अब आप इन गांवों को सड़को से मिलवा दीजिए ताकि इनल गांवों का लिंक दूसरी जगहों के साथ जुड सके । तो वे कहने लगे कि इना बनाने के लिये सीमेंट वगैरह और दूसरा मैटीरियाल नहीं मिल रही है । अब देखगे कि सरकार इस बारे में क्या पग उठा सकती है । इतनी बात कह कर टाल दिया । मेरा आपके द्वारा सरकार से यह निवेदर है कि सरकार इस तरफ अब य ध्यान दें ।

इससे आगे चेयरमैन साहब, मैं एक बात और अपने एजुके ान मिनिसटर व चीफ मिनिसटर साहब के नोटिस में लाना चाहता हूं कि सरकार तबादलों के मामले में थोड़ी सी तबदीली लाए । खास कर एजुके ान डिपार्टमेंट में, क्योंकि यह जो 12 महीने ही तबादले होते रहते हैं यह बच्चों की पढ़ाई के साथ एक किस्म का खिलवाड़ होता रहता है और बच्चों की पढ़ाई खराब हो

जाती हैं। मेरा सुझाव है कि इसके लिये वक्त मुकर्रर कर दें कि इस वक्त पर तबादले हुआ करेंगे।

श्री सभापति: गुड—सुजै ।न।

श्री फतेह चन्द विज: होता क्या है, चैयरमैन साहब, एक आदमी की ट्रांसफर हो जाती है, दूसरा जाकर के स्टे ले आता है और उसके बाद उसी जगह के लिये तीसरा आ जाता है। मुझे पूर्ण आशा है कि चीफ मिनिस्टर साहब इस तरफ ध्यान देंगे और इस में तबदीली जरूर करेंगे (इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए) स्पीकर साहब, मैं कह रहा था कि मेरी कांस्टीच्यूएंसी पानीपत से दरियां, बैंड भीट्स और भी कई किस्म का सामान बाहर जाता है। और करोड़ों रूपये का वहां पर बिजनैस है। वहां पर आज से चार पांच साल पहले डिवैल्पमेंट के नाम से एक पार्क बनाया गया था जिस पर लगभग 30—35 लाख रूपया भाहर की डिवैल्पमेंट के लिये लगा दिया जाता तो भायद भाहर की काफी तरक्की हो सकती थी। म्यूनिसिपल कमेटी का सारा पैसा इस पार्क पर ही लगा दिया जाता तो भायद भाहर की काफी तरक्की हो सकती थी। म्यूनिसिपल कमेटी का सारा पैसा इस पार्क पर जो सड़के और नालियां हैं, वहां से बदबू मारती है। जो लोग बाहर से आते हैं, वे जब वहां से गुजरते हैं तो मुंह के आगे रुमाल रख लेते हैं। स्पीकर साहब, आप कभी वहां जाएं तो आप देखेंगे कि वहां पार्क में एक रिजिस्टर रखा होता है, उसमें आने वाले अपना नाम दर्ज करते हैं। कि वहां पार्क में एक रिजिस्टर रखा होता है, उसमें आने

वाले अपना नाम दर्ज करते हैं। मुक्ति कल से 100-110 आदमी राजाना वहां पर जाते होंगे और वह भाहर एक लाख से ज्यादा आबादी का हैं। इसलिये आगे से सरकार को चाहिये कि वहां की डिवैल्पमेंट के लिये कम से कम 20-25 लाख रूपया रख तकि वहां पर जो सड़कें और नालियां टूटी फूटी और गन्दी पड़ी हैं, उनको दोबारा बनाया जा सके। अगर ऐसी जगह पर सफाई वगैरह का ध्यान न रखा गया तो वहां बहुत सी बीमारियों भी फैल सकती हैं। सरकार से मेरा बार-बार निवेदन हैं कि सरकार इस तरफ अवय ध्यान दें। (गोर)

इस समय बहुत से सदस्य बोलने के लिये खड़े हो गये

Mr. Speaker: I will give chance to every body but one by one, one from treasury benches and one from opposition benches.(interruption).

मैम्बर साहेबान, पहले कट मो इंज का नोटिस आया हुआ था इसलिये मैंने गिलोटीन का टाइम 1 बजे रखा था। चूंकि यह मूव नहीं हुई इसलिये यदि हाउस सहमत हो तो थोड़ा समय और डिस्कशन के लिए दे दिया जाए। उसके पचात् वित्त मंत्री के जवाब के बाद डिमांडज पर वोटिंग होगी।

आवाजें: ठीक हैं जी।

श्री अध्यक्ष: मैम्बर साहेबान, मेरे पास उन महानुभावों की लिस्ट हैं जिन्होंने इस डिबेट में बिल्कुल पार्टीसिपेट नहीं किया है। अगर वे बोलना चाहेंगे तो सब से पहले उनको बोलने का मौका दिया जाएगा। मैं वह लिस्ट आपको पढ़कर सुना देता हूँ।

ट्रेजरी बैचिज

- | | |
|--|----------------|
| (1) चौधरी सुरेन्द्र सिंह
एल0 पोसवाल | (2) श्री के |
| (3) श्री सुमेर चन्द भट्ट
भाकुरुल्ला | (4) चौधरी |
| (5) चौधरी पीर चन्द
सिंह | (6) चौधरी जिले |
| (7) श्री राम किान
दलीप सिंह | (8) राव |

लोकदल

- | | |
|--------------------------------------|-----------|
| (1) श्री प्रताप सिंह राठी
टेक राम | (2) चौधरी |
| (3) श्री जय नारायण वर्मा
कर्मसिंह | (4) चौधरी |

(5) चौधरी ओम प्रकाश राणा (6) श्री
मनी राम

(7) चौधरी फूसा राम

जनता पार्टी

(1) चौधरी जय नारायण (2) श्री
मूल चन्द मंगला

(3) श्री फतेह चन्द विज

चौधरी पीर चन्द (रतिया-अनुसूचित जाति): स्पीकर साहब, मैं डिमांड नं० 1,2,4,8,12 और 13 पर बोलूंगा। स्पीकर साहब, जो बजट हमारे सामने वित्त मंत्री जी ने पेश किया है ऐसा बजट मैंने आज तक कभी नहीं देखा क्योंकि यह पहला बजट पेश किया गया है जिसके अन्दर कोई कर नहीं लगाया गया है। जैसे कि आपको पता है कि पिछली सरकारें इतना घाटा छोड़ गई थी लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने कोई नया कर नहीं लगाया है। यह इन्होंने इसलिये किया कि इन्होंने इस चीज को विचारा कि आज हरियाणा की जनता कष्ट में है और उनकी आमदनी कम है। इस बात के लिये मैं मुख्य मंत्री जी को, वित्त मंत्री जी को और सारी कैबिनेट को बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि आगे के लिये भी कोई नया कर नहीं लगाया जाएगा।

मुझे इस सरकार से पूरी आशा है कि जो इस समय घाटा है उसको पूरा करने के लिये और अगर कोई पीछे लैकूना रहा है उसको ठीक करने के लिए यह पूरी कोशिश करेगी। डिमांड नम्बर दो के बारे में आपसे यही कहूंगा कि जुडिगियर के अन्दर पहले जब, रिट्रयूल्ड कास्टस और बैकवर्ड क्लासिज के लोगों की नियुक्ति होती थी तो उनको उसके लिये परीक्षा 33 प्रति सैत नम्बर लेकर पास करनी पड़ती है लेकिन पिछली सरकार ने उसे 33 प्रति सैत से बढ़ा कर 50 प्रति सैत कर दिया था। इस वजह से हरिजन और बैकवर्ड क्लासिज के लड़कों को काफी अर्से से कोई भी स्थान जुडिगियरी के अन्दर नहीं मिला है।

मैं मुख्य मंत्री और वित्त मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे इस सिस्टम में परिवर्तन लाकर पहले की तरह 33 प्रति सैत कर दें। ऐसा करने से हरिजन और बैकवर्ड क्लासिज के लड़कों को कुछ रियायत मिलेगी और वे इस सेवा में आ सकेंगे।

श्री अध्यक्ष: अब आप वाइंड अप कीजिये।

चौधरी पीर चन्द: स्पीकर साहब, अभी तो मैंने भुरु किया है। अगर आप चाहते हैं तो मैं बैठ जाता हूँ।

श्री अध्यक्ष: आप दो मिनट में खम् कीजिये।

चौधरी पीर चन्द: अब मैं डिमांड नम्बर 12 पर अपना सुझाव दूंगा। एम्प्लायमेंट देने के लिये एस0 एस0 बोर्ड और पब्लिक सर्विस कमिशन के अन्दर हरिजनों के साथ वे बे इन्साफी

हो रही हैं। अगर सौ वैकेसीज हो तो इनको 80 के बाद भुरु किया जाता है। हरिजन लड़का चाहे जितना काबिल या लायक हो लेकिन उनको 80 लेना भुरु किया जाता है। इससे उनको सब से बड़ा नुकसान होता है कि वे प्रोमोशन के मामले में बहुत पीछे रह जाते हैं। ऊपर वाले तो सुपरिन्टेंडेंट बन जाते हैं और वे वर्ल्क के वर्ल्क ही रह जाते हैं। क्योंकि जब तक ऊपर वाले 80 आदमी प्रोमोट नहीं होंगे तब तक उनका नम्बर नहीं आएगा। मैं मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे इस बेइंसाफी को दूर करें। इसको पंजाब पैट्रन पर कर दिया जाए। पंजाब में पहली वैकेसी हरिजन को मिलती है और दूसरी, तीसरी तथा चौथी नान-हरिजनो को मिलती हैं और आगे इसे रेगुलेशन से चलती रहती हैं। मैं कहता हूँ कि कल तक पंजाब और हरियाणा एक ही थे। हम अलग अलग हुए उससे हमारी तरक्की तो जरूर हुई लेकिन भेद-भाव नहीं होना चाहिए। इसलिये सरकार से मेरा निवेदन है कि पंजाब पैट्रन को लागू करे हरिजन और बैकवर्ड क्लासिज के लड़को के साथ न्याय किया जाए। इसके आलावा निगामों और कार्पोरेटों के अन्दर इतनी गैर-इंसाफी हो रही है कि उनमें भायद 2 प्रतिशत हरिजन भी नहीं होंगे, नाम मात्र हैं।

डा० मंगल सैन: स्पीकर साहब, मैं एक बात आपके नोटिस में लाना चाहता हूँ कि सभी विधान सभा भवन के सामने 25 आदमियों को पकड़ा गया है और पुलिस ने उनको बुरी तरह से घसीटा है।

Mr. Speaker: Anything which has happened outside the state is not the concern of this House. Since this incident has occurred in the Chandigarh territory this House is not concerned with it and hence there can be no debate on it here.

चौधरी पीर चन्द: स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा यह कहना चाहता हूँ कि इस कमी को पूरा किया जाए। जहां तक एडहाक बेसिज पर नियुक्ति करने का संबंध है। इसमें किसी हरिजन को नहीं लिया जाता है। यानी भी डिपार्टमेंट में हरिजन लड़को को नहीं लिया जाता। अभी-अभी सरकार ने एक अच्छा काम किया है। मैं उसकी सराहना किये बगैर भी नहीं रह सकता। सरकार ने यह बहुत अच्छा काम किया है कि उसने 16 हजार के करीब एडहाक कर्मचारियों को रैगुलर किया है। लेकिन इसमें गैर-इन्साफी यह हुई है कि इनमें हरिजन कोई नहीं था। यह तमाम अधिकार हमारा था। मैं आपके द्वारा मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि एडहाक बेसिज पर नियुक्ति करते वक्त भी इनकी रिजर्वें उन उसी तरह से रखी जाए जैसे रैगुलर सर्विस में रखी जाती हैं। ऐसा करते से उनके साथ जो गैर-इन्साफी हो रही है वह दूर हो जाएगी।

श्री जय नारायण वर्मा (बरवाला): स्पीकर साहब, आज ऐजेन्डे पर कुल 13 (13.00बजे) डिमान्ड हैं और यदि हरेक डिमान्ड पर 2-2 मिनट के लिए भी बोला जाए तब भी 26 मिनट लग जाएंगे लेकिन मैं बहुत जल्द अपनी बात पूरी करने की कोशिश करूंगा.....

Mr. Speaker: I am sorry, I cannot give you more than 5 minutes.

श्री जय नारायण वर्मा: स्पीकर साहब, मैं सबसे पहले डिमान्ड नम्बर 13 को भुरु करता हूँ जो कि वैल्फेयर डिपार्टमेंट के बारे में है। इससे पहले कि मैं इस डिमान्ड पर बोलना भुरु करूँ अध्यक्ष महोदय, मैं एक और बात का जिक्र करना चाहता हूँ कि कल जब वित्त मंत्री जी जवाब दे रहे थे तो उन्होंने मेरे ऊपर लगाया था। ईमानदारी के मामले पर उन्होंने जो आरोप लगाया वे खुद जानते हैं कि किस बेसिज पर लगाया। उन्होंने खुद किसी तरह पार्टी बदली और मैंने पार्टी नहीं बदली, इसलिए उन्होंने यह आरोप लगाने की चेश्टा की। (गोर एवं विघ्न) अध्यक्ष महोदय, क्योंकि हमने डैमोक्रेटिक सैट-अप के साथ वैल्फेयर स्टेट की कल्पना की है इसलिए, वैल्फेयर डिपार्टमेंट के बारे में एक सुझाव देना चाहता हूँ। इस डिपार्टमेंट को एन्करेज किया जाए, बढ़ाया जाए और इसका पूरा आदर किया जाए। आज हमने बैकवर्ड क्लासिज और रिड्यूल्ड कास्टस के लिए जितनी योजनाएँ इस बजट में रखी हैं, वे इस काम के लिए काफी नहीं हैं। जिस तरह से पिछली सरकार ने रिड्यूल्ड कास्टस के लिए चौपालों को प्रोविजन किया था, इस बार उस काम के लिए कम प्राविजन किया गया है। स्पीकर साहब, योजना में बुनियादी चिन्तन चाहिए। आज देहात की 32 साल की आजादी और वैल्फेयर स्टेट के होते हुए भी हमने इधर पूरा ध्यान नहीं दिया। आज देहात के अन्दर, भाहरों के अन्धर और कस्बों के अन्दर जो गरीब औरतें हैं, वे अपनी लाज

की रखना चाहती हैं। उनके लिए भौचालयों की बुनियादी आवश्यकता को बिल्कुल ध्यान में नहीं रखा गया। इसलिए मेरा सरकार को सुझाव है कि गांव-गांव के अन्दर और कस्बों को बचा सकें। स्पीकर साहब, अभी अभी आनरेबल मुख्य मंत्री महोदय जी ने मेरे रैजोल्यूशन के जवाब में बैकवर्ड क्लासिज के लिए एक कार्पोरेट इन बनाने की बात कही थी। इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ लेकिन इसके साथ-साथ मैं उनको ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहता हूँ कि कहीं ऐसा न हो कि उस कार्पोरेट इन से आर्थिक तौर पर और लोगों को फायदा उठाते रहें और बैकवर्ड क्लासिज के लोगों को कोई फायदा न मिले। इसलिए मैं सुझाव दूंगा कि उस कार्पोरेट इन का नियन्त्रण, उस कार्पोरेट इन की निगरानी बैकवर्ड क्लासिज के लोगों को ही सौंपी जाए।

स्पीकर साहब, इसके बाद मैं डिमान्ड नम्बर 5 पर आता हूँ जोकि एक्साइज एण्ड टैक्स इन डिपार्टमेंट के बारे में है मैंने सोचा था कि श्री बलवन्त राय तायल के होते हुए भाराब बन्दी की नीति पर अमल होगा लेकिन मुझे अफसोस है कि इसको दिलाना चाहता हूँ कि हमने एक ऐसे समाज की कल्पना नहीं की थी कि किसी बाप बढ़ाने के लिए लोगों को भाराबी बनाए, यह बहुत ही दुःख की बात है। स्पीकर साहब, मैं नाजयज भाराब के बारे में कहना चाहता हूँ। भाराब के ठेके के संरक्षण में नाजायज भाराब बिकती हैं। गांव-गांव में भाराब के डिपे खुले हुए हैं।

श्री अध्यक्ष: मैं नहीं समझता कि गवर्नमेंट में से कौन चाहता है कि सारे देश वाले भाराब पीयें।

श्री जय नारायण वर्मा: अध्यक्ष महोदय, मैंने किसी व्यक्ति विशेष को नहीं कह सकता मैंने तो यह कहा है कि सरकार अपने रैवेन्यू के लालच में पड़ी हुई है। सरकार अपने रास्व को बढ़ाने के लिए अगर समाज पर यह अछूत की बीमारी डालना चाहती है तो इससे बड़ी गलत बात और कोई नहीं हो सकती।

स्पीकर साहब, अब मैं एजूकेशन के मामले पर बोलना चाहता हूँ। इसी मामले पर बोलते हुए बहिन कमला वर्मा ने एक बुनियादी बात पर सदन का ध्यान आकर्षित करवाया था। मुझे इस बात के लिए दुःख है कि आज सरकार शिक्षा के मामले में हमारे समाज को क्या बनाना चाहती है? क्या हमारे समाज में कोई आदर्श है? यह सरकार बिना आदर्शों का समाज बनाना चाहती है। अध्यक्ष महोदय, हमारी शिक्षा की यह हालात हैं। स्पीकर साहब, मैं यह बात गम्भीर बात कह रहा हूँ कि कालेंजो के स्तर पर और यूनिवर्सिटियों के अन्दर कबील से कबील टीचर्स प्रोवाइड किये जाते हैं लेकिन जो प्राइमरी स्टेज की एजूकेशन हैं उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है और उसे निगलैक्ट किया जाता है। मूल रूप से बच्चों का भविष्य बनाने के लिए प्राइमरी शिक्षा के ऊपर अधिक जोर देने की जरूरत है, लेकिन उसकी कोई देख रेख नहीं है।

इसके अलावा स्पीकर साहब, एक बात में पब्लिक हैल्थ के बारे में कहना चाहता हूँ। मेरा हल्का बरवाला इतना बड़ा कस्बा है और उसके अन्दर आज से 15 साल पहले जो पानी की व्यवस्था थी, आज भी वही व्यवस्था चल रही है। आज वहाँ के लोगों को पीने के लिए एक बाल्टी पानी के लिए तरसना पड़ता है। वे कहते हैं कि बरवाला के लिए हमने एक लाख रूपया प्रोवाइड किया है। हमें एक लाख रूपए से मतलब नहीं है। हम तो यह चाहते हैं कि लोगो के लिए पानी की व्यवस्था की जानी चाहिए। स्पीकर साहब, पौसवाल साहब के हल्के में एक चीकन गांव है उस गांव के अन्दर एक नदी पार करके जाना पड़ता है आज आजादी के 32 साल के बाद भी उस गांव में पंजुओं को और इन्सानों को कटोरे से खोद कर पानी पीना पड़ता है। न वहाँ पर नहर का पानी है और न नदी का पानी है इसलिए सरकार उस तरफ भी ध्यान दें। (गोर) अध्यक्ष महोदय, वहाँ आज तक कोई भी एम0 एल0 ए0 नहीं गया।

मुख्य संसदीय सचिव (श्रीमति भांति देवी): अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय सदन के अन्दर कुछ माननीय सदस्यों ने बड़े रचानात्मक सुझाव दिए हैं। मैं उनको बताना चाहूंगी कि इस थोड़े से समय के अन्दर हमने कितने ऐसे पग उठाए हैं, जोकि शिक्षा के हित में है। अनेकों स्कूलों को पदोन्नत करना (अपग्रेड), 12 अराजकीय कालेजों को टेक-ओवर करना, अराजकीय स्कूलों की ग्रांट बढ़ा कर 75 % कर देना, असमायोजित जे0 बी0 टी0

मास्टर्स को मास्टर्स ग्रेड देना, स्कूल लैक्चरर्स को पदोन्नति के चांस देना, प्रान्तीय कैंडर मास्टर्स को 50 प्रति 100 कोटा देकर मुख्य अध्यापकों के लिए चांस देना, दो वर्षीय एडहाक अध्यापकों को रैगुलर करने का निर्णय लेना, हरिजन छात्राओं को छात्रवृत्ति देने का निर्णय लेना, मिडल एवं प्राइमरी स्कूलों में मुख्य अध्यापकों को 50 और 25 की रेटों से अतिरिक्त वेतन देना, प्लान के अन्तर्गत स्कूलों में टाट पट्टी एवं दरियों का बच्चों के लिए प्रबन्ध करना, प्राइमरी स्कूलों में पार्ट टाइम सफाई कर्मचारी एवं पानी पिलानो वाले का प्रावधान करना, अराजकीय कालेजों में साइंस की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मैचिंग ग्रांट सिस्टम को लागू करना। इसके अतिरिक्त बहिन कमला वर्मा ने कई बड़े रचानात्मक सुझाव दिए हैं और मैं उनका स्वागत करते हुए बताना चाहूंगी कि राज्य में उपयुक्त संख्या में विज्ञान अध्यापक उपलब्ध नहीं हैं फिर भी रिक्त पदों को भरने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं।

इसके अतिरिक्त कालेज स्तर पर विज्ञान के विषयों को विद्यार्थियों में व्यापक रूप से प्रचलित करने के लिए प्राइवेट कालेजों में विज्ञान संकाय खोलने की योजना बनाई गई है जिसके अन्तर्गत उन्हें इस विषय के लिये ग्रांट दी जाएगी। प्राइवेट स्कूलों के अध्यापकों को ट्रेजरीज के माध्यम से वेतन देने के मामले पर सरकार द्वारा विचार किया गया था परन्तु प्रासंगिक आधार पर इसे उपयुक्त नहीं पाया गया क्योंकि इसमें वित्तीय इम्प्लीकेटिन्स बहुत अधिक हैं इसलिए यह चीज सम्भव नहीं है। इसकी बजाए

इन स्कूलों को रिलीफ देने के लिए मेन्टेनेंस ग्रांट की प्रति ता बढ़ा कर 75 प्रति ता कर दी हैं। अध्यक्ष महोदय, बहिन कमला वर्मा ने कहा था कि परीक्षा भुल्क जो सरकार लेती हैं इसको हरिजन बच्चों से न लिया जाए, बन्द कर दिया जाए। बहिन जी ने कई रचनात्मक सुझाव दिए हैं, लेकिन मैं उन्हें बताना चाहती हूं कि परीक्षा भुल्क बोर्ड को अदा की जाती हैं और इसकी अदायगी छात्रों को शिक्षा विभाग द्वारा की जाती हैं। फिर भी इस सुझाव पर विचार करवा लिया जाएगा कि हरिजन छात्रों की परीक्षा भुल्क देना ही न पड़े। यदि इसे उपयुक्त पाया गया तो इसे अडॉप्ट कर लिया जाएगा। प्राथमिक शिक्षा को सुदृढ़ करने और इसका स्तर ऊंचा करने के लिए विभाग द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं परन्तु इसके लिए पृथक निदेशालय बनानी की जो मांग की गई हैं, यह उपयुक्त प्रतीत नहीं होती। इस सम्बन्ध में हमने पंजाब और दूसरे प्रान्तों से रिपोर्ट मंगवाई हैं, उनकी रिपोर्ट के अनुसार मैं सदन को बताना चाहती हूं कि इस क्षेत्र में किसी प्रान्त को कोई सफलता नहीं मिली है। इसलिए हम यह काम करना ही नहीं चाहते। फिर भी हम प्राथमिक शिक्षा देना की रीढ़ की हड्डी हैं। कोरी स्लेट की तरह बच्चा अध्यापक के पास आता है इनका स्तर ऊंचा होना चाहिये, इस दिशा में हम कदम बढ़ा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, श्री जगदीश कुमार बैनीवाल ने स्कूलों को अपग्रेड करने की मांग की है। इन्होंने दो स्कूलों के बारे में कहा कि इनको अपग्रेड किया जाए। मैं इनको बताना चाहती हूं

कि भूतपूर्व शिक्षा मंत्री ने जब उनके दस स्कूल अपग्रेड किये थे, उस वक्त इन दस स्कूलों में इन दोनों स्कूलों को क्यों इन्कलूड नहीं किया गया? अध्यक्ष महोदय, श्री जोगी राम ने अध्यापकों के बारे में कुछ सुझाव रखे। ठीक हैं, प्राथमिक अध्यापकों का स्तर ऊंचा होनी चाहिये। श्री जोगी राम जी ने अध्यापकों के वेतनमान बढ़ाने के बारे में जिक्र किया था। मैं उन्हें सूचित करना चाहती हूँ कि वेतन आयोग की रिपोर्ट आ चुकी है, भायद वे इस रिपोर्ट को देख नहीं पाये हैं, सबसे ज्यादा वेतन अगर दिया है तो प्रईमरी अध्यापकों को दिया है। इन्होंने गावों में अध्यापकों को मैडिकल भत्ता देने की बात भी सदन में कहीं। ठीक हैं, मैडिकल भत्ता मिलना चाहिये, लेकिन अगर फ्लैट रेट पर मैडिकल भत्ता दिया जाए तो वे लाग इस लाभ से वंचित रह जाते हैं जिनके पांच-पांच हजार रुपये अपने बूढ़े मां-बाप की बीमारी पर खर्च हो जाते हैं। जो बीमार हैं, चाहे देहात का अध्यापक बीमार हैं, चाहे भाहर का अध्यापक बीमार हैं, वर्तमान सिस्टम के अर्न्तगत सरकार से मैडिकल भत्ता ले सकता है।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक ग्रामीण क्षेत्र के भत्ते का सम्बन्ध है उस पर हम विचार कर रहे हैं कि यह ग्रामीण क्षेत्रों में भी लागू होना चाहिये। लेकिन 60 हजार अध्यापकों का परिवार है, इनको ग्रामीण क्षेत्र भत्ता देने के लिए बहुत रूपया चाहिये। स्टेट पर वित्तीय बोझ बहुत बढ़ जायेगा लेकिन फिर हम इस पर विचार करेंगे। अध्यक्ष महोदय, श्री जोगी राम ने सदन में यह बात भी

उठाई कि हर भानिवार को टीचर्ज की जो मीटिंग होती है इसको बन्द किया जाए। मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि उस मीटिंग का विशेष महत्व है। इसमें विशेष महत्वपूर्ण प्वायंट्स डिस्कस होते हैं। जैसे बहिन कमला वर्मा ने विज्ञान को बढ़ावा देने के लिये बात कहीं, इस किस्म के विषय, शिक्षा से सम्बन्धित विषय इस मीटिंग में डिस्कस होते हैं। जब तक हम नये ढंगों से पुराने अध्यापकों को परिचित नहीं करवायेंगे, तब तक काम नहीं चलेगा। एक महीने में एक मीटिंग रखी जाती है जिसमें महत्वपूर्ण विषयों पर डिस्कशन होती है और इस मीटिंग का होना शिक्षा के हित में है।

लोक निर्माण मंत्री (कंवर राम ला सिंह): अध्यक्ष महोदय, डिमांडज पर बोलते हुए मेरे साथियों ने सड़कों के बारे में जिक्र किया कि कुछ हल्कों में सड़कें बनाई जा रही हैं और कुछ में नहीं बनाई जा रही। मेरे साथी ने कहा कि खादर के एरिये में बहुत सड़के बनाई जा रही हैं। मेरे साथी ने यहां पर एक भोर पढ़ा, भायद किसी से लिखवाकर लाये होंगे, जब पढ़ने लगे तो वह गलत पढ़ दिया और फिर चेयरमैन साहब ने उसको कुरेक्ट किया। मैं इस तरफ न जाते हुए, समय के अभाव के कारण चन्द बातें कहना चाहूंगा। मेरे दो तीन साथियों ने सड़कों के बारे में हाउस में कई सवाल आये हैं और मैंने सप्लीमेंटरी सवालों के जवाब में सरकार की पालिसी बताई है। अब मैं दोबारा बता देना चाहता हूँ कि वे गांव जो डायरेक्टरी के अन्दर हैं, उनके संगल

लिंक्स दिसम्बर, 1980 तक कम्पलीट करने हैं, जिनको अभी तक सड़क नहीं मिली हैं। सबसे पहले उन्हीं गावों को प्रायरिटी लैवल पर लेंगे जिनमें अभी तक सड़क नहीं मिली हैं। और सिंगल लिक्स बनने हैं। सिंगल लिंक्स बनाने के लिये आबादी का क्राइटेरिया रखा है। स्पीकर साहब, ग्रांटस पर डिस्कान के दौरान यह बात भी आयी कि ब्लाक समितिज और मार्केट कमेटियों की सड़को की खस्ता हालत है। मैं सदन को बताना चाहता हूँ कि जिन ब्लाक समितियों से रैजोल्यूशन पास होकर हमारे पास आ गए हैं कि उनकी सड़को गवर्नमेंट टेक ओवर कर लें, ऐसी सड़को को टेक-ओवर करने का फैसला ले लिया है। मुख्य मंत्री महोदय ने भी हाउस को अयोर करवाया है कि उन सड़को को लिया जा रहा है, ताकि उन सड़को की स्थिति सुधार सके। स्पीकर साहब, श्री देवी दास ने एक बात कही कि उनके हल्के के अन्दर एक भी सड़क नहीं बनाई। मैं आपकी मारफत हाउस को बताना चाहता हूँ कि श्री देवी दास के हल्के में जितने गांव हैं वे सभी सड़को से जुड़े हुए हैं।

श्री देवी दास: आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। स्पीकर साहब, इन्होंने कहा कि हर गांव में सड़क है। मैं कहना चाहता हूँ कि जब से मैं एम0 एल0 ए0 बना हूँ तब से एक किलोमीटर सड़क भी मेरे हल्के में नहीं बनी है।

श्री अध्यक्ष: यह कोई प्वायंट आफ आर्डर नहीं है।

कंवर राम पाल सिंह: स्पीकर साहब, ये हर गांव में तीन-तीन, चार-चार सड़के बनवाना चाहते हैं। मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या हरियाणा के अन्दर इसी प्रकार के गांव और नहीं हैं? क्या हरियाणा में और लोग नहीं बसते जिनको पिछले 32 साल के अर्से में एक भी सड़क प्राप्त नहीं हुई? (व्यवधान) स्पीकर साहब, अब मैं दूसरे प्वायंट पर आता हूँ। मेरे साथी श्री जोगी राम ने कहा कि असंध सब डिविजन के पास कोई काम नहीं हुआ है। मैं आपकी मारफत सदन को बताना चाहता हूँ कि असंध सब-डिविजन में 16 लाख रूपये का काम हुआ है जोकि तकरीबन एक सब-डिविजन की लिमिट होती है। सब डिविजन आफिस की डिटेल् में जाना नहीं चाहता, बड़ी लम्बी लिस्ट है और समय थोड़ा है। लेकिन मैं आनरबल मैम्बर को वि वास दिलाता हूँ कि अगर इनको किसी बात की कोई रिक्वायर्त है तो वे मुझे लिखकर भेजें, मैं देख लूंगा। इन्होंने एक सड़क के बारे में बताया कि पानीपत रोड फ्लड की लिखकर भेजें, मैं देख लूंगा। इन्होंने एक सड़क के बारे में बताना चाहता हूँ कि उस सड़क की वजह से काफी ख़वाराब है। मैं उनकी इतलाह के लिये बताना चाहता हूँ कि उस सड़क की रिपेयर के लिए टै।डर इन्वाइट हो चुके हैं और इस रोड की रिपेयर का काम करने जा रहे हैं।

इसके अलावा मेरे साथी भागी राम जी ने कहा कि सिरसा के अन्दर कुछ सड़के मंजूर हुई थी लेकिन उनका काम टेक-अप नहीं किया गया। मैं हाउस की इतलाह के लिए एक बात

बताना चाहता हूं कि उस समय के मुख्य मंत्री चौधरी देवी लाल जी जिस जिले में ज्यादा इंटरैस्ट रखते थे वहीं ज्यादा अनाउसमेंटस किया करते थे। लेकिन मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि जहां जहां डुप्लीकेट लिक्स हैं वहां अगर बहुत जरूरी सड़क हुई तो उसको जरूर बनवाएंगे क्योंकि हमने बाकी हरियाणा का भी ध्यान रखना है। जो इलाके बैकवर्ड हैं उनको हम प्रायोरिटी देकर दूसरे फारवर्ड इलाकों के बराबर लाने की कोशिश कर रहे हैं।

चौधरी देस राज: आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर,। जो गांव डारैक्टरी में नहीं हैं क्या उनमें भी सड़कें बनाई जाएंगी?

श्री अध्यक्ष: यह प्वायंट आफ आर्डर नहीं है। यह तो प्वायंट आफ डिटेल है।

कंवर राम पाल सिंह: विज साहब ने एक बात कही थी। मैं आपकी मारफत उन्हें यह कहना चाहता हूं कि आज तक खादर के एरिया को काफी इग्नोर किया गया था लेकिन हमने खादर के एरिया के लिए भी काफी सड़के मंजूर की हैं। कुछक गांव, जो चारों तरफ से पानी से घिरे हुए हैं उनके लिए भी हम सोच रहे हैं ताकि वहां भी सड़के बनें, उनकी जिन्दगी काफी लम्बी हो और फलड् की वहजह से टूट न पाए। इस बार में हम स्टैप्स ले रहे हैं और जल्दी कोशिश कर रहे हैं कि उन गांवों को भी सड़को से जोड़ दें।

चौधरी देसी राज जी ने कहा कि डायरैक्टरी के अन्दर बहुत से गांव नहीं हैं और क्या सरकार वहां भी सड़के बनाएगी? मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि हिली एरिया में 150 और मैदानी एरिया में 250 को आबादी वाले नान-डायरैक्टरी विलेजिज का डैटा कोलैक्ट करके वहां भी सड़के बनाने का कोई फैसला लिया जाएगा।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष: मैं हाउस की सैन्सलेना चाहता हू कि क्या हाउस का समय पांच मिनट बढ़ा दिया जाए?

आवाजें: जरूर बढ़ा दिया जाए।

श्री अध्यक्ष: ठीक हैं, हाउस का समय पांच मिनट बढ़ाया जाता है।

वर्ष 1980-81 के बजट की डिमांडज फार ग्रंट्स पर चर्चा तथा

मतदान (पुनराम्भ)

वित्त मंत्री (लाला बलवन्त राय तायल): स्पीकर साहब, पहले गवर्नर ऐड्रैस पर चर्चा हुई, फिर बजट पर बहस चली और अब डिमांडज पर बहस चल रही हैं। जिन लोगों ने बहस में हिस्सा लिया उन्होंने अपने हल्के की तकलीफें बताई और कुछेक ने कहा कि इम्तायजी सलूक बतरा जा रहा है। विज साहब ने पानीपत म्यूनिसिपल कमेटी के बारे में कुछ कहा। इसमें कोई भाक नहीं कि पानीपत भाहर एक ऐसा भाहर है जिस पर हर हरियाणवी नाज कर सकता है। वहां से 50 करोड़ रुपये का सामान हर साल ऐक्सपोर्ट होता है। यह उस भाहर के लिए गर्व की बात है। वहां की सड़के यदि खराब हैं या उनमें कोई बात है, उनको ठीक करना वहां की म्यूनिसिपल कमेटी का काम है। फिर भी सरकार ने पिछले साल हरियाणा के अन्दर 50 लाख रुपया म्यूनिसिपल कमेटीज को बतौर ग्रांट दिया। यह पैसा इसलिए दिया ताकि म्यूनिसिपल कमेटीज अपने इलाकों के अन्दर इस तरीके के काम कर सकें इस बजट के अन्दर इन म्यूनिसिपल की इमदाद के लिए 90 लाख रुपये रखे गए हैं।

स्पीकर साहब, एक बात यहां कही गई कि मंत्रि परिशद के ऊपर ज्यादा खर्च हो रहा है। यह ठीक है कि डिमांड के अन्दर 6658000 रुपये मंत्रिपरिशद के लिए रखे गए हैं लेकिन इसमें से 23,97,000 रुपया ऐसा है जो डिस्ट्रिक्ट इनरी ग्रांटस में जाना है और तनख्वाह आदि में खर्च नहीं होना है। डिस्ट्रिक्ट इनरी ग्रांट आप जानते हैं डिवैल्पमेंट के काम के लिए दी जाती है। तो मैं

सदन को स्पष्ट रूप में बताना चाहता हूँ कि मिनिस्टरी के ऊपर केवल 42, 61, 000 तो मैं सदन को स्पष्ट रूप में बताना चाहता हूँ कि मिनिस्टरी के ऊपर केवल 426100 रूपया खर्च होना है।

इसके बाद मैं हाउस को बताना चाहता हूँ कि सरकार ने बैकवर्ड कार्पोरे इन बनाने का फैसला किया है। यह तजवीज सरकार के ध्यान में काफी दिनों से थी। इस कार्पोरे इन को जितने पैसे की जरूरत होगी, सरकार देगी और बैकवर्ड लोगों की बैकवर्डनेस को दूर करने की कोशिश करेगी। अध्यक्ष महोदय, अब मैं ज्यादा न कहते हुए यह आशा करता हूँ कि हाउस इन 13 डिमांडज को जो आज इसके सामने हैं, अवश्य पास करेगा।

श्री अध्यक्ष : मैम्बर साहेबान, अब मैं डिमांडज फार ग्रान्टस को वोटिंग के लिए रखता हूँ।

आवाजें: सबको इकट्ठा ही पुट कर दिया जाए।

श्री अध्यक्ष: ठीक है। I will put them together,

Question in-

That a sum not exceeding Rs. 3691510 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1980-81 in the charges under Demand No. 1- Vidhan Sabha.

That a sum not exceeding Rs. 65977430 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that

will come in the course of payment for the year 1980-81 in the charges under Demand No. 2- Vidhan Sabha.

That a sum not exceeding Rs. 181237335 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1980-81 in the charges under Demand No. 3- Vidhan Sabha.

That a sum not exceeding Rs. 42483700 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1980-81 in the charges under Demand No. 4- Vidhan Sabha.

That a sum not exceeding Rs. 25221360 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1980-81 in the charges under Demand No. 5- Vidhan Sabha.

That a sum not exceeding Rs. 67016185 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1980-81 in the charges under Demand No. 6- Vidhan Sabha.

That a sum not exceeding Rs. 41120600 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1980-81 in the charges under Demand No. 7- Vidhan Sabha.

That a sum not exceeding Rs. 202571500 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1980-81 in the charges under Demand No. 8- Vidhan Sabha.

That a sum not exceeding Rs. 577456210 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1980-81 in the charges under Demand No. 9- Vidhan Sabha.

That a sum not exceeding Rs. 353166140 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1980-81 in the charges under Demand No. 10- Vidhan Sabha.

That a sum not exceeding Rs. 16500330 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1980-81 in the charges under Demand No. 11- Vidhan Sabha.

That a sum not exceeding Rs. 150740020 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1980-81 in the charges under Demand No. 12 - Vidhan Sabha.

That a sum not exceeding Rs. 56121610 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1980-81 in the charges under Demand No. 13- Vidhan Sabha.

The motion was carried.

Mr. Speaker: The House stands adjourned till 9.00 a.m. tomorrow the 19 th March, 1980.

13.27 Hours

(The Sabha then* adjourned till 9.00 hours on
Wednesday, the 19th March)